सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पर प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth and Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
2019 की सं. 14
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

पर प्रतिवेदन

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2019 की प्रतिवेदन सं.14

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुति की तारीख _____

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	ii
1	प्रस्तावना	1
2	लेखापरीक्षा रूप-रेखा	8
3	पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों का वितरण	12
4	सुरक्षा मानकों का अनुपालन	28
5	अवसंरचना की तैयारी	35
6	बीपीएल परिवारों का एलपीजी में पारगमन	44
7	वित्तीय प्रबंधन	56
8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	63
	अनुबंध	66
	संकेताक्षर	70
	शब्दावली	72

प्राक्कथन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के उद्देश्य से मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस योजना को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमयूवाई के तहत 31 मार्च 2019 तक कुल 3.81 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए थे। यह निष्पादन लेखापरीक्षा पीएमयूवाई के एक महत्वपूर्ण योजना होने के मद्देनजर की गई थी, जिसका काफी सामाजिक प्रभाव है।

इस प्रतिवेदन में अभीष्ट लाभार्थियों तक योजना की पहुंच के साथ साथ बीपीएल परिवारों के अस्वच्छ से स्वच्छ ईंधन में पारगमन की सीमा के संदर्भ मे कार्यान्वयन को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने में अभिलेख, सूचना एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सैल तथा तीनों ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) का आभार व्यक्त करना चाहती है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्हें खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था (मई 2016)। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को पांच करोड़ डिपोजिट मुक्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था, जो एलपीजी पहुंच से वंचित और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित हैं, जिन्हें एसईसीसी-2011 सूची से चिन्हित किया जाना था। योजना के लक्ष्य को आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शनों पर संशोधित किया गया था और पहचान मानदंड को ई-पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत विस्तारित किया गया/छूट दी गई थी। योजना में चूल्हे और पहले रिफिल की लागत को कवर करने के लिए वैकल्पिक ऋण सुविधा भी प्रदान की गई थी जिसकी वसूली डीबीटीएल के अंतर्गत एलपीजी रिफिल पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी से की जानी थी।

योजना के लक्ष्य को आठ करोड़ करते समय 2016-17 से 2019-20 तक प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष-वार पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दो करोड़ कर दिया गया था। ओएमसीज ने 31 मार्च 2019 तक पीएमयूवाई के अंतर्गत 7.19 करोड़ कनेक्शन दिए थे जो कि मार्च 2020 तक जारी किए जाने वाले आठ करोड़ कनेक्शनो के लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। 7.19 करोड़ कनेक्शन में से पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.81 करोड़ तथा ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.38 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 36 राज्यों/यूटी में जारी किए। अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज मई 2016 में 61.90 *प्रतिशत* से बढ़कर अप्रैल 2019 में 94.30 *प्रतिशत* पर पहुँच गई।
इस पृष्ठभूमि में योजना की कार्यान्वयन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के मद्देनजर निम्नलिखित जांच करके इस पीएमयूवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी:

- क्या पीएमयूवाई कनैक्शन पर्याप्त सावधानी के बाद एसईसीसी-2011 सूची के केवल पात्र और अभीष्ट परिवारों को ओएमसी द्वारा जारी और संस्थापित किये गए हैं?
- क्या पीएमयूवाई लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एलपीजी वितरण नेटवर्क के प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त उपाय किये गये हैं?
- क्या ओएमसीज ने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार पीएमयूआई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए और योजना की जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाये हैं?
- क्या पीएमयूवाई योजना ने लाभार्थियों को एलपीजी के निरंतर उपयोग हेतु बढ़ावा दिया है?

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष संक्षेप में निम्नानुसार है:

I. <u>पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों का वितरण</u>

- लाभार्थियों के परिवार में मौजूदा एलपीजी कनेक्शन की पहचान एवं दोहराव रोकने हेतु परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या पर डी-डुप्लिकेशन किया जाना था। लेखापरीक्षा

में देखा गया कि 3.78 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 1.60 करोड़ (42 प्रतिशत) कनेक्शन केवल लाभार्थी की आधार संख्या पर जारी किए गए थे जो डी-डुप्लिकेशन कार्य में रूकावट पैदा करता है। **(पैरा 3.1)**

- लाभार्थियों की पहचान में ढिलाई देखी गई क्योंकि 9897 एलपीजी कनेक्शन ऐसे एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे जहां परिवार के सभी सदस्यों और लाभार्थी के नाम एसईसीसी-2011 सूची में रिक्त पाए गए। इसी प्रकार, 4.10 लाख कनेक्शन ऐसे एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे जहां एक सदस्य को छोडकर परिवार के समस्त ब्यौरे एसईसीसी-2011 सूची में रिक्त पाए गए। **(पैरा 3.2.1 एवं 3.2.2)**
- पीएमयूवाई में महिला के नाम पर एलपीजी कनेक्शन देने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल के सॉफ्टवेयर में इनपुट वैधीकरण जांच की कमी के कारण 1.88 लाख कनेक्शन पुरूषों के एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे। **(पैरा 3.2.3)**
- 52271 मामलों में व्यक्तियों के नामों को एसईसीसी लाभार्थियों के नाम के साथ संयोजकों उर्फ/या/उपनाम का उपयोग करते हुए कनेक्शन जारी किए गए थे एवं ऐसा आभास कराया गया कि दोनों नाम एक ही उपभोक्ता के हैं। **(पैरा 3.2.4)**
- आईओसीएल सॉफ्टवेयर में इनपुट वैधीकरण जांच की कमी से 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 0.80 लाख कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार, डाटा विश्लेषण से पता चला कि 8.59 लाख कनेक्शन उन लाभार्थियों को जारी किए गए जो एसईसीसी-2011 के अनुसार अल्पव्यस्क थे जोकि पीएमयूवाई एवं एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 का उल्लंघन हैं। **(पैरा 3.2.5)**
- डाटा विश्लेषण से एसईसीसी-2011 की तुलना में पीएमयूवाई डाटाबेस के बीच 12.46 लाख लाभार्थियों के नाम में बेमेलता का पता चला। इसके अलावा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 784 (जांच की गई 4348 केवाईसी रेकॉर्ड्स का 18 प्रतिशत) अभीष्ट लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का उपयोग एलपीजी वितरकों द्वारा गैर-अभीष्ट व्यक्तियों को लाभ देने हेतु किया गया था। **(पैरा 3.2.7)**
- 12465 मामलों में दोहरे कनेक्शन के निर्गमन को प्रतिबंधित करने के लिए डी-डुप्लिकेशन के कार्य में कमियाँ देखी गई थी। इसके अलावा, इनपुट वैधीकरण जांच में कमी से 42187 कनेक्शन अवैध एएचएल टीआईएन के प्रति जारी कर दिए गए जो एसईसीसी-2011 में मौजूद नहीं थे। **(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)**
- 4.35 लाख कनेक्शनों के प्रतिस्थापन में सात दिनों की निर्धारित समय अवधि के प्रति 365 दिनों से अधिक विलंब देखा गया था। **(पैरा 3.5)**

II. <u>सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन</u>

- 18558 केवाईसी रेकॉर्ड्स की नमूना जांच के दौरान सुरक्षा मानकों से विचलन देखे गए क्योंकि प्रतिस्थापन-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट 2531 मामलों (13.64 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, 2367 मामलों (12.75 प्रतिशत) में प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। **(पैरा 4.1.1 और 4.1.2)**

- लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित एलपीजी कार्यप्रणालियों के उपयोग के मामले भी देखे गए थे जैसे कि चूल्हे को जमीन पर/सिलिंडर के लेवल से नीचे रखा गया था, अवमानक पाइप का उपयोग किया जा रहा था। **(पैरा 4.1.4)**

III. <u>अवसंरचना संबंधी तैयारी</u>

- ओएमसी द्वारा लक्षित 10000 नए एलपीजी वितरक शुरू करने में अपर्याप्त प्रयासों के कारण मौजूदा एलपीजी वितरकों को घर पर वितरण की बजाय लंबी दूरी पर या गोदाम/नामित स्थान से सिलिंडरों की आपूर्ति हेतु विवश होना पड़ा।

(पैरा 5.3.1)

- 36.62 लाख एलपीजी रिफिल की सुपुर्दगी में सात दिनों की निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के प्रति 10 दिनों से अधिक (664 दिन तक) का विलंब हुआ था। इसके अलावा, एमडीजी के लक्षित सुपुर्दगी समय मानकों के अनुपालन में एलपीजी वितरकों के खराब कार्य-निष्पादन की ओएमसी द्वारा निगरानी नहीं की गई थी।

(पैरा 5.3.1.3 और 5.3.1.4)

- वित्त व्यय समिति और पीपीएसी सीआरआईएसआईएल ने एलपीजी उपयोग हेतु बाधा के रूप में उच्च रिफिल लागत पर विचार करते हुए पीएमयूवाई को सफल बनाने हेतु 5 कि.ग्रा. के छोटे सिलिंडरों के महत्व को उजागर किया, फिर भी इस दिशा में प्रयासों में कमी देखी गई क्योंकि केवल 92005 (3.78 करोड़ कनेक्शनो का 0.24 प्रतिशत) लाभार्थियों को 5 कि.ग्रा. के सिलिंडरों के कनेक्शन दिए गए थे। **(पैरा 5.4)**

IV. <u>बीपीएल परिवारों का एलपीजी में पारगमन</u>

- एलपीजी के निरंतर उपयोग को बढावा देना बड़ी चुनौती रहा है क्योंकि 1.93 करोड़ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (जिन्होने 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष से अधिक पूरा कर लिया है) की वार्षिक औसत रिफिल खपत केवल 3.66 रिफिल थी जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी। 31 दिसम्बर 2018 तक 3.18 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए इसी प्रकार के विश्लेषण से पता चला कि रिफिल की खपत 3.21 रिफिल प्रति वर्ष तक गिर गई थी। **(पैरा 6.2.1)**

- वाणिज्यिक उपयोग हेतु घरेलू सिलिंडरों के व्यपवर्तन का जोखिम देखा गया था क्योंकि 1.98 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों की औसत वार्षिक खपत 12 सिलिंडरों से अधिक थी जो उनके बीपीएल दर्जे के मद्देनजर असंभव प्रतीत होती है। इसी प्रकार, 13.96 लाख लाभार्थियों ने एक माह में 3 से 41 रिफिल की खपत की थी। इसके अलावा, आईओसीएल और

एचपीसीएल ने 3.44 लाख मामलों में सिंगल बोटल सिलिंडर के कनेक्शन वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों को एक दिन में 2 से 20 रिफिल जारी किए थे।

(पैरा 6.2.3)

- 0.92 करोड़ ऋणी उपभोक्ताओं (जिन्हे दिसम्बर 2018 तक एक साल से ज्यादा का समय हो गया था) द्वारा रिफिल की कम खपत (तीन तक) से ₹ 1234.71 करोड़ के बकाया ऋण की वसूली में बाधा आई। **(पैरा 6.4.1)**

V. **<u>वित्तीय प्रबंधन</u>**

- हालांकि, पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने हेतु वर्ष-वार लक्ष्य को वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए दो करोड़ कनेक्शन प्रत्येक पर संशोधित किया गया था (सितंबर 2017), फिर भी न तो 2017-18 के संशोधित अनुमानों को और न ही 2018-19 के बजट अनुमानों को लक्ष्यों के संशोधन या पिछले वर्षो की कमी को पूरा करने के अनुरूप आबंटित किया गया। इसके कारण इन वर्षों में बजट में कमी की वजह से ओएमसी के दावों का आंशिक निपटान हुआ था। **(पैरा 7.1)**
- सीएसआर पूल के अंतर्गत निधियों का अधिक संचय हुआ था जो बिना वास्तविक मूल्यांकन के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के दिशानिर्देशों से हुआ था। अतएव, ₹ 261.85 करोड़ की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जिसका उपयोग अन्य पात्र परियोजनाओं में अन्यत्र किया जा सकता था।

(पैरा 7.2)

सिफारिशें

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

- डी -डुप्लिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा के साथ ही साथ नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए।
- अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में उचित इनपुट नियंत्रण, डेटा सत्यापन और अनिवार्य क्षेत्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए;
- सही जानकारी प्राप्त करना और पीएमयूवाई लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रमाणित करना जैसे दोहरे लाभ के लिए ई-केवाईसी को शुरू करने की आवश्यकता है।
- यदि परिवार अन्य प्रकार से पीएमयूवाई के तहत पात्र पाया जाता है, तो अवयस्क लाभार्थियों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन को वयस्क परिवार के सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- लाभार्थियों के साथ एएचएल टिन साझा करने की व्यवहार्यता को एमओआरडी के साथ समन्वय में एमओपीएनजी द्वारा पता लगाया जा सकता है।

- पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति में जोखिम खतरों से बचने के लिए अनिवार्य निरीक्षण की लागत पर सब्सिडी देने के विकल्प का पता लगाया जा सकता है।
- यद्यपि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को मोटे तौर पर हासिल किया लिया गया है, शून्य/कम खपत श्रेणी में पीएमयूवाई लाभार्थियों को निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- व्यपवर्तन पर रोक लगाने के लिए रिफिल की उच्च खपत के मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- सीमित नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, पूरे एलपीजी डेटाबेस के साथ-साथ भौतिक रिकॉर्ड की भी जांच की जानी चाहिए ताकि अयोग्य/पुरुष/अवयस्क लाभार्थियों/बहु कनेक्शनों को कनेक्शन जारी करने में पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।
- एमओपीएनजी, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और घरेलू वायु प्रदूषण में कमी जैसे मापन-योग्य लाभों के परिणाम के आकलन के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित कर सकता है।
- जैसा कि योजना में परिकल्पित है, योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा की जा सकती है।

सिफारिशों की चर्चा निकास सम्मेलन में की गई थी और इसे मोटे तौर पर एमओपीएनजी द्वारा स्वीकार किया गया था।

अध्याय 1 :
प्रस्तावना

अध्याय 1 : प्रस्तावना

1.1 परिप्रेक्ष्य

भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। यह अभाव मुख्यत: महिलाओं और बच्चों द्वारा झेला जाता है क्योंकि वे घरों में अशुद्ध ईंधन के जलाने से धुएं के हानिकारक प्रभावों के सबसे अधिक संपर्क में आते हैं। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन-एलपीजी, उपलब्ध कराते हुए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, भारत सरकार (जीओआई) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की (1 मई 2016)। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले ऐसे 5 करोड़ परिवारों की महिला सदस्य को नि:शुल्क एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध कराना है जो कम से कम एक अभाव से पीड़ित है।

एसईसीसी-2011 जनगणना सर्वेक्षण में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने देश में 24.49 करोड़ (17.97 करोड़ ग्रामीण और 6.52 करोड़ शहरी) परिवारों की गणना की। इसमें से 10.31 करोड़ परिवार {8.72 करोड़ ग्रामीण) (48.53 *प्रतिशत*) और 1.59 करोड़ शहरी (24.39 *प्रतिशत*)} कम से कम एक अभाव से पीड़ित है, जिनकी पीएमयूवाई के अंतर्गत पांच करोड़ एलपीजी कनैक्शन देने के लिए भारत सरकार ने पहचान की थी।

सरकार द्वारा पांच करोड़ नि:शुल्क एलपीजी कनैक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ एलपीजी कनैक्शन से संशोधित किया गया (फरवरी 2018) जिनमे उन परिवारों को ई-पीएमयूवाई योजना के तहत शामिल किया गया जो एसईसीसी-2011 सूची से पहचानी गई बीपीएल परिवार या सात श्रेणियों[1] में से किसी एक के अंतर्गत आती थी| ईपीएमयूवाई योजना के लक्ष्य को मार्च 2020 तक प्राप्त किया जाना है| तद्नुसार, प्रारंभिक बजट ₹8000 करोड़ से बढ़ा कर ₹12800 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2018)।

1.2 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011

एसईसीसी-2011 की जनगणना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उस समय के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में घर-घर जाकर विस्तृत रूप से की गई (2011)। एसईसीसी-2011 जनगणना ने बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 29 अंकों के अनन्य एएचएल टीआईएन[2] प्रदान किये। प्रत्येक परिवार के प्रथम 26 अंक प्रत्येक सदस्य के लिए समान हैं, और अंतिम तीन अंक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अनन्य हैं। '001' से समाप्त होने वाला एएचएल टीआईएन

[1] अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या अति पिछड़ा वर्ग या प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या चाय और पूर्व चाय बागान लाभार्थी जनजातियों या एससी/एसटी परिवार या द्वीप और नदी द्वीप पर रहने वाले परिवार या जंगल में रहने वाले परिवार

[2] संक्षिप्त घरेलू सूची अस्थायी पहचान संख्या

'परिवार के मुखिया' को दर्शाता है और 002, 003, 004 और इससे आगे ऐसी ही संख्या संबंधित सदस्यों को दर्शाता है।

पीएमयूवाई के लिए लक्षित लाभार्थी एसईसीसी-2011 में आने वाले बीपीएल परिवारों की वे महिलायें हैं जो कि 2011 के सर्वेक्षण में अग्रलिखित अभावों मे कम से कम एक अभाव से पीड़ित है:

ग्रामीण परिवार	शहरी परिवार
केवल एक कमरे का घर, कच्ची दीवार और कच्ची छत	केवल एक कमरे का घर, कच्ची दीवार और कच्ची छत
16 से 59 की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं	18 से 59 की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
16 और 59 वर्ष की आयु के किसी वयस्क सदस्य पुरूष के बिना महिला मुखिया वाला परिवार	18 और 59 वर्ष की आयु के किसी वयस्क सदस्य पुरूष के बिना महिला मुखिया वाला परिवार
दिव्यांग सदस्य वाला और बिना किसी सक्षम सदस्य वाला परिवार	किसी भी प्रकार की अपंगता वाले सदस्य का परिवार और 18 और 59 के बीच की आयु वाला कोई सबल वयस्क सदस्य न होना
एससी/एसटी परिवार	एससी/एसटी परिवार
25 **वर्ष की आयु से ऊपर कोई साक्षर वयस्क परिवार में न हो**	21 वर्ष की आयु से ऊपर कोई साक्षर वयस्क परिवार में न हो
भूमिरहित परिवार जो मैन्यूल अस्थाई श्रम से अपनी आजीविका का बड़ा भाग अर्जित करते हैं।	किसी प्रकार की दीर्घाकालिक बीमारी से ग्रसित सदस्य वाला परिवार और 18 और 59 वर्ष की आयु के बीच सक्षम वयस्क सदस्य रहित परिवार
	बिना किसी नियमित वेतन के, असंयोजित रोजगार से आय परिवार का मुख्य स्त्रोत है।

1.3 बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना

पीएमयूवाई ने निर्दिष्ट किया कि एलपीजी कनैक्शन एसईसीसी-2011 की सूची में आने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पर उपलब्ध कराए जाएगे। एलपीजी कनैक्शन प्राप्त करने के लिए, योग्य बीपीएल परिवार के लाभार्थी को निर्दिष्ट फार्म भरना होगा, नजदीकी एलपीजी वितरक के पास आवेदन करना होगा, अपेक्षित केवाईसी[3] पूरा करना होगा, आवासीय पते का प्रमाण, आधार नम्बर और अपने बैंक एकाउंट का विवरण उपलब्ध कराना होगा। अगर उसके पास आधार नम्बर नहीं है तो एलपीजी वितरक को उक्त को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी होगी। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों (18 वर्ष के ऊपर) की आधार संख्या

[3] अपने ग्राहक को जानें

उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है। यदि उसके परिवार के वयस्क सदस्य के पास आधार नम्बर नहीं है, तो उसे एक शपथ-पत्र देना अपेक्षित है कि (परिवार के सभी सदस्यों की) आधार संख्या का पूरा सैट छः महीने में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसे यह उद्घोषणा करनी भी आवश्यक है कि परिवार के अन्य किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं लिया गया है।

आवेदन प्राप्त करने पर, एलपीजी वितरक द्वारा एसईसीसी-2011 डेटाबेस से आवेदन विवरण का सत्यापन करना और लाभार्थी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करना अपेक्षित है तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक के परिवार के अधिकार में कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है। तब, उन्हें इस उद्देश्य हेतु सृजित ओएमसी के संबंधित वैब पोर्टल पर आवेदन के विवरण की प्रविष्टि करनी होती है। एलपीजी उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय डेटाबेस की मशीन सर्च द्वारा पुष्टि करने के बाद कि देश में कहीं भी उक्त परिवार के पास कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है, पीएमयूवाई के अंतर्गत आवेदक को एक नया एलपीजी कनैक्शन आवंटित कर दिया जाता है।

1.4 पीएमयूवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

पीएमयूवाई निर्दिष्ट करता है कि एलपीजी सिलेंडर, प्रैशर रैगुलेटर और संस्थापन प्रभार आदि के लिए प्रतिभूति जमा के प्रति ₹1600 प्रति एलपीजी कनैक्शन की राशि एसईसीसी-2011 में शामिल उन बीपीएल परिवार को जिनके पास पहले से कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है, की वयस्क महिलाओं को एकल वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) कुकिंग स्टोव और प्रथम रिफिल की लागत को कवर करने के लिए, यदि लाभार्थी चाहें तो, ऋण हेतु पीएमयूवाई लाभार्थियों को एक विकल्प प्रदान करेंगें। ऋण की इएमआई राशि रिफिल पर लाभार्थियों को देय सब्सिडी राशि से ओएमसी द्वारा वसूल की जाएगी।

सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्रेक-अप तथा ओएमसी द्वारा प्रदत्त स्टोव की तथा पहले रिफिल की कीमत के प्रति वैकल्पिक ब्याज-रहित ऋण सुविधा के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 1.1: वित्तीय सहायता का ब्रेक-अप और ऋण राशि के विवरण

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)
1.	सुरक्षा जमा (14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर)	1250
2.	सुरक्षा जमा (प्रैशर रेगुलेटर)	150
3.	सुरक्षा नली	100
4.	घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड पुस्तिका	25
5.	संस्थापन, प्रशासनिक शुल्क	75
क	कुल (1+2+3+4+5)	1600 (भारत सरकार से सहायता)[4]
6.	स्टोव की लागत	990
7.	14.2 किलो सिलेंडर के लिए रिफिल की सांकेतिक लागत	517
ख	कुल (6+7)	1507 (ओएमसीज द्वारा वैकल्पिक ऋण सुविधा)
ग	कुल योग (क+ख)	3107
घ	केंद्र सरकार से बजटीय सहायता	1600
ड़	ओएमसीज द्वारा लाभार्थी को वित्त (या ऋण)	1507

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि राज्य सरकार/एक स्वयंसेवी संगठन/कोई व्यक्ति स्टोव और/ या पहले रिफिल की लागत में सहयोग के इच्छुक हो तो, वे पीएमयूवाई के दायरे में रहकर ऐसा कर सकेंगे और किसी अन्य योजना के नाम/ टैगलाईन पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के अनुमोदन के बिना अनुमत नहीं होगा। तद्नुसार, अग्रलिखित राज्य सरकारें पीएमयूवाई लाभार्थियों को गैस स्टोव और पहले रिफिल की लागत के प्रति आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं:

तालिका 1.2: आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता के विवरण

राज्य	विवरण
असम	स्टोव की लागत
अरुणाचल प्रदेश	स्टोव की लागत
झारखंड	स्टोव की लागत और पहली रिफिल राशि
छत्तीसगढ़	लाभार्थी द्वारा ₹ 200 का योगदान के उपरान्त स्टोव की लागत और पहली रिफिल राशि

इन राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता राशि नीचे दी गई है:

[4] इसमें से, एलपीजी वितरकों को ओएमसीज द्वारा उपरोक्त 3 से 5 मदों के लिए ₹ 200 का भुगतान किया जाएगा।

तालिका 1.3: 31.12.2018 तक राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण

ओएमसीज	छत्तीसगढ़		झारखंड		असम		अरुणाचल प्रदेश	
	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)
आईओसीएल	1047851	155.88	738080	127.08	1142896	113.15	4370	0.43
एचपीसीएल	587166	86.87	369440	63.00	131446	13.01	0	0
बीपीसीएल	507447	75.79	504267	74.26	406065	38.48	303	0.03
कुल	**2142464**	**318.54**	**1611787**	**264.34**	**1680407**	**164.64**	**4673**	**0.46**

1.4.1 पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदत्त ब्याज रहित ऋण

योजना के अनुसार, ओएमसीज ने पहले रिफिल की लागत और/या गैस स्टोव की लागत के संबंध में पीएमयूवाई लाभार्थियों को गैर प्रतिभूति वाला और ब्याज-रहित ऋण भी प्रदान किया है। 31 दिसम्बर 2018 तक, 68.25 *प्रतिशत* लाभार्थियों ने ओएमसी से ऋण प्राप्त किया है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदत्त ब्याज रहित ऋण के तथा मई 2016 से दिसम्बर 2018 की अवधि हेतु इनके प्रति वसूली के ओएमसी-वार विवरण अग्रलिखित थे:

तालिका 1.4: प्रदत्त ऋण एवं वसूली के ओएमसी वार विवरण (आंकड़ें करोड़ में)

ओएमसी	पीएमयूवाई सक्रिय कनेक्शनों की कुल सं.	ऋण लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या	ऋण राशि (₹)		
			प्रदत्त	वसूली	बकाया
आईओसीएल	1.80	1.25	2035.51	798.40	1237.11
बीपीसीएल	0.98	0.62	1010.00	365.40	644.60
एचपीसीएल	1.00	0.71	1147.28	411.92	735.36
कुल	**3.78**	**2.58**	**4192.79**	**1575.72**	**2617.07**

1.5 योजना की कार्यान्वयन स्थिति

पांच करोड़ एलपीजी कनैक्शन से आठ करोड़ तक के लक्ष्य में पूर्ण संशोधन के साथ, प्रति वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक दो करोड़ एलपीजी कनैक्शन के वर्ष-वार लक्ष्य भी संशोधित किये गये थे (सितम्बर 2017)। 31 मार्च 2019 तक, ओएमसीज ने पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.81 करोड़ और ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.38 करोड़ एलपीजी कनैक्शन 36 राज्यों/यूटी में जारी किये। वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

तालिका 1.5: पीएमयूवाई एलपीजी कनैक्शन जारी किये जाने के लक्ष्य और उपलब्धियां (सं. करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
2016-17	2.00	2.00
2017-18	2.00	1.56
2018-19	2.00	0.25
कुल		**3.81**
ई-पीएमयूवाई कनेक्शन (2018-19)		**3.38**
कुल		**7.19**

(स्त्रोत: पीपीएसी और आईओसीएल)

7.19 करोड़ एलपीजी पीएमयूवाई कनैक्शन के वितरण के साथ, पूरे भारत में एलपीजी कवरेज 1 मई 2016 (पीएमयूवाई के आरंभ से) को 61.90 *प्रतिशत* से 1 अप्रैल 2019 को 94.30 *प्रतिशत* तक हो गया है।

1.6 मुख्य पणधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

1.6.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

एमओपीएनजी ने योजना तैयार की और ओएमसी द्वारा उक्त को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना की समग्र निगरानी के लिए मंत्रालय उत्तरदायी है। इसने समय-समय पर योजना के सहज कार्यान्वयन हेतु पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सैल (पीपीएसी) के साथ-साथ ओएमसीज को स्पष्टीकरण/निर्देश जारी किये हैं।

1.6.2 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सैल

पीपीएसी ओएमसीज के दावों की उनके खाते से संवीक्षा करती है और एमओपीएनजी को अग्रेषित करती है जो बदले में ओएमसीज को उक्त की प्रतिपूर्ति करता है।

1.6.3 तेल विपणन कंपनियां

ओएमसीज अपने एलपीजी वितरकों द्वारा (उपरोक्त पैरा 1.3 में निर्दिष्ट विभिन्न चरणों के पूरा होने के बाद) बीपीएल परिवारों की पात्र महिलाओं को पीएमयूवाई कनैक्शन प्रदान करता है। ओएमसीज मासिक आधार[5] पर पीएमयूआई के अंतर्गत जारी किये गये/ संस्थापित किये गये कनैक्शन के लिए पीपीएसी को दावे प्रस्तुत करती है।

ओएमसीज सूचना देने, शिक्षित करने और संप्रेषण (आईईसी) गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी है जिसमें क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व की उपस्थिति में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पीएमयूवाई को बढ़ावा देने और कनैक्शन जारी करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'मेले' आयोजित करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज सुरक्षा क्लीनिक/कैंप

[5] अगस्त 2016 तक, यह तिमाही आधार पर था।

और एलपीजी पंचायतों द्वारा ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज ने सार्वजनिक देयता बीमा कवर भी लिया है ताकि एलपीजी संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में पंजीकृत/प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाई जा सके।

1.7 निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी अग्रलिखित स्तरों पर की जाती है:

जिला स्तर पर: जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) का होता है जो कि तीन ओएमसीज में से किसी एक का कर्मचारी होता है। डीएनओ कार्यान्वयन अभियानों को डिजाईन और संचालित करते हैं तथा बैंक/आधार संयोजन सुविधा देने के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ सहयोग भी करते हैं। डीएनओ पात्र बीपीएल परिवारों के बीच उत्साह सृजन के लिए योजना हेतु विज्ञापन और प्रोत्साहन अभियान के लिए भी उत्तरदायी हैं।

राज्य स्तर पर: प्रत्येक राज्य में सभी तीन ओएमसीज से अधिकारियों की एक राज्य-स्तर संचालन समिति स्थापित की गई जिनमे से कोई एक राज्य स्तर संचालक (एसएलसी) के रूप में कार्य करता है । राज्य के खाद्य और सामान्य आपूर्ति प्रधान सचिव को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर: संयुक्त सचिव (विपणन), निदेशक (एलपीजी) और एमओपीएनजी से सलाहकार और ओएमसी के कोर दल सदस्यों द्वारा उज्ज्वला कोर ग्रुप को गठित किया गया है। यह एमओपीएनजी के डीबीटीएल[6] सेल से संचालित होती है जिसे डीएनओ तथा ओएमसीज द्वारा पीएमयूवाई सूचना देने और एमओपीएनजी की तुरंत कार्रवाई हेतु अपेक्षित अन्य मामले प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जा सकता है।

एमओपीएनजी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस), जो एक वेब आधारित समाधान है, द्वारा पीएमयूआई कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है जिसे विभिन्न रिपोर्ट उदाहरणार्थ जिला-वार रिपोर्ट, राज्य-वार रिपोर्ट, दैनिक वृद्धि रिपोर्ट आदि उपलब्ध करवाने के लिए विकसित किया गया है।

[6] एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

अध्याय 2:
लेखापरीक्षा रूप रेखा

अध्याय 2: लेखापरीक्षा रूप रेखा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य अग्रलिखित है:

- क्या पीएमयूवाई कनैक्शन पर्याप्त सावधानी के बाद एसईसीसी-2011 सूची के केवल पात्र और अभीष्ट परिवारों को ओएमसी द्वारा जारी और संस्थापित किये गए हैं?
- क्या पीएमयूवाई लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एलपीजी वितरण नेटवर्क के प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त उपाय किये गये हैं?
- क्या ओएमसीज ने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार पीएमयूआई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए और योजना की जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाये हैं?
- क्या पीएमयूवाई योजना ने लाभार्थियों को एलपीजी के निरंतर उपयोग हेतु बढ़ावा दिया है?

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में मई 2016 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान पीएमयूवाई (ई-पीएमयूवाई को छोड़कर) के कार्यान्वयन को कवर किया गया। ओएमसी द्वारा उपलब्ध कराये गये 31 दिसम्बर 2018 तक के पीएमयूवाई उपभोक्ता ट्रांजैक्सन डेटाबेस का डेटा विश्लेषण किया गया। यद्यपि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में मार्च 2018 तक पीएमयूवाई लेन-देनों की लेखापरीक्षा शामिल थी। इसमें चयनित एलपीजी वितरकों पर पीएमयूवाई लाभार्थियों के केवाईसी/ अन्य दस्तावेजों की जांच के अतिरिक्त तीन ओएमसीज के विपणन मुख्यालय राज्य/जोनल/प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में अवसरंचना की क्षमता की समीक्षा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, नमूने में कवर किये गये प्रत्येक एलपीजी वितरक पर चयनित पीएमयूवाई लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था। एमओपीएनजी/पीपीएसी में योजना की निगरानी और ओएमसीज के दावों के निपटान की समीक्षा की गई थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

अग्रलिखित लेखापरीक्षा मानदंड प्रयुक्त किये गये थे:

- ❖ पीएमयूवाई पर केबिनेट नोट और कार्यसूची;
- ❖ पीएमयूवाई के आरंभ करने और कार्यान्वयन हेतु ओएमसीज को एमओपीएनजी द्वारा जारी किये गये परिपत्र/दिशानिर्देश/निर्देश आदि;
- ❖ पीएमयूवाई के कार्यान्वयन हेतु स्थापित साधन;

- ❖ पात्र बीपीएल परिवारों के विवरण वाला एसईसीसी-2011 डेटा;
- ❖ पीएमयूवाई दावों के प्रस्तुतीकरण और निपटान हेतु एमओपीएनजी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया;
- ❖ पीएमयूवाई और बीपीएल लाभार्थियों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के संबंध में ओएमसीज का बोर्ड कार्यसूची और कार्यवृत्त ।

2.4 लेखापरीक्षा नमूना और नमूनाकरण पद्धति

31 मार्च 2018 तक, 15736 एलपीजी वितरको के पास सक्रिय पीएमयूवाई लाभार्थी थे। ओएमसी-वार वितरक और उनके पंजीकृत तथा सक्रिय पीएमयूवाई लाभार्थियों के विवरण नीचे दिये गये है:

तालिका 2.1: पीएमयूवाई एलपीजी वितरक और लाभार्थियों के ओएमसी-वार विवरण (31.03.2018 को)

विवरण	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
एलपीजी वितरकों की कुल संख्या	7883	3857	3996	**15736**
कुल पंजीकृत ग्राहक	1.69 करोड़	0.95 करोड़	0.96 करोड़	**3.60** करोड़
कुल सक्रिय ग्राहक	1.66 करोड़	0.91 करोड़	0.95 करोड़	**3.52** करोड़

लेखापरीक्षा ने वितरकों के स्तर पर निम्नलिखित जोखिम मानदंडों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए ओएमसी के बाजार शेयर आधार पर 164 वितरकों (15736 का 1.04 *प्रतिशत*) का चयन किया:

- गैस स्टोव और पहली रिफिल के लिए ब्याज रहित ऋण के साथ जारी किये गये पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनो की संख्या।
- बिना रिफिल के कनैक्शन की संख्या अर्थात जहां एलपीजी कनैक्शन जारी किये गये थे परन्तु लाभार्थियों के परिसर में स्थापित नहीं किये गये थे।
- पीएमयूवाई कनैक्शन के जारी करने के बाद केवल एक रिफिल लेने वाले वाले कनैक्शनों की संख्या।
- प्रतिमाह एक से अधिक रिफिल लेने वाले कनैक्शनों की संख्या।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए नमूने में चयनित एलपीजी वितरकों में 17.61 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों अर्थात कुल पीएमयूवाई लाभार्थियों का लगभग पांच *प्रतिशत* तक कवर किया गया है।

2.4.1 नमूनाकरण प्रक्रिया

लेखापरीक्षा द्वारा अग्रलिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए लेखापरीक्षा नमूने को प्राप्त करने के लिए डेटा विश्लेषण तंत्र प्रयुक्त किया गया था:

क) ऊपर बताये गये मानदंडों में से प्रत्येक के लिए वितरक-वार *प्रतिशतक* की गणना तीनो ओएमसीज के लिए की गई थी;

ख) तीनो ओएमसीज के सभी वितरकों के लिए संचयी *प्रतिशतक* निकालने के लिए चार मापदंडों के लिए वितरक-वार *प्रतिशतक* जोड़े गए;

ग) प्रत्येक ओएमसी के एलपीजी वितरकों को तब चार भौगोलिक क्षेत्रों उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विभाजित किया गया था।

घ) प्रत्येक क्षेत्र में ओएमसी में एलपीजी वितरकों को तब सक्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या के अवरोही क्रम में रखा गया था और तीन वर्गों में विभाजित किया गया था अर्थात वितरकों की समान संख्या के साथ शीर्ष, मध्य और निचले वर्गों मे;

ङ) प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित ओएमसीज के प्रत्येक वर्ग में, एलपीजी वितरकों को तब संचयी *प्रतिशतक* के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया था;

एलपीजी वितरकों को उपरोक्त ओएमसी के लिए क्रमश: शीर्ष, मध्य और निचले वर्गों के लिए 6:3:1 के अनुपात में उपरोक्त तीन वर्गों से चुना गया।

2.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखा परीक्षा 19 जुलाई 2018 को एमओपीएनजी और ओएमसीज के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ शुरू हुई जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। तत्पश्चात, क्षेत्रीय स्तर पर प्रवेश सम्मेलन भी संबंधित एमएबी द्वारा आयोजित किए गए थे।

31 दिसंबर 2018 तक के पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस का, जैसा कि तीन ओएमसीज द्वारा प्रदान किया गया, लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था। इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडिया) टूल की सहायता से विश्लेषण किया गया। नमूने के अनुसार 164 चयनित वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई थी ताकि यह जांचा जा सके कि वितरकों और ओएमसी द्वारा आवेदकों की पहचान और पात्रता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त परिश्रम किया गया था या नहीं। चयनित 164 एलपीजी वितरकों में से प्रत्येक पर कम से कम 10 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के साथ कम से कम 100 केवाईसी रिकॉर्ड की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। तदनुसार, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा के दौरान कुल 18558 पीएमयूवाई लाभार्थियों के केवाईसी रिकॉर्ड की समीक्षा की गई और 1662 पीएमयूवाई लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण किए गए।

इसके अतिरिक्त, ओएमसीज की एलपीजी अवसंरचना की समीक्षा और पीपीएसी के साथ ओएमसी द्वारा दर्ज नकद सहायता दावों और एमओपीएनजी द्वारा जारी भुगतान की भी लेखापरीक्षा की गई थी।

मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, 15 मार्च 2019 को तीनों ओएमसी को जारी की गई थी। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए ओएमसीज का उत्तर अप्रैल 2019 में मिला था, जिसे एमओपीएनजी को जारी की गई मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (26 अप्रैल 2019) में विधिवत शामिल किया गया था। एमओपीएनजी द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तरों के साथ-साथ 30 मई 2019 को आयोजित निकास सम्मेलन

के दौरान दिए गए उत्तरों को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधिवत शामिल किया गया था।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पीएमयूवाई योजना के प्रत्येक उद्देश्य पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

- ❖ अध्याय 3: पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शनों का वितरण
- ❖ अध्याय 4: सुरक्षा मानकों का अनुपालन
- ❖ अध्याय 5: अवसंरचना संबंधी तैयारी
- ❖ अध्याय 6: बीपीएल परिवारों का एलपीजी मे पारगमन
- ❖ अध्याय 7: वित्तीय प्रबंधन
- ❖ अध्याय 8: निष्कर्ष और सिफारिशें

यह देखा जा सकता है कि कुछ टिप्पणियों में उजागर किये गये डेटा में विसंगतियों के परिणाम को जांच किये गये नमूना आकार की तुलना में मामलों की संख्या या सम्मिलित राशि के रूप में इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। लेखापरीक्षा में यद्यपि, निष्कर्ष योजना उद्देश्यों के प्राप्त किये जाने की सीमा और प्रणाली परिप्रेक्ष्य से विशेष विसंगतियों को उजागर करने के लिए सूचित किया गया है ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को बेहतर सेवाऐं देने के लिए योजना का कार्यान्वयन भली-भाँति किया जा सके।

अध्याय 3:
पीएमयूआई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शनों का वितरण

अध्याय 3: पीएमयूआई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शनों का वितरण

पीएमयूवाई के लक्षित लाभार्थी देश में एलपीजी से वंचित बीपीएल परिवार है। योजना का उद्देश्य एकल सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से इन बीपीएल परिवारों को खाना पकाने के अस्वच्छ से स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन का समर्थन करके एलपीजी कवरेज में लाना है। एमओपीएनजी ने पीएमयूवाई के, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्यान्वयन तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार की:

1. बीपीएल परिवार की महिला, जिसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह निर्धारित प्रारूप मे विवरण जैसे पता, जनधन/बैंक खाता, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की आधार संख्या एलपीजी वितरक को देकर एलपीजी कनैक्शन के लिए आवेदन कर सकती है।
2. ओएमसीज द्वारा एसईसीसी-2011 डेटाबेस से आवेदनों का मिलान किया जाता है और उनकी बीपीएल स्थिति सुनिश्चित करने के बाद, निर्धारित ओएमसी वैब पोर्टल में विवरण डाला जाता है। किसी पीएमयूवाई लाभार्थी की प्राथमिक पहचान एएचएल टीआईएन के आधार पर की जाती है जो प्रत्येक लाभार्थी की पहचान संख्या है।
3. ओएमसीज इलैक्ट्रॉनिक रूप से डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया और केवाईसी की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नये कनैक्शन केवल पात्र लाभार्थी को ही जारी किये गये हैं।

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शन जारी करने की प्रक्रिया निम्न प्रवाह चार्ट में वर्णित है:

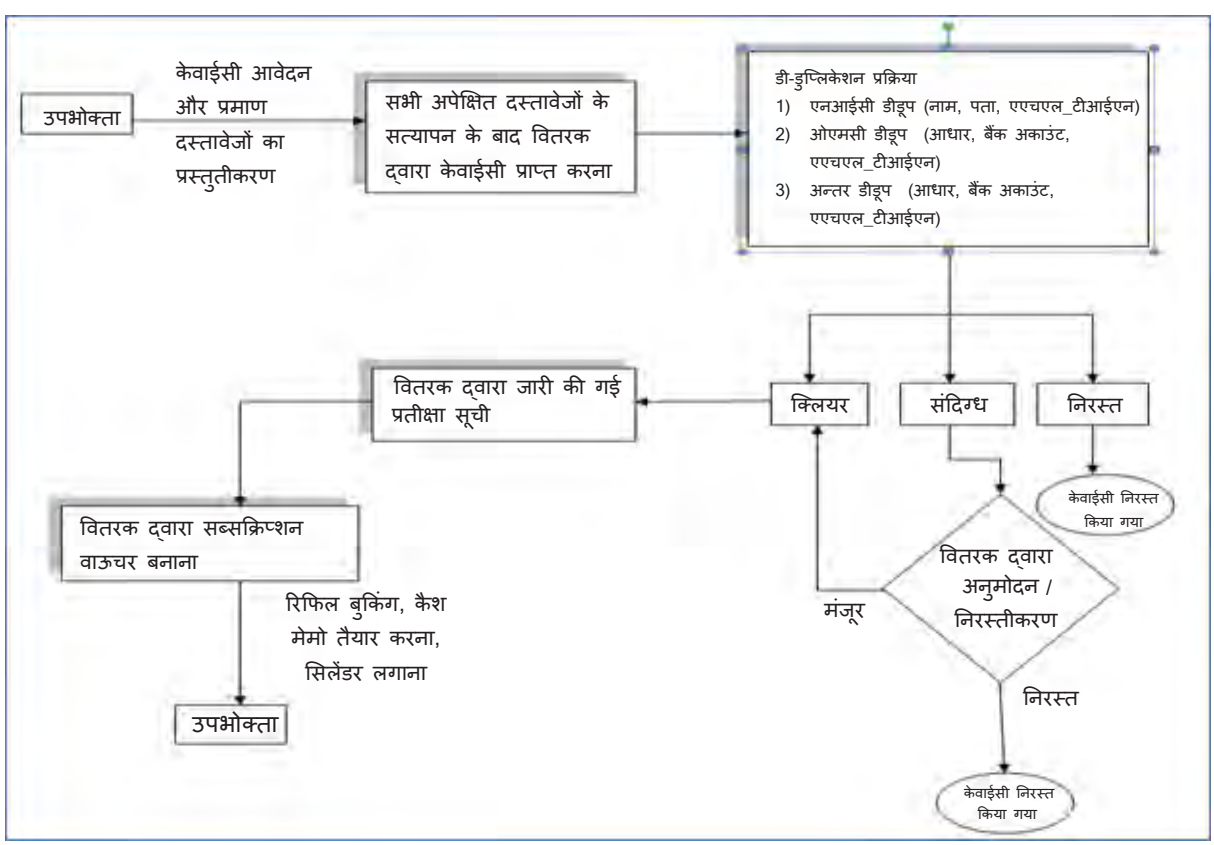

(स्रोत - आईओसीएल)

लाभार्थियों की पहचान किसी भी सामाजिक समावेश योजना के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता में एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावकारिता का निर्धारण, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया कि कनैक्शन संबंधित पात्र और योग्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को जारी किये गए थे। यह ओएमसीज द्वारा प्रदान किए गए डेटा, एसईसीसी डेटा और वितरकों के परिसरों में केवाईसी जांच की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का विशलेषण करके किया गया था। उक्त प्रयोग से सामने आने वाली टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

3.1 पीएमयूवाई लाभार्थियों से सभी वयस्क परिवार के सदस्यों की आधार संख्या प्राप्त नहीं करना

पीएमयूवाई कार्यान्वयन के तौर तरीके अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते है कि एक महिला लाभार्थी को परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या प्रस्तुत करना आवश्यक है और ओएमसीज द्वारा एक ही घर में अनेक कनेक्शन दिये जाने की संभावना को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से डी-डुप्लिकेशन कार्य शुरू किये गए हैं। पीएमयूवाई साधनों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए, एमओपीएनजी ने अधिसूचित कर बताया[7] (23 जून 2016) कि उज्ज्वला केवाईसी के अनुमोदित प्रारूप में केवाईसी जांच करने के लिए निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य था:

- 18 वर्ष से अधिक आयु के घर के सदस्यों के ब्यौरे (एक ही रसोईघर का प्रयोग करने वाले एक आवास इकाई में एक साथ रहने वाले लोगों को शामिल करते हुए);
- आधार कार्ड की प्रतियों के साथ परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या;
- राशन कार्ड के ब्यौरे अर्थात् जारी करने वाला राज्य, राशन कार्ड की प्रति के साथ राशन कार्ड संख्या।

पीएमयूवाई पुस्तिका (जुलाई 2016) में स्पष्ट किया गया है कि *"प्राप्तकर्ता लाभार्थी के नाम पर आधार के साथ ही बैंक खाता होना अनिवार्य है। घर के अन्य सदस्यों के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है"।*

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस का विश्लेषण करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 3.78 करोड़ सक्रिय पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों में से, ओएमसी ने केवल लाभार्थियों के आधार कार्ड पर ही 1.60 करोड़ (42 प्रतिशत) कनेक्शन जारी किये, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[7] पत्र सं. पी-17018/1/2016-एलपीजी

(संख्या करोड़ में)

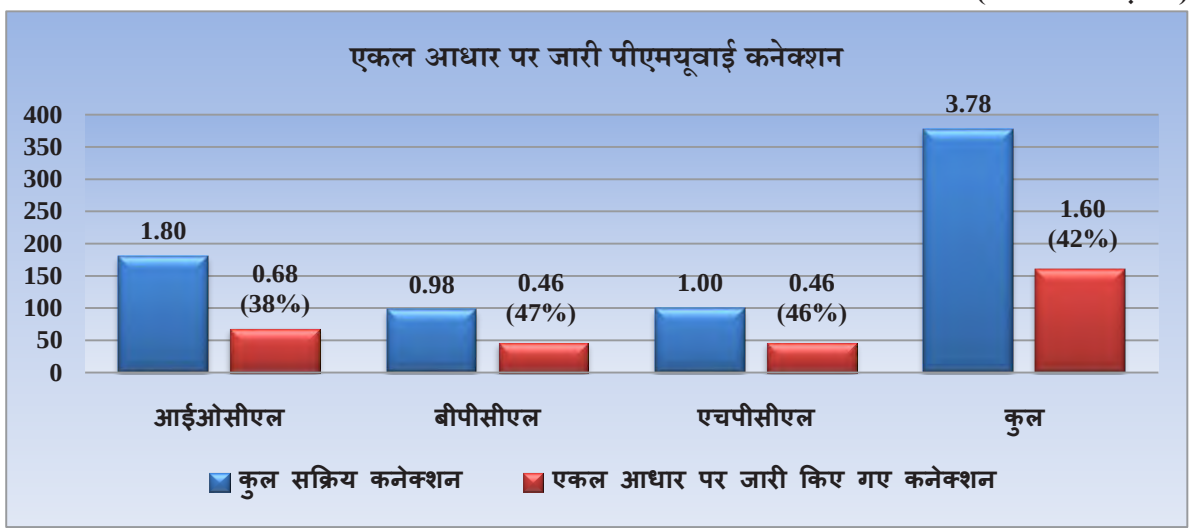

लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित पाया:

1. बहु कनेक्शनों की पहचान करने के लिए आधार संख्या के आधार पर ओएमसीज ने पहल (डीबीटीएल)[8] आंरभ होने के बाद अपने संबंधित डेटाबेसों के अंतर्गत एक इंट्रा-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन (मई 2013) के साथ-साथ इंटर-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन शुरू किया (2014) । इसके अतिरिक्त, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन साधनों और उज्जवला केवाईसी के अनुसार, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार अनिवार्य रूप से एकत्र किए जाने थे। तदनुसार, पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने से पूर्व दोहरीकरण को रोकने के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या प्राप्त करके उनको सिस्टम मे प्रविष्ट किया जाना था।

2. चयनित एलपीजी वितरकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1206 केवाईसी में से यद्यपि 361 पीएमयूवाई लाभार्थियों ने केवाईसी के साथ अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की आधार संख्या प्रस्तुत की थी, एलपीजी वितरकों ने एलपीजी वेब पोर्टल पर इसको दर्ज नहीं किया था। ओएमसी वेब पोर्टल से परिवार के सदस्यों की आधार संख्या का वैधीकरण करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिवार के व्यस्क सदस्यों की उपलब्ध 361 आधार संख्या में से, 72 (20 प्रतिशत) समान/अन्य ओएमसी मे किसी अन्य एलपीजी कनेक्शनों के साथ मौजूद पाए गए थे जो लाभार्थी परिवारों में अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शनों के होने की पुष्टि करता है।

3. इसके अलावा, इस योजना के अनुसार, यदि परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या उपलब्ध नहीं थी, तो ओएमसीज को परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी थी । हालांकि, ओएमसीज के एलपीजी सोफ्टवेयर में एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के बाद आधार को प्रविष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था।

[8] भारत सरकार ने (नवंबर 2014) ओएमसी की घरेलू एलपीजी वितरण प्रणाली में गड़बडी और विपथन पर रोक लगाने के उद्देश्य से एलपीजी सब्सिडी की सीधे उपभोक्ता को हस्तांतरित करने के लिए पहल (डीबीटीएल) को आरंभ किया गया था।

ऐसे मामले केवल संकेतिक हैं जो नमूना जांच के दौरान पाए गए थे और जिसके कारण घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू उपयोग हेतु विपथन हो सकता है क्योंकि उन आधार संख्याओं पर बहु कनेक्शन हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं किए गए थे। अतः पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्याओं को प्राप्त नहीं करने/फीड नहीं करने के कारण परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की आधार संख्या पर डी-डुप्लिकेशन ओएमसीज के द्वारा नहीं किया जा सका, जो कनेक्शनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु विपथन के जोखिम को उजागर करता है।

ओएमसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की प्रारंभिक योजना दस्तावेज के अनुसार (31 मार्च 2016) परिवार के सदस्यों का आधार अनिवार्य नहीं था और केवाईसी के प्रचलित मानदंडों के अनुरूप, पीएमयूवाई आवेदकों से परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्याओं के अनिवार्य संग्रहण के बिना नामांकन शुरू किया गया था। इसके अलावा, पहल (डीबीटीएल) के लागू होने के बाद से, सब्सिडी हस्तांतरण को अधिनियमित करने के लिए केवल आवेदक के आधार का मानांकन किया गया था। तदनुसार, पीएमयूवाई के तहत समान प्रणाली को जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, बहु कनेक्शनों को रोकने के लिए, एएचएल टीआईएन डी-डूप को एनआईसी के द्वारा परिवार के एएचएल टीआईएन (26 अंक) और लाभार्थी के एएचएल टीआईएन (29 अंक) के आधार पर भी प्रारंभ किया गया था; जो एक ही एएचएल टीआईएन पर परिवार को बहु कनेक्शन जारी करने की संभावनाओं को समाप्त करता है। इसके अलावा, एमओपीएनजी द्वारा जारी एफएक्यू का उल्लेख करते हुए यह भी बताया गया कि परिवार के सदस्यों की आधार संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, उपभोक्ता को परिवार के सदस्यों के नाम पर एलपीजी कनेक्शनों के नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर, ओएमसी ने नामांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए परिवार के सदस्यों में से कम से कम किसी एक का आधार संग्रह करना अनिवार्य (सितंबर 2017) कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पीएमयूवाई के अनुमोदित केवाईसी प्रारूप के साथ ही एमओपीएनजी के निर्देशों (जून 2016) में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को अनिवार्य रूप से संग्रहित करना निर्दिष्ट किया गया था और इस संबंध में एमओपीएनजी द्वारा कोई छूट नहीं दी गई थी। इसलिए, पहल (डीबीटीएल) के अनुसार, एकल आधार को संग्रह करने की मौजूदा कार्य-विधि को जारी रखना एमओपीएनजी निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, एएचएल टीआईएन डी-डूप अर्थात् समान एएचएल टीआईएन/पारिवारिक एएचएल टीआईएन के संबंध में केवल पीएमयूवाई के तहत जारी बहु कनेक्शनों का पता लगा सकता है और इस योजना के बाहर परिवार के अन्य सदस्यों को जारी किए गए मौजूदा कनेक्शन का पता नहीं लगा सकता है।

एमओपीएनजी ने (मई/जुलाई 2019) लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया और ओएमसीज को लाभार्थियों के पति या परिवार के अन्य वयस्क सदस्य को अतिरिक्त आधार संख्या के आधार पर ओएमसी को पुन: संग्रहित करने, सॉफ्टवेयर मे प्रविष्ट करने और डी-डुप्लिकेशन करने का सुझाव दिया। ओएमसी ने अपने एलपीजी सॉफ्टवेयर में अपेक्षित प्रावधान तैयार किए हैं। इसके

अतिरिक्त, ओएमसी द्वारा सत्यापन करने पर, NULL एएचएल टीआईएन के साथ 17,615 कनेक्शन और 79,415 बहु कनेक्शन पाए गए थे। इन सभी कनेक्शनों को बंद कर दिया गया और 42910 मामलों को समाप्त कर दिया गया था।

हालांकि, जिन कनेक्शनो की आधार संख्या सॉफ्टवेयर में नहीं ली गई है उपरोक्त तंत्र परिवार के अन्य सदस्य के आधार कार्ड पर मौजूदा बहु कनेक्शनों की संभावना को समाप्त नहीं कर पाएगा।

3.2 योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना

एसईसीसी सूची और आधार पर दोहरीकरण को रोकने के कार्य, एएचएल टीआईएन और बैंक खाते के माध्यम से बीपीएल महिला लाभार्थियों की पहचान, पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित उदाहरणों में पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे:

3.2.1 एसईसीसी-2011 सूची में पूर्ण रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

लेखापरीक्षा ने एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए एसईसीसी-2011 डेटाबेस के एएचएल टीआईएन के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के अनुसार लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का मिलान किया और देखा कि 9897 एलपीजी कनेक्शन (आईओसीएल: 9785 और एचपीसीएल: 112) ऐसे एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए थे जहां परिवार के सभी सदस्यों के नाम लाभार्थियों के नाम सहित एसईसीसी-2011 सूची में पूर्ण रूप से खाली थे। इन मामलों में ऐसे लाभार्थियों की पहचान अपर्याप्त प्रणाली जांचों के साथ एसईसीसी-2011 डेटा में खामियों के कारण संभव नहीं थी, जिसके कारण अनपेक्षित लाभार्थियों को पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का जोखिम उत्पन्न होता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर 3014 कनेक्शन (आईओसीएल: 2902, एनपीसीएल: 112) अवरुद्ध किए गए हैं और आईओसीएल ने 383 कनेक्शनों को समाप्त किया है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि ओएमसीज को रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन के संबंध में जारी किए गए ऐसे कनेक्शनों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, आईओसीएल ने 4324 कनेक्शनों को समाप्त/बंद किया और एचपीसीएल ने सभी 112 कनेक्शनों को समाप्त कर दिया है। आईओसीएल में शेष कनेक्शनों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा था।

3.2.2 एसईसीसी-2011 सूची में आंशिक रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन पर पीएमयूवाई कनेक्शनों को जारी करना

एसईसीसी-2011 डेटाबेस के अनुसार एएचएल टीआईएन के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के अनुरूप एएचएल टीआईएन की तुलना करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसे एएचएल टीआईएन पर 4.10 लाख कनेक्शन (आईओसीएल: 2.09 बीपीसीएल: 1.21 लाख और एचपीसीएल: 0.80 लाख) जारी किए है जहां एसईसीसी-2011 सूची में केवल एक सदस्य को छोड़कर परिवार के पूर्ण ब्यौरे रिक्त थे। इस परिदृश्य में, एसईसीसी-2011 सूची में ब्यौरों के अभाव में लाभार्थियों की पहचान करना संभव नहीं था। अतः एएचएल टीआईएन का उपयोग करके ऐसे कनेक्शनों को जारी करना जहां लाभार्थी की पहचान करना संभव नहीं था अनपेक्षित व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने के जोखिम को बढ़ाता है। ओएमसीज के एलपीजी सॉफ्टवेयर में ऐसे मामलों में कनेक्शन जारी करने के खिलाफ प्रतिबंध या चेतावनी देने के लिए सत्यापन नियंत्रण नहीं था।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी सूची मे अपूर्ण ब्यौरों के कारण बहुत अधिक संख्या में परिवार इस योजना से वंचित थे, इसलिए ऐसे मामलों को देखने के लिए ओएमसीज द्वारा परिवारों के आंशिक ब्यौरे वाले मामलों पर विचार किया गया और एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार किया गया (मई 2017)। तदनुसार, ऐसे परिवार पीएमयूवाई के तहत योग्य आवेदकों के रूप में माने गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओएमसी द्वारा यहां संदर्भित एसओपी ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया की पहचान को प्रमाणित करने के लिए, पहचान के साक्ष्य (पीओआई) में से एक के साथ उनके संबंध को प्रमाणित करने के लिए आवेदक को परिवार के मुखिया या उसके पति को शामिल करते हुए कम से कम परिवार के दो सदस्यों के ब्यौरे उपलब्ध कराने चाहिए, जिसके पूर्ण ब्यौरे एसईसीसी सूची में भी उपलब्ध हैं। एसओपी में यह भी कहा गया कि वितरक ऐसे परिवार के विवरणों की जांच के उपरांत ही केवाईसी विवरणों की प्रविष्टि आगे के डी डुप्लिकेशन प्रक्रिया के लिए कर सकता था अन्यथा इसे 'होल्ड केवाईसी' की श्रेणी में में रखा जाना था।

हालांकि, इस एसओपी से उक्त स्थिति का पता नहीं लगता क्योंकि इस मामले में केवल एक सदस्य का नाम उपलब्ध था और वो भी उसके माता-पिता के बिना था, जो लाभार्थी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए अपर्याप्त था। इसलिए, प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण के अलावा, पहचान सत्यापन की एक उपयुक्त वैकल्पिक प्रणाली ओएमसीज द्वारा अनपेक्षित व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने से बचने के लिए तैयार की जानी चाहिए ।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को केवाईसी में कम से कम एक आधार संख्या (पति/वयस्क परिवार का सदस्य का) प्रविष्ट करने के साथ राशन कार्ड की वरीयता अनुसार परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के ब्यौरे प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। ओएमसी ने एकत्र किए गए अतिरिक्त आधार संख्या के आधार पर डी-डुप्लिकेशन पुन: करने का सुझाव

दिया गया। तदनुसार 0.54 लाख कनेक्शन अनुचित पाए गए थे और ओएमसी द्वारा समाप्त किए गए थे।

3.2.3 पुरूष उपभोक्ताओं को जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

ओएमसीज द्वारा केवल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के लिए एलपीजी सॉफ्टवेयर में पर्याप्त सत्यापन जांच डिजाइन करना अनिवार्य था। एसईसीसी-2011 डेटाबेस के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस में एएचएल टीआईएन के मिलान पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल द्वारा पुरूषों के एएचएल टीआईएन पर 1.88 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।

एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान इसकी आगे पुष्टि की गई थी जहां देखा गया कि सत्यापित 285 केवाईसी में से 20 कनेक्शन पुरुषों के एएचएल टीआईएन उपयोग करके जारी किए गए थे। इसके अलावा, महिलाओं के एएचएल टीआईएन का उपयोग करके पुरूषों को 43 कनेक्शन जारी किए थे।

अत: आईओसीएल के एलपीजी सॉफ्टवेयर के लिंग फील्ड में इनपुट वैधीकरण जांच के अभाव और क्षेत्रीय स्तर पर यथोचित परीक्षण की कमी के कारण पीएमयूवाई कनेक्शन पुरुषों को जारी किए गए थे। हालांकि एचपीसीएल और बीपीसीएल के सॉफ्टवेयर में इन सत्यापनों की स्थापना की गई थी फिर भी एचपीसीएल द्वारा पुरुषों को जारी किए गए 26 मामले समाप्त किए गए थे।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की पुरुष एएचएल टीआईएन के संबंध में कनेक्शन जारी करना प्रतिबंधित करने के लिए आईओसी और एनआईसी दोनों स्तर पर अपेक्षित प्रणाली जांच बाद में प्रारंभ की गई थी।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार, सत्यापित 1.78 लाख मामलों में से अनुचित 0.41 लाख कनेक्शन आईओसीएल द्वारा समाप्त किए गए थे। शेष मामलों का सत्यापन किया जा रहा था।

3.2.4 उपभोक्ताओं के नामों के साथ उपनाम/या/उर्फ संयोजकों का उपयोग करके पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 52271 मामलों में (आईओसी-34356, बीपीसीएल-4701 और एचपीसीएल-13214), एलपीजी वितरकों ने उर्फ/या/उपनाम संयोजकों का उपयोग करके एसईसीसी में प्रदर्शित लाभार्थियों के नाम के साथ व्यक्तियों के नाम जोड़कर कनेक्शन जारी किए थे, यह दर्शाने के लिए कि दोनों नाम एक ही उपभोक्ता से संबंधित है जिससे अयोग्य व्यक्तियों की पहचान ना हो सके जैसा नीचे उदाहरण दिया गया है:

क) एलपीजी डेटाबेस में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार प्रथम नाम" **उर्फ** "एसईसीसी-2011 के अनुसार प्रथम नाम":

ख) एलपीजी डेटाबेस में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार प्रथम नाम" **या** "एसईसीसी-2011 के अनुसार प्रथम नाम":

ग) पहले नाम के कॉलम में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार नाम", मिडल नाम के कॉलम में उपनाम तथा अंतिम नाम के कॉलम में "एसईसीसी-2011 के अनुसार नाम":

चयनित एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में नमूना जांच के आधार पर ऐसी विसंगतियों की समीक्षा की गई जिससे पता चला कि अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, 0.55 लाख मामलों के सत्यापन के बाद, ओएमसी ने 0.29 लाख कनेक्शन अयोग्य पाए।

3.2.5 पीएसयूवाई के तहत नाबालिगों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन

पीएमयूवाई के साथ-साथ एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 में निर्धारित किया गया है कि एलपीजी कनेक्शन केवल उन उपभोक्ता को दिए जा सकते है जो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नाबालिग लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए जैसा नीचे चर्चा की गई है:-

3.2.5.1 आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि के आधार पर नाबालिगों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन

164 एलपीजी वितरकों के पीएमयूवाई लाभार्थियों के 18558 केवाईसी अभिलेखों के साथ संलग्न आधार कार्ड की समीक्षा पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 255 एलपीजी कनेक्शन (1.37 प्रतिशत) उन व्यक्तियों को जारी किए गए थे जो अपने आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि के अनुसार नाबालिग थे। एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के उल्लंघन में एलपीजी डेटाबेस के संबंधित फील्ड में गलत जन्मतिथि दर्ज करके एक नाबालिग आवेदक को एक वयस्क के रूप में प्रस्तुत करके ये एलपीजी कनेक्शन जारी किए थे।

एचपीसीएल ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद दो वितरकों द्वारा नाबालिग लाभार्थियों को जारी किए गए 1809 कनेक्शनों का भी पता लगाया जो अन्य वितरकों के मामलों में ऐसी संभावना के मौजूद होने को भी दर्शाता है। इसीलिए, ओएमसीज के सभी एलपीजी वितरकों का समान मामलों में विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए अनुसार नाबालिक लाभार्थियों के मामलों को या तो समाप्त कर दिया गया/या वह सत्यापन के तहत है और दोषी वितरकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) की ओएमसीज को वैधीकरण और सुधारात्मक कार्यवाही करने के सुझाव दिए गए थे तदनुसार ओएमसी को 211 अयोग्य कनेक्शन मिले हैं।

इसके अलावा, एनआईसी को यूआईडीएआई के पास उपलब्ध आधार डाटा के अनुसार एलपीजी डेटाबेस में आधार की जन्म तिथि को जांच करने के लिए कहा गया है।

3.2.5.2 एलपीजी डेटाबेस (आईओसीएल) में वैधता की जांच के अभाव के कारण नाबालिगों को कनेक्शन जारी करना

आईओसीएल के एलपीजी सोफ्टवेयर में आरंभ में जन्म तिथि पर कोई वैधता जांच नहीं थी। इसको फरवरी 2018 में शामिल किया गया था। आईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटा के विश्लेषण से पता चला कि एलपीजी सोफ्टेवयर में दर्ज किए गए लाभार्थियों की जन्म तिथि के अनुसार एसवी की तिथि तक 0.80 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम थी। इन मामलों में, केवाईसी जांच 18 फरवरी से पहले की गई थी परिणामस्वरूप नाबालिगों को कनेक्शन जारी किए गए थे।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी का सत्यापन करने और उचित कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार, 77631 कनेक्शनों के सत्यापन के बाद, आईओसीएल को 18137 अयोग्य कनेक्शन मिले थे। शेष मामलों का सत्यापन किया जा रहा था।

3.2.5.3 एसईसीसी-2011 के अनुसार नाबालिग उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन जारी करना

एसईसीसी-2011 डेटाबेस में लाभार्थियों की जन्म तिथि के साथ पीएमयूवाई डेटाबेस में दर्ज की गई लाभार्थियों की एसवी तिथि की तुलना करने से पता चला कि 8.59 लाख दृष्टांतों में (आईओसीएल: 3.60 लाख, बीपीसीएल: 2.30 लाख और एचपीसीएल: 2.69 लाख) एसवी जारी करने की तिथि तक पीएमयूवाई लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम थी।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी डेटा में जन्म तिथि को अभिलेखित करने में त्रुटियां थी और ऐसे विपथन को समायोजित करने के लिए एमओपीएनजी द्वारा जारी किए गए एफ़एक्यू में बताया गया कि *'आधार कार्ड में दी गई आयु को सही माना जाएगा'*। तदनुसार ओएमसीज ने पंजीकरण की अनुमति दी थी भले ही एसईसीसी डेटा में दी गई आयु आधार कार्ड में दर्ज आयु से मेल नहीं खा रही थी और जन्म तिथि (आधार कार्ड के अनुसार) दर्ज करने के लिए जांच प्रणाली को सक्षम बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाबालिगों को कोई कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं।

विसंगतियों की इतनी बड़ी मात्रा ओएमसीज द्वारा ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करके उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार जांच के बाद ओएमसी को 1.72 लाख (आईओसीएल: 0.90 लाख बीपीसीएल: 0.38 लाख और एचपीसीएल: 0.44 लाख) अयोग्य कनेक्शन मिले। शेष मामले जांच हेतु लंबित थे।

3.2.6 एएचएल टीआईएन पर उन व्यक्तियों के लिए पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना जिनकी आयु एसवी जारी करने की तिथि तक 100 वर्ष से अधिक थी

एसईसीसी-2011 सूची से एलपीजी डेटाबेस की तुलना करने से पता चला कि एसईसीसी-2011 डेटा के अनुसार 8465 पीएमयूवाई लाभार्थियों (आईओसीएल: 4255 बीपीसीएल: 2328 और एचपीसीएल: 1882) की जन्म तिथि 100 वर्षों से अधिक थी जबकि एलपीजी डेटाबेस में इन लाभार्थियों की आयु निम्न प्रकार थी:

तालिका 3.1: एलपीजी डेटाबेस में विभिन्न वायु वर्ग के तहत आने वाले लाभार्थियों की संख्या

आयु वर्ग (वर्षों में)	लाभार्थियों की संख्या
0 से 18 वर्ष से कम (नाबालिग)	46
18 से 40	3500
41 से 80	3493
81 से 100	436
100 से अधिक	990

एसईसीसी और एलपीजी डेटाबेस के बीच आयु में अंतर इन लाभार्थियों की वास्तविकता और अयोग्य लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने के लिए इन व्यक्तियों के एएचएल टीआईएन के दुरूपयोग के संबंध में खतरे में वृद्धि करता है।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि उन्होंने 245 ऐसे कनेक्शन समाप्त कर दिए हैं।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि योग्य आवेदकों के लिए कोई उच्च आयु सीमा नहीं है। हालांकि, ओएमसी को जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया है। तदनुसार, ओएमसी को 1454 अयोग्य कनेक्शन मिले है और आईओसीएल के 11 मामले जांच हेतु लंबित थे।

3.2.7 एसईसीसी-2011 डेटाबेस और ओएमसीज के पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के बीच लाभार्थियों के बेमेल नाम

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस की एसईसीसी-2011 सूची के साथ तुलना की और पाया कि एलपीजी डेटाबेस में 12.46 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों के नाम एसईसीसी-2011 सूची (आईओसीएल:7.24 लाख, बीपीसीएल: 3.96 लाख और एचपीसीएल: 1.26 लाख) में दर्ज नामों से भिन्न थे।

इसके अलावा, 38 एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई जिससे पता चला कि 4348 लाभार्थियों में से, 784 पीएमयूवाई लाभार्थियों (18 प्रतिशत) के नाम और परिवार के ब्यौरे उनके केवाईसी अभिलेखों अर्थात् राशन कार्ड, आधार कार्ड एसईसीसी ब्यौरे से मेल नहीं खाते, जो यह दर्शाता है कि योग्य लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का दुरुपयोग करके अनपेक्षित लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो मुख्य रूप से वितरक स्तर पर निगरानी के अभाव के कारण हुआ था।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को सूचित किए गए बेमेल नाम के मामलों के संबंध मे जांच करने और उचित कार्रवाई करने के सुझाव दिए थे। तदनुसार, सत्यापन के बाद, ओएमसीज ने 2.29 लाख कनेक्शन अयोग्य पाए हैं।

3.3 पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने से पहले दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया

एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 (यथा संशोधित) एक परिवार में एकल एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन की अनुमति देता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक परिवार को एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन का अधिकार रखना प्रतिबंधित करता है। व्यक्ति/परिवार को अनेक कनेक्शन जारी करना प्रतिबंधित करने के लिए, ओएमसी ने दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया को अपनाया जैसा नीचे दिया गया हैं:

- ❖ आवेदक और आवेदक के परिवार के सदस्यो की आधार संख्या और बैंक खाते के आधार पर ओएमसीज के अंतर्गत मौजूदा उपभोक्ता मास्टर डेटा के साथ आंतरिक दोहरीकरण को रोकने के कार्य की जांच।
- ❖ उपरोक्त विधि का उपयोग करके वेब-सर्विस इंटरफेस के माध्यम से अंतर-कंपनी दोहरीकरण को रोकने के कार्य की जांच।
- ❖ एसईसीसी डेटा (नाम और एएचएल टीआईएन) के साथ एएचएल टीआईएन के वैधीकरण के आधार पर एनआईसी द्वारा सामान्तर दोहरीकरण को रोकने की जांच।
- ❖ उपभोक्ता मास्टर , स्पष्ट केवाईसी और एनआईसी द्वारा निकाले गए एएचएल टीआईएन पर एसईसीसी परिवार के संदिग्ध मामले के साथ डी-डुप्लिकेशन।

3.3.1 एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को पीएमयूवाई के तहत अनेक कनेक्शन जारी करना

लेखापरीक्षा ने कनेक्शनों को जारी करने हेतु उपयोग किए जाने वाले एएचएल टीआईएन पर डी-डुप्लिकेशन किया और यह पाया कि 822 मामलों में, ओएमसी ने उसी एएचएल टीआईएन अर्थात् उसी व्यक्ति को (29 अंकों के एएचएल टीआईएन के आधार पर) दोहरे कनेक्शन जारी किए जबकि 11643 मामलों में, एक ही परिवार को एएचएल टीआईएन के 26 अंक के आधार पर दोहरे कनेक्शन जारी किए गए थे। जैसा नीचे दर्शाया गया है:

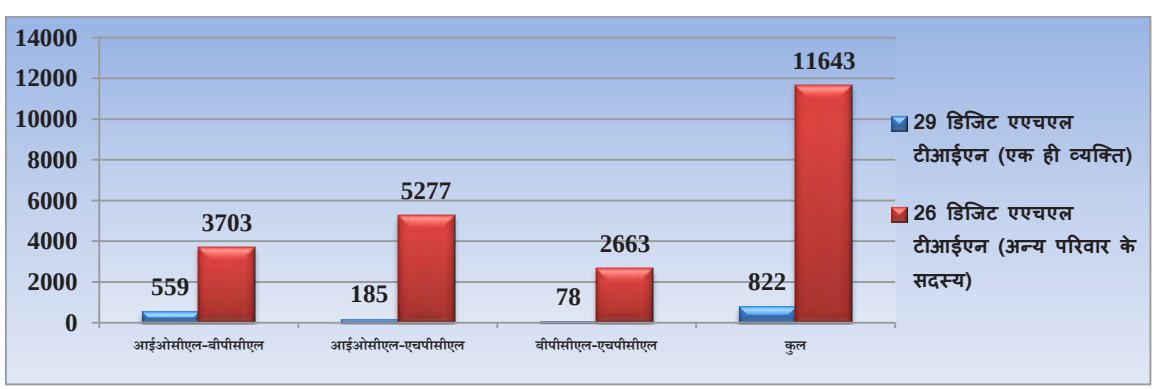

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को जांच करने ओर सुधारात्मक कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार; ओएमसीज ने ऐसे सभी मामलों को बंद/समाप्त किया।

3.3.2 एसईसीसी-2011 डेटाबेस में अनुपलब्ध एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

डी-डुप्लिकेशन की कार्य प्रणाली के अनुसार, एसईसीसी-2011 की सूची में आवेदक के एएचएल टीआईएन नहीं पाए जाने के मामले में केवाईसी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। एसईसीसी-2011 डेटाबेस से पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस की तुलना से पता चला कि 42187 मामलों में (आईओसीएल: 42145 और बीपीसीएल: 42), एलपीजी डेटाबेस में दर्ज एएचएल टीआईएन एसईसीसी-2011 डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।

एलपीजी वितरकों की लेखापरीक्षा में उपरोक्त मामलों की नमूना जांच से पता चला कि संबंधित वितरकों ने लाभार्थी के गलत एएचएल टीआईएन दर्ज किये थे जिनको एलपीजी सोफ्टवेयर द्वारा इनपुट वैधीकरण जांच की कमी के कारण स्वीकृत किया गया था। एनआईसी स्तर पर दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया में इसका पता नहीं लगा और अयोग्य व्यक्तियों को पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का जोखिम रहा।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि वितरकों ने अंक के प्रविष्टि करने में लिपिकीय त्रुटि की है और इस प्रकार प्रारंभ में ही अपर्याप्त प्रणाली जांच के कारण उसका नामांकन हो गया। ऐसे सभी कनेक्शनों को क्षेत्रीय सत्यापन/आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु केंद्रीकृत रूप से बंद कर दिया गया है।

बीपीसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी डेटा को समय-समय पर संशोधित किया गया था चूंकि विभिन्न संसाधनों से डेटा प्राप्त किया गया था। इन एएचएल टीआईएन की पुष्टि 2016/2017 में एनआईसी द्वारा की गई थी जब इनको एनआईसी को डी-डुप्लिकेशन हेतु भेजा गया था। लाभार्थी के ब्यौरे की पुन: पुष्टि के उद्देश्य हेतु, ऐसे 42 मामले लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन हेतु क्षेत्र को भेजे जा रहे हैं।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ओएमसी और एनआईसी की ओर से अपर्याप्त प्रणाली जांच के कारण गलत एएचएल टीआईएन नामांकित हुए और डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया के बावजूद भी इनका पता नहीं लग पाया।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि वैध एएचएल टीआईएन नामांकित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एनआईसी द्वारा प्रणाली जांच को सक्षम बनाया गया। इसके अलावा, आईओसीएल ने 41617 मामलों को अयोग्य पाया और 159 मामले सत्यापन हेतु लंबित थे।

3.4 एसवी जारी करने के बाद कनेक्शनों का संस्थापन नहीं होना

संस्थापन तिथियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 1.34 लाख मामलों में (आईओसीएल: 0.51 लाख, बीपीसीएल: 0.57 लाख और एचपीसीएल: 0.26 लाख), एसवी जारी किए गए थे

परन्तु कनेक्शन संस्थापित नहीं किए गए। इसके अलावा, इन मामलों में से, 0.61 लाख मामलों में (आईओसीएल: 0.16 लाख, बीपीसीएल: 0.26 लाख और एचपीसीएल: 0.19 लाख) कनेक्शन 6 से 30 महीनों की अवधि से संस्थापन हेतु लंबित थे।

ओएमसीज ने बताया (अप्रैल 2019) कि कनेक्शनों को संस्थापित नहीं किए जाने के विभिन्न कारण थे यथा-उपभोक्ता संपर्क की अनुपलब्धता, प्रवासी ग्रामीण जनसंख्या, केवाईसी दर्ज करने के बाद ऋण हेतु लाभार्थी का अनुरोध, असुरक्षित रसोईघर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण सिलेंडर के परिवहन में व्यवधान। हालांकि, 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए संस्थापना हेतु लंबित सभी एसवी की जांच की गई है जिसके परिणामस्वरूप लंबन 46425 (आईओसीएल: 26302, बीपीसीएल: 2323, एचपीसीएल: 17800) तक रह गया।

ओएमसी द्वारा दिए गए कारण उन मामलों में उचित नहीं लगते जहां संस्थापन में छः महीनों से अधिक का विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि ओएमसी द्वारा प्रभावी निगरानी के बावजूद अभी भी अनेक कनेक्शन संस्थापन हेतु लंबित थे।

एमओपीएनजी ने निकास सम्मेलन के दौरान बताया कि संस्थापन हेतु समय सीमा निर्धारित की जाएगी। उन्होने आगे बताया (जुलाई 2019) कि 48494 कनेक्शनों के सत्यापन के बाद, ओएमसी ने 15300 मामलों को समाप्त कर दिया है चूंकि या तो लाभार्थी का पता नहीं लगाया जा सका अथवा अयोग्य पाए गए हैं। शेष मामले सत्यापन हेतु लंबित थे।

3.5 पीएमयूवाई कनेक्शनों के संस्थापन में विलंब

पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन पर ओएमसी के नागरिक चार्टर में निर्दिष्ट किया गया है कि नए घरेलू एलपीजी के लिए पंजीकरण तुरंत किया जाए और नए कनेक्शनों को सात कार्य-दिवसों के अंदर संस्थापित किया जाए। प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, यह उचित होगा कि पीएमयूवाई कनेक्शनों की संस्थापना समयबद्ध तरीके से किया जाए।

लेखापरीक्षा ने प्रणाली में केवाईसी ब्यौरों को दर्ज करने की तिथि से पीएमयूवाई कनेक्शनों के संस्थापन हेतु समय सीमा की जांच करने के लिए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के डेटा का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि संस्थापन काफी विलंब से किये गए थे जैसा नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.2: दिसंबर 2018 तक संस्थापन का समय विश्लेषण *(लाख में)*

संस्थापन हेतु केवाईसी से लिया गया समय (दिनों की संख्या)	कनेक्शनों की संख्या			कुल
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	
0-7	33.27	27.29	12.10	**72.66**
8-30	62.79	29.44	35.82	**128.05**
31-60	30.78	13.25	19.90	**63.93**
61-90	14.89	7.91	9.99	**32.79**
91-180	24.38	11.34	14.12	**49.84**
181-365	12.48	7.19	6.59	**26.26**
365 दिनों से अधिक	1.82	1.09	1.44	**4.35**
कुल	**180.41**	**97.51**	**99.96**	**377.88**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत कुल पीएमयूवाई कनेक्शनों मे से केवल 19.23 प्रतिशत संस्थापित किए गए थे।

ओएमसीज ने बताया (अप्रैल 2019) कि संस्थापन में विलंब हेतु उपभोक्ता के संपर्क दूरभाष नंबर के अभाव के कारण उपभोक्ता का पता लगाने में कठिनाईयां, प्रवासी ग्रामीण जनसंख्या, केवाईसी दर्ज करने के बाद ऋण हेतु लाभार्थी का अनुरोध, एलपीजी संस्थापन जैसे- खाना बनाने की समतल जगह हेतु सुरक्षित परिस्थितियों की अनुपलब्धता, ट्रासंपोर्टरों की हड़ताल, बाढ़ के कारण सिलिंडरों/रेगुलेटरों/हॉट प्लेटों के परिवहन में और संस्थापन में आने वाली बाधाओं के संबंध में श्रम बल को प्रशिक्षण देने में लिया गया समय जैसे विभिन्न कारण है।

ओएमसी के उत्तर को इस तथ्य के संबंध में देखा जा सकता है कि उपभोक्ता संपर्क की अनुपलब्धता ओर उपभोक्ता की पहचान करने में वितरकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों के विषयों ने यह उजागर किया कि क्या एसवी सृजन से पहले उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व-संस्थापन निरीक्षण किया गया था। संस्थापन में विलंब के मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई 2019) कि ओएमसी ने कनेक्शनों के समय पर संस्थापन सुनिश्चित करने हेतु एक विस्तृत एसओपी और प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है।

3.6 लिंक किया गया खाता पीएमयूवाई लाभार्थी से संबंधित ना होना

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल (डीबीटीएल) योजना (2013) योग्य लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के नकद हस्तांतरण को नियोजन करके ओएमसी की संवितरण प्रणाली के माध्यम से घरेलू एलपीजी की चोरी और विपथन पर नियंत्रण करने के लिए परिकल्पित की गई थी। इस योजना में एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू सिलेंडरों के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने और उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी की राशि के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। हालांकि, 164 एलपीजी वितरकों के केवाईसी अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, 100 दृष्टांत देखे गए जहां दूसरों के बैंक खाते पीएमयूवाई लाभार्थियों के साथ लिंक किए गए थे, जिसके कारण उनकी सब्सिडी दूसरों के बैंक खातों में हस्तांतरित हो गई थी जिससे वास्तविक लाभार्थियों को अपनी सब्सिडी से वंचित रहना पड़ा।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि ऐसे सभी मामलों में जहां गलत बैंक ब्यौरे पाए गए हैं, प्रणाली में सुधार का प्रावधान है जो वितरक द्वारा किया जा सकता है।

एमओपीएनजी ने बताया (मई/जुलाई 2019) कि लाभार्थी के बैंक खाते और नाम एनपीसीआई को संबंधित बैंकों से सत्यापन और डी-डुप्लिकेशन हेतु भेजे गए हैं। ओएमसीज को पीएमयूवाई लाभार्थियों से जुड़े संयुक्त खातों की पहचान करने और 30 जून 2019 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 64 मामलों का वैधीकरण किया और 11 कनेक्शनों को अयोग्य पाया है। शेष मामलों का वैधीकरण लंबित था।

उत्तरों को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि चूंकि लाभार्थियों से असंबंधित बैंक खाते एनपीसीआई और संबंधित बैंकों की जांच में मंजूर हो गए, यह मौजूदा खाता वैधीकरण में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

3.7 बंद/निष्क्रिय किए गए पीएमयूवाई कनेक्शनों के सत्यापन में विलंब

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 2.77 लाख संदिग्ध पीएमयूवाई कनेक्शन (आईओसीएल: 1.34 लाख बीपीसीएल: 1.12 लाख और एचपीसीएल: 0.31 लाख) ओएमसीज द्वारा अवरुद्ध/निष्क्रिय कर दिए गए थे। चूंकि पीएमयूवाई लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं और एलपीजी के नए उपयोगकर्ता है; एलपीजी कनेक्शनों को निष्क्रिय करना और उनको लंबे समय तक लंबित रखना, अशुद्ध ईंधन से स्वच्छ ईंधन में लाभार्थियों के परिवर्तित होने के बीच में आ जाएगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2.77 लाख अवरूद्ध कनेक्शनों में से 2.31 लाख में (आईओसीएल: 1.06 लाख, बीपीसीएल: 1.03 लाख और एचपीसीएल: 0.22 लाख) नौ महीनों (अंतिम रिफिल की तारीख से लिया गया है क्योंकि ब्लॉकिंग की तारीख उपलब्ध नहीं थी) से अधिक की अवधि के लिए सत्यापन हेतु लंबित थे, जो न्याय संगत नहीं है।

ओएमसीज (अप्रैल 2019) ने जवाब दिया कि अवरुद्ध/निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों के सत्यापन में तेजी लाई जाएगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज ने 3.85 लाख अवरुद्ध कनेक्शनों को सत्यापित किया है और अयोग्य 1.15 लाख (आईओसीएल: 74,000; बीपीसीएल: 31,048 और एचपीसीएल: 10,178) कनेक्शनों को निलंबित किया और 1.59 लाख कनेक्शनों को योग्य पाया गया जिन्हें सक्रिय किया गया है। शेष मामले सत्यापन के लिए लंबित थे।

3.8 अपने स्वयं के एएचएल टिन के बारे में लाभार्थियों के बीच जानकारी का अभाव

योजना के तहत, बीपीएल परिवार की एक महिला को निर्धारित केवाईसी आवेदन पत्र प्रस्तुत करके नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता है । एलपीजी क्षेत्रीय अधिकारियों को एसईसीसी-2011 से केवाईसी विवरणों का मिलान करना होता हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों के एएचएल टिन को एसईसीसी सूची में एलपीजी वितरकों द्वारा पहचाना गया था और लाभार्थियों को अपने स्वयं के एएचएल टिन के बारे में जानकारी नहीं थीं। यह अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने के लिए वास्तविक लाभार्थियों की जानकारी के बिना उनके एएचएल टिन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा है।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी सूची को गांवों में आयोजित मेलों/कैंपों में प्रदर्शित किया जाता है जिनका संभावित योग्य लाभार्थियों द्वारा दौरा किया जाता है। एसईसीसी सूची जनता के साथ साझा करने के लिए ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों, जिला स्तरीय

अधिकारियों को भी प्रदान की गई थी। इसलिए, एसईसीसी डेटा में उनके नाम की पहचान करने के लिए वितरक पर निर्भर होना आवेदकों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं थी।

एमओपीएनजी, ने निकास सम्मेलन के दौरान कहा (मई 2019) की मुद्दे को एमओआरडी के साथ उठाया गया है क्योंकि अन्य सामाजिक योजनाएं भी हैं जो एसईसीसी पर आधारित है।

3.9 योजना की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा

पीएमयूवाई दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सरकार इस योजना की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा कर सकती है। हालांकि, आज तक सरकार द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई है जो ऊपर चर्चा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर महत्व रखता है।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी नोट की और सूचित किया (मई/जुलाई 2019) कि योजना की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अध्याय 4:
सुरक्षा मानकों का अनुपालन

अध्याय 4: सुरक्षा मानकों का अनुपालन

चूंकि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसका सुरक्षित उपयोग विशेष रूप से पीएमयूवाई लाभार्थियों के संदर्भ में, जो परंपरागत रूप से अशुद्ध ईंधन पर निर्भर करते हैं और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग से अनभिज्ञ हैं, मुख्य चिंता का विषय है।

4.1 एलपीजी का सुरक्षित उपयोग

पीएमयूवाई लाभार्थियों के द्वारा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थी के परिसर का पूर्व-संस्थापन निरीक्षण, संस्थापना के दौरान मैकेनिक द्वारा एलपीजी के उपयोग पर सुरक्षा ब्रीफिंग, एलपीजी उपकरण को जोड़ना, एलपीजी के उपयोग पर प्रदर्शन, आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 पूर्व-संस्थापना निरीक्षण का न किया जाना

एलपीजी कनेक्शन जारी करने से पहले पूर्व-संस्थापना निरीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाभार्थी परिसर एलपीजी संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है जैसे हवादार रसोई, स्टोव के लिए ऊँचा प्लेटफॉर्म आदि। पूर्व-संस्थापना निरीक्षण यह जांचने के लिए भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है कि क्या घर में पहले से ही एलपीजी कनेक्शन है, उस स्थिति में लाभार्थी पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाता है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, एलपीजी वितरकों के केवाईसी रिकॉर्डों की परीक्षण जांच में पता चला कि 2531 मामलों में (13.64 प्रतिशत), उपयुक्तता या अन्यथा से संबंधित पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट, पूर्व-संस्थापना के निरीक्षण के आधार पर घर की रसोई के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना वितरकों में पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट किसी भी पीएमयूवाई कनेक्शनों (29078) में एसवी के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी। इस प्रकार, इन घरों में एलपीजी संस्थापना के दौरान सुरक्षा मानकों के गैर-अनुपालन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि पूर्व-संस्थापना निरीक्षण जांच एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय वितरकों के लिए प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चूंकि पीएमयूवाई के कनेक्शन मिशन मोड में जारी किए गए थे, इसलिए अतिरिक्त संसाधन अल्पकालिक आधार पर लगाए गए थे। इस प्रक्रिया के दौरान, वितरक दस्तावेजीकरण भाग को पूरा करने में पिछडे रहे थे जिसके लिए उन्हें अब संवेदनशील बना दिया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूर्व-संस्थापना निरीक्षण जांच करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी का परिसर एलपीजी संस्थापना के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित है और निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि निरीक्षण ओएमसी के मानकों के अनुसार किया गया था।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को पूर्व-संस्थापना निरीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, ओएमसी ने निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के साथ संस्थापन के लिए एक एसओपी तैयार किया है।

4.1.2 संस्थापना प्रमाण-पत्रों की अनुपलब्धता

संस्थापना प्रमाण-पत्र लाभार्थियों के घर पर एलपीजी कनेक्शन की उचित और सुरक्षित संस्थापना के सबूत के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, संस्थापना प्रक्रिया में सुरक्षा पर ब्रीफिंग, एलपीजी के उपयोग पर प्रदर्शन और आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि शामिल है जो एलपीजी वितरक के मैकेनिक द्वारा प्रलेखित होती है।

हालांकि, चयनित एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान परीक्षण जांच से पता चला कि संस्थापन प्रमाण पत्रों को 2367 मामलों (12.75 प्रतिशत) में एसवी के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार एलपीजी वितरकों के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11906 पीएमयूवाई कनेक्शनों में से किसी में भी संस्थापना प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि पीएमयूवाई योजना को मिशन मोड में लागू किया गया था जिसमें अस्थायी आधार पर अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के प्रलेखन का हिस्सा पीछे छूट गया। आईओसीएल ने आगे कहा कि वितरकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहक के परिसर का पुनरीक्षण करके प्रलेखन भाग को पूरा करें और संस्थापना प्रमाणपत्र तैयार करें।

तथ्य यह है कि संस्थापना के लिए प्रलेखन की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका कि संस्थापनाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता को सुरक्षित एलपीजी प्रथाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मिशन मोड़ पर बड़े पैमाने पर नामांकन के दौरान भी आवश्यक सुरक्षा जांच से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई 2019) कि ओएमसी को विवरण अद्यतन करने की सलाह दी गई है।

4.1.3 एलपीजी सॉफ्टवेयर में अनिवार्य निरीक्षण तिथि की रिकॉर्डिंग में विसंगतियां

यह पता लगाने के लिए कि क्या एलपीजी उपयोग के दौरान एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जा रहा है, प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर उपभोक्ताओं के घरों का भौतिक निरीक्षण किया जाना हैं। अनिवार्य निरीक्षण के दौरान, रिसाव के संकेतों की मैकेनिक जांच करता है, किसी भी रिसाव के मामले में रेगूलेटर और गैस पाइप की स्थिति का पता लगाता है और इन्हें बदलता/ मरम्मत करता है। यह अनिवार्य सेवा ओएमसी द्वारा अनुमोदित शुल्कों[9] के भुगतान पर उपलब्ध है।

[9] ₹150 + जीएसटी 1 मई 2016 से

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस में "अनिवार्य निरीक्षण तिथि" क्षेत्र के विश्लेषण से पता चला कि ओएमसी द्वारा 31 दिसंबर 2018 तक स्थापित किए गए 3.78 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से, 1.36 करोड़ कनेक्शन का अनिवार्य निरीक्षण नियत था। उपरोक्त में से, केवल 1.19 लाख लाभार्थियों (आईओसीएल: 0.17 लाख, बीपीसीएल: 0.33 लाख और एचपीसीएल: 0.69 लाख) अर्थात् पीएमयूवाई लाभार्थियों के 0.88 प्रतिशत के संबंध में, सिस्टम में अनिवार्य निरीक्षण की तारीख स्थापना की तारीख के दो वर्ष बाद की थी जो इंगित करता है कि केवल इन लाभार्थियों के संबंध में अनिवार्य निरीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर में भरी गई "अनिवार्य निरीक्षण तिथि" की वैधीकरण जांच का कोई प्रावधान नहीं था और शेष मामलों में, जहां यह निरीक्षण बकाया था, निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई थी:

i) 75.43 लाख कनेक्शनों के मामलो में, अनिवार्य निरीक्षण की तारीख वही थी जो संस्थापना की तारीख थी जो इंगित करती है कि या तो अनिवार्य निरीक्षण नहीं किया गया है या अनिवार्य निरीक्षण करने के बाद सिस्टम में फीड नहीं किया गया है।

ii) 37.53 लाख कनेक्शन के मामलों में, सिस्टम में पंच की गई अनिवार्य निरीक्षण की तारीख संस्थापना की तारीख से पहले की थी, जो संभव नहीं था।

iii) 19.38 लाख कनेक्शनों के मामले में, अनिवार्य निरीक्षण की तारीख संस्थापना की तारीख् से तीन महीनों के अन्दर थी, और शेष 1.96 लाख मामलों में, यह तीन महीने के बाद लेकिन संस्थापना से दो वर्ष के पूर्ण होने से पहले की थी।

इस प्रकार, इन विसंगतियों के मद्देनजर, लेखापरीक्षा को इन सभी मामलों में यह आश्वासन नहीं मिल सका कि, निरीक्षण किया गया था या नहीं, जो पीएमयूवाई परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह भी प्रतीत होता है कि ओएमसीज नियत तिथि के फील्ड में उचित इनपुट डाटा सत्यापन नियंत्रण को लागू करने में विफल हुए थे।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि अनिवार्य निरीक्षण (एमआई) का मूल उद्देश्य ओवनो, नली, फिक्सचर्स, रेगुलेटर, रसोई में संस्थापना की स्थिति आदि की सुरक्षित संस्थापना सुनिश्चित करना है। एमआई की आवधिकता पहले के रबर ट्यूब के 2 साल के जीवन काल पर आधारित थी जो एलपीजी की घटनाओं का एक मुख्य कारण था। उसी को बाद में ऐसी सुरक्षा नली द्वारा बदल दिया गया जिसका जीवन काल 5 वर्ष है। उसी के मद्देनजर, ओएमसीज ने पहले ही 2 साल से 5 साल के लिए एमआई मानदंडों को संशोधित करने के लिए एमओपीएनजी को प्रस्ताव दिया है। एमआई की प्रविष्टि और निगरानी के संबंध में, प्रणाली में सुधार प्रगति पर है और इसे पीएमयूवाई को कवर करते हुए लागू किया जाएगा।

आईओसीएल ने आगे कहा कि दो वर्षों के अन्दर एमआई को आयोजित करने में देरी/ गैर अनुपालन से संबंधित मुद्दे ग्राहक की अनुपस्थिति, रसोई के अन्दर मैकेनिक को अनुमति नहीं देने आदि के कारण थे। आगे यह भी ध्यान देना चाहिए कि एमआई को प्रभार्य आधार पर

आयोजित किया जाता है और यह पूरी तरह से ग्राहक की एमआई को करवाने या नहीं करवाने के पसंद पर आधारित है।

ओएमसी का जवाब इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पीएमयूवाई लाभार्थी एलपीजी का पहली बार उपयोगकर्ता है और इसलिए इन निरीक्षणों के माध्यम से ओएमसीज द्वारा इन लाभार्थियों के द्वारा एलपीजी सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य निरीक्षण के दौरान सुरक्षा नली के अलावा कई सुरक्षा पहलुओं (स्टोव, दबाव रेगूलेटर और रिसाव) की भी जांच की जाती है। इसके अलावा, भले ही यह निरीक्षण ग्राहक के लिए वैकल्पिक हो, लेकिन इन निरीक्षणों के महत्व पर अधिक जागरूकता उजागर करने की आवश्यकता है। परिभाषित अंतराल अवधि में अनिवार्य निरीक्षण न करने से सुरक्षा मानकों से समझौता हो सकता है।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को पीएमयूवाई लाभार्थियों के अनिवार्य निरीक्षण के लिए अपने एसओपी को संशोधित करने को सलाह दी गई है। निकास सम्मेलन के दौरान एमओपीएनजी ने बताया कि ओएमसीज को इस संबंध में तौर-तरीकों को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है क्योंकि इन लाभार्थियों को सामर्थ्य की समस्या है। इसलिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए अनिवार्य निरीक्षण को रोक कर रखा गया है।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि गैर / विलंबित अनिवार्य निरीक्षण पीएमयूवाई लाभार्थियों की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

4.1.4 पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित एलपीजी का उपयोग

पीएमयूवाई की पुस्तिका निम्निलिखित सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने का प्रावधान करती है:

i) हॉट प्लेट को हमेशा सिलेंडर स्तर से ऊपर एक प्लेटफॉर्म (गैर-ज्वलनशील सामग्री से बना) पर रखा जाना चाहिए;
ii) संस्थापना के सभी हिस्से अच्छी स्थिति में हो;
iii) केवल आईएसआई चिन्हित हॉट प्लेट्स का उपयोग हो;
iv) रबड ट्यूब की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और किसी भी दिखाई देने वाली दरार/क्षति के मामले में तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। एलपीजी वितरक द्वारा बेचे जाने वाले "सुरक्षा" एलपीजी नली के उपयोग की अनुशंसा इसकी बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण की जाती है। रबड ट्यूब आईएसआई अनुमोदित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना वितरकों में केवाईसी रिकॉर्डों की परीक्षण जांच और लाभार्थियों के सर्वेक्षण (1662) में 277 मामलों (16.67 प्रतिशत) में असुरक्षित एलपीजी प्रथाओं को अपनाने का पता चला है जैसे एलपीजी सिलेंडर की ऊंचाई से नीचे हॉट प्लेट की स्थापना (82 मामले), लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रखी गई हॉट प्लेट (9 मामलें), खराब गुणवत्ता/जंग लगे/क्षतिग्रस्त स्टोव बर्नर/गैर-आईएसआई स्टोव (21 मामले), नली-पाइप की उप-मानक गुणवत्ता (10 मामलें),

असुरक्षित स्थानों में एलपीजी कनेक्शन की संस्थापना अर्थात कच्चे मकानों, बांस/घास की छत (155 मामले) आदि। निम्नलिखित चित्रों में असुरक्षित प्रथाओं के उदाहरण प्रतिबिंबित होते हैं:

1 फर्श पर रखा गैस स्टोव: आईओसीएल कानपुर

2 फर्श पर रखा और क्षति ग्रस्त पाईप का उपयोग: आईओसीएल, कानपुर

3. फर्श पर रखा गैस स्टोव: बीपीसीएल, मिर्जापुर

4. घास की छत में स्थापित किया एलपीजी कनेक्शन: एचपीसीएल, सीतापुर

इसके अलावा, उपर्युक्त वर्णित मामलों की पूर्व-संस्थापना निरीक्षण और संस्थापना रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला कि इन मामलों में, घरों को एलपीजी के संस्थापन के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था।

1. इसके अलावा, यह देखा गया था कि पहले तीन मामलों में, पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट में एलपीजी के लिए ऊंचे प्लेटफार्म की उपलब्धता की पुष्टि की गई थी। हालांकि, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान इन रसोइयों में इसे नहीं पाया गया था।
2. चौथे मामले में, पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि छत पक्की थी। हालांकि, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, इसे घास की छत के रूप में पाया गया था।

यह इंगित करता है कि ये रिपोर्ट एक सरसरी तौर पर तैयार की गई थीं और लाभार्थी के परिसरों की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है और इन्हें एलपीजी कनेक्शन की संस्थापना के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह ओएमसीज के द्वारा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2016-17 से 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिसरों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई हैं:

तालिका 4.1: ओएमसी-वार दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या			
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
2016-17	23	6	16	**45**
2017-18	109	41	47	**197**
अप्रैल-दिसंबर'18	94	22	37	**153**
कुल	**226**	**69**	**100**	**395**

स्रोत: ओएमसीज

इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के उपयोग में असुरक्षित प्रथाओं की जांच और रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण करने के महत्व को रेखांकित करती है।

एमओपीएनजी ने टिप्पणी को नोट (मई 2019) किया और कहा कि ओएमसीज को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर शिक्षित करने के लिए अधिक संख्या में सुरक्षा क्लीनिंक संचालित करने की सलाह दी गई है।

4.2 सूचना साझाकरण और उपभोक्ता जागरूकता

ओएमसी ने पीएमयूवाई के शुरू होने से बहुत पहले से अपने एलपीजी ग्राहकों के लिए सुरक्षा क्लीनिक संचालित किए है। इसके बाद, एमओपीएनजी ने ओएमसीज को निर्देश दिया (नवम्बर 2016) कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय में सभी एलपीजी वितरकों[10] में सघन सुरक्षा अभियान आयोजित करें और साथ ही ओएमसी स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियानों को करने का भी प्रयास करें। ₹ 5000 प्रति वितरक की वित्तीय सहायता ओएमसी द्वारा वहन की जानी थी और इसकी सीएसआर फंड (पीएमयूवाई के आईईसी फंड में से) से प्रतिपूर्ति की जानी थी। संबंधित डीएनओ को वितरक-वार क्षेत्रीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। एक मासिक रिपोर्ट आगामी महीने की 10वीं तारीख तक एमओपीएनजी को प्रस्तुत होनी थी। ओएमसीज द्वारा डीएनओज की रिपोर्टों का पुनरीक्षण करने के बाद पीपीएसी के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जानी थी। इसके अलावा, ओएमसीज को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर नियमित सुरक्षा संवर्धन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया था। ओएमसीज ने सुरक्षा क्लीनिकों पर किए गए खर्च के लिए दावा नहीं किया क्योंकि इसमें गैर-पीएमयूवाई लाभार्थियों को भी शामिल किया गया था।

[10] शहरी-ग्रामीण, ग्रामीण और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल ने 31 मार्च 2018 को कुल पीएमयूवाई कनेक्शनों का 46.9 प्रतिशत होने के बावजूद एचपीसीएल की तुलना में अपेक्षाकृत कम संख्या में सुरक्षा क्लीनिक संचालित किए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: आयोजित सुरक्षा क्लीनिकों की ओएमसी-वार संख्या

ओएमसी	आयोजित किए गए सुरक्षा क्लीनिकों की संख्या			
	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
आईओसीएल	9434	22267	46921	**78622**
एचपीसीएल	15224	23323	70311	**108858**
बीपीसीएल	23681	26271	32739	**82691**
कुल	**48339**	**71861**	**149971**	**270171**

चूंकि पीएमयूवाई में बीपीएल परिवारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनके एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक होने की कम संभावना थी, पर्याप्त जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं की कमी एलपीजी उपयोग में सुरक्षा उपायों के बारे में लाभार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य के विपरीत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमओपीएनजी द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभियानों पर मासिक रिपोर्ट ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इसके बाद, प्रधान मंत्री एलपीजी पंचायत (एलपीजी पंचायत) की अवधारणा एमओपीएनजी द्वारा एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग, इसके लाभों और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध के बारे में चर्चा करने के लिए लगभग 100 एलपीजी ग्राहकों को एक साथ लाने के लिए प्रारम्भ की (2017-18) । एमओपीएनजी ने मार्च 2019 तक एक लाख एलपीजी पंचायत आयोजित करने का लक्ष्य रखा जिसे ओएमसी द्वारा प्राप्त[11] कर लिया गया।

ओएमसीज (अप्रैल 2019) ने उत्तर दिया कि चूंकि इस तरह के सभी कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर वितरकों/क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते है, इसलिए डीएनओ द्वारा कोई अलग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है।

जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए कि एमओपीएनजी के निर्देशों के बावजूद, ओएमसीज ने सुरक्षा अभियानों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उचित निगरानी और रिपोर्टिंग के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि पीएमयूवाई लाभार्थियों ने इन कार्यक्रमों में किस हद तक भाग लिया।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई 2019) कि ओएमसीज को सलाह दी गई है कि जब कभी सुरक्षा अभियान (क्लीनिक) आयोजित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[11] ओएमसी (आईओसीएल: 54440, एचपीसीएल 27002 और बीपीसीएल: 23681) द्वारा 31 मार्च 2019 तक 105123 एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया।

अध्याय 5:
अवसंरचना की तैयारी

अध्याय 5: अवसंरचना की तैयारी

5.1 एलपीजी की खरीद और स्रोत

रिफाइनरियां, अंशशोधक (ओएनजीसी और गेल), निजी पार्टियां (मैसर्स रिलायंस और मैसर्स एस्सार) और मुख्य रूप में मध्य पूर्वी देशों से आयात ओएमसीज के एलपीजी का स्त्रोत है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान वर्ष-वार एलपीजी की खपत बनाम स्वदेशी उत्पादन और आयात का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 5.1: वर्ष-वार एलपीजी खपत, उत्पादन और पिछले पांच वर्षों का आयात

(मात्रा मीट्रिक टन '000 में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खपत	16294	18000	19623	21608	23342	24918
स्वदेशी	10032	9840	10568	11253	12364	12876
आयात	6567	8313	8959	11097	11380	13194

(स्रोत: पीपीएसी)

आंकडों से पता चलता है कि एलपीजी की खपत लगातार 1600 से 2000 टीएमटी प्रति वर्ष की सीमा में बढ़ रहीं है जबकि एलपीजी के स्वदेशी उत्पादन में लगभग 2800 टीएमटी की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, आयात पर ओएमसी की निर्भरता 2013-14 में 6567 टीएमटी से बढ़कार 2018-19 में 13194 टीएमटी हो गई है।

5.2 एलपीजी की बॉटलिंग

एलपीजी को बॉटलिंग संयंत्रों में बॉटल किया जाता है और पैक रूप में ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है। ओएमसीज के पास 1 अप्रैल 2019 तक 18338 टीएमटीपीए की बॉटलिंग क्षमता वाले देशभर में 192 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र है। ओएमसीज द्वारा 26.54 करोड़ ग्राहकों (पीएमयूवाई और ईपीएमयूवाई के 7.19 सक्रिय ग्राहकों सहित) की मांग को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 2019 तक अपने बॉटलिंग संयंत्रों के साथ जुड़े हुए 23737 एलपीजी वितरकों के माध्यम से घरेलू ग्राहकों (5 किग्रा और 14.2 किग्रा के सिलिंडर में) और वाणिज्यिक ग्राहकों (19 किग्रा, 35 किग्रा, और 47.5 किग्रा के सिलिंडरों में) को पैक की गई एलपीजी का विपणन किया जा रहा है।

5.3 एलपीजी वितरक

5.3.1 वितरकों को नियुक्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देने के साथ देश में सभी घरों में स्वच्छता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, एमओपीएनजी ने ओएमसीज को उस वर्ष (2016-

17) में 10,000 नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने का निर्देश दिया (फरवरी 2016)। इसके अलावा, पीएमयूवाई के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) का अनुमोदन प्राप्त (मार्च 2016) करते हुए, एमओपीएनजी ने उल्लेख किया कि इस योजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की बड़ी संभावना है और बढ़ती मांग और ग्रामीण गरीबों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने लिए अगले वर्ष तक लगभग 10,000 एलपीजी वितरण पाइंट बढ़ाए जाने है। तद्नुसार, एमओपीएनजी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया (जून 2016)। एलपीजी वितरक के चयन के लिए यूनिफाइड गाइडलांइस की प्रमुख विशेषताओं में अलग-अलग रीफिल सीलिंग लिमिट के साथ चार व्यापक प्रकार के वितरक शामिल थे - शहरी, रुरबन, ग्रामीण और दुर्गम वितरक। आयु, शिक्षा, निधि की आवश्यकता और गोदाम और शोरूम के लिए पात्रता मानदंड में भी चयन प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने के लिए छूट दी गई थी। इसके अलावा, घर में खाना पकाने के ईंधन के उपयोग और एलपीजी में परिवर्तित होने की इच्छा पर पीपीएसी और क्रिसिल की मूल्यांकन रिपोर्ट (जून 2016) में एलपीजी के अपनाने में अवरोधक के रूप में एलपीजी वितरण केंद्रो की उपलब्धता की कमी पर जोर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओएमसी ने पिछले 33 महीनों (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018) में केवल 4738 नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू की है। इनमें से, 2262 डिस्ट्रीब्यूटरशिप जून 2016 से पहले जारी विज्ञापनों से संबंधित थी। जून 2016 के बाद, ओएमसीज ने 6373 स्थानों के लिए विज्ञापन जारी किया जिनमें से 2476 डिस्ट्रीब्यूटरशिप (39 प्रतिशत) शुरू हुई थी। आगे यह पाया गया था कि 12 राज्यों[12] में विज्ञापनों के प्रति शुरू हुए एलपीजी वितरक 25 प्रतिशत से कम थे।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए संशोधित यूनिफाइड दिशानर्दिशों की प्राप्ति के बाद, ओएमसीज ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने के लिए स्थानों की पहचान के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित किया, और 6382 स्थानों की पहचान (अप्रैल 2019 तक) की और अखिल भारतीय आधार पर प्रकाशित किया था। इतनी अधिक संख्या में स्थानों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने में काफी समय लगा।

एमओपीएनजी ने यह भी बताया (मई 2019) कि नये 7807 डिस्ट्रीब्यूटरशिप पिछले चार वर्षों में शुरू हुए और 2000 से ज्यादा नये वितरकों की शुरुआत विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, निकास सम्मेलन के दौरान यह कहा गया कि कुछ राज्यों में एनओसी/ रिटेल बिक्री लाईसेंस प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

जवाब पर इस तथ्य के तहत विचार किया जाना चाहिए कि 2016 और 2017 में विज्ञापित स्थानों के संबंध में 6117 डिस्ट्रीब्यूटरशिप में से 2390 को अभी भी शुरू (मई 2019) किया

[12] आंध्र प्रदेश, असम, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल

जाना बाकी था। इसके अलावा, तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों को नए वितरक न शुरू कर पाने के एकमात्र कारण के रूप में उद्धृत किया गया था जो अस्थायी लगता है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लक्षित संख्या में गैर-कमीशनिंग वितरकों को लंबी दूरी के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति, दरवाजे तक डिलीवरी के बजाय गोदाम या निर्दिष्ट स्थानों पर सिलेंडरों की डिलीवरी और सिलेडरों की आपूर्ति में काफी देरी के प्रति बाध्य कर रही है जैसा कि आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

5.3.1.1 वितरकों द्वारा तय की गयी लंबी दूरी

एमओपीएनजी द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए जारी की गई (जून 2016) यूनिफाइड दिशा निर्देशों के अनुसार रूरल अर्बन और ग्रामीण वितरकों द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जगह म्यूनिसिपल सीमा/बाउंडरी सीमा से 15 कि.मी. के अन्दर आने वाले सभी गांवों को कवर करने वाले निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी ग्राहकों को और/या संबंधित ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में सेवा प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा ने 164 वितरकों द्वारा तय की गई दूरी से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया और पाया कि एलपीजी वितरकों ने ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट किए गए विभिन्न गांवो/क्षेत्रों/तहसीलों को कवर किया है जो 0 किमी से 92 किमी की सीमा में आते है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.2: रिफिल डिलीवरी के लिए तय की गई दूरी के साथ एलपीजी वितरकों की संख्या

विवरण	0-15 कि.मी.	15 किमी से अधिक 92 किमी तक
आईओसीएल	47	35
एचपीसीएल	7	34
बीपीसीएल	15	26
कुल	**69**	**95**

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 164 एलपीजी वितरकों में से 95 एलपीजी वितरकों (57.93 प्रतिशत) ने 92 किलोमीटर की दूरी तक स्थित पीएमयूवाई लाभार्थियों को सेवा दी। उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार इतनी लम्बी दूरी कवर करने के कारण रिफिल की आपूर्ति में देरी हुई और ग्राहक के दरवाजे पर रिफिल की डिलीवरी नहीं हुई जैसी कि आगे पैराओं में चर्चा की गई है।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि मौजूदा वितरकों को अपनी पहुँच का विस्तार करना पड़ा क्योंकि भावी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को एक मिशन मोड में नामांकित किया जाना था। नये डिस्ट्रीब्यूटरशिप को स्थापित करना चयन/ कमीशनिंग के विभिन्न चरणों से युक्त एक लंबी प्रक्रिया है। सभी स्थानों के शुरू होने के साथ, वितरक और ग्राहकों के बीच औसत दूरी कम हो जाएगी और लगभग सभी गावों को आसपास के क्षेत्र के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप द्वारा सेवाये दी जाएंगी।

इस तथ्य के प्रति जवाब पर विचार किया जाना चाहिए कि पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूरशिप के शुरू किए बिना इतने बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं का नामांकन समय पर रिफील डिलीवरी में वितरकों की सेवा क्षमता को प्रभावित करता है।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को नये डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कमीशनिंग में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अंतरा के साथ-साथ अंतर ओएमसी ग्राहक हस्तांतरण को नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कनेक्शनों को फिर से विभाजित करके इस अभ्यास को 31 जुलाई 2019 तक पूरा करना है।

5.3.1.2 ग्राहकों के पते पर एलपीजी सिलेडरों की डिलीवरी न होना

विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार, एलपीजी वितरकों को औसत दैनिक रिफिल बिक्री के लिए एलपीजी सिलेंडरों की गृह डिलीवरी करने के लिए पर्याप्त डिलीवरी अवसंरचना प्रदान करनी चाहिए और ब्रेकडाउन/अनुपस्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बैकलॉग के मामले में, आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त वितरण अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरक परिचालन नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन करते है, वितरकों के खिलाफ किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को एमडीजी के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लाभार्थी सर्वेक्षण के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलपीजी वितरकों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं की गई थी। इसके बजाय, उपभोक्ताओं को वितरकों के गोदाम से या सेवा क्षेत्र में एक सांझी जगह से एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी लेनी पड़ती थी। 1662 में से 247 (14.86 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए पीएमयूवाई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें वितरक के गोदाम से पॉइंट डिलीवरी के आधार पर या स्वयं पिक-अप पर रिफिल मिल रहा है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चूंकि ओएमसी ने उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए पूर्व-गोदाम/पॉइंट डिलीवरी के बारे में अपने सिस्टम में कोई डाटा का अनुरक्षण नहीं कर रहे है, इसलिए यह सत्यापित नहीं किया जा सका है कि आबादी के किस हिस्से में अभी भी उनके दरवाजे पर रिफिल डिलीवरी नहीं मिल रही है जो एमडीजी के अनुसार अनिवार्य है।

ओएमसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि पीएमयूवाई उपभोक्ता अधिकतर अत्यल्प क्रय क्षमता के साथ ग्रामीण क्षेत्र से है। वे अपनी सुविधा के अनुसार तथा क्रय की आसानी के लिए वितरक के परिसरों से रिफिल प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं।

बीपीसीएल ने आगे कहा (अप्रैल 2019) कि पीएमयूवाई के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आधार के शीघ्र विस्तारण के संदर्भ में जिला/राज्य प्रशासन ने वितरकों को सलाह तथा परामर्श दिया है कि वे नए वितरकों को चालू करने तक रिफिल वितरण की एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में वितरण केन्द्रों की पहचान करें।

उत्तर इस तथ्य की अवहेलना करता है कि केवल अपवादात्मक परिस्थितियों के तहत तथा ओएमसी के पूर्व लिखित अधिकार के साथ रिफिल की गैर-आवासीय डिलीवरी की जा सकती है।

इस शर्त का अनुपालन न करना एमडीजी के तहत परिभाषित प्रमुख अनियमिताओं के अन्तर्गत आता है। इसके अलावा, यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए एलपीजी वितरकों को नियुक्त करना ओएमसी की तत्काल आवश्यकता है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को रिफिल वितरण स्थल के निर्देशांक हासिल करके घर पर वितरण सुनिश्चित करने या ग्राहकों के लिए 'कैश एंड कैरी' छूट अनुमत करने का परामर्श दिया गया है। इसने ओएमसी को सिस्टम में पंजीकृत सभी ग्राहकों के मोबाइल नम्बर का पता लगाने का निर्देश भी दिया।

5.3.1.3 पीएमयूवाई ग्राहकों को रिफिलों के वितरण में विलम्ब

मई 2016 से दिसम्बर 2018 तक की समयावधि के दौरान, 17782 एलपीजी वितरकों द्वारा 3.78 करोड़ सक्रिय पीएमयूवाई लाभार्थियों को 19.41 करोड़ एलपीजी रिफिलों का वितरण किया गया है। डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14290 एलपीजी वितरकों (कुल एलपीजी वितरकों का 80.36 *प्रतिशत*) द्वारा 24.83 लाख उपभोक्ताओं (कुल सक्रिय उपभोक्ताओ का 6.57 *प्रतिशत*) को वितरित किए गए 36.62 लाख एलपीजी रिफिलों के मामलों में, एलपीजी वितरकों द्वारा रिफिलों के वितरण में 10 दिनों से अधिक का विलम्ब था जो ओएमसी के नागरिक चार्टर के विचलन में है जो सात दिनों का अधिकतम वितरण समय निर्दिष्ट करता है। आगे विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि 36.62 लाख रिफिलों में से 5.94 लाख रिफिलों का वितरण 30 दिनों से अधिक के विलम्ब से किया गया था जैसाकि नीचे वर्णित किया गया है:

तालिका 5.3: एलपीजी रिफिलों के वितरण में विलम्ब

रिफिल वितरण में विलम्ब (दिनों में)	आईओसीएल		एचपीसीएल		बीपीसीएल		कुल	
	रिफिलों की संख्या	प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या	रिफिलों की संख्या	प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या	रिफिलों की संख्या	प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या	रिफिलों की संख्या	प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या
11-30	1263645		749289		1055057		**3067991**	
31-180	221849		173055		195375		**590279**	
181-664	71	**1007872**	1701	**692349**	2238	**783261**	**4010**	**2483482**
कुल	**1485565**		**924045**		**1252670**		**3662280**	

यह भी पाया गया कि 1209 एलपीजी वितरकों ने 5 लाख लाभार्थियों को 30 दिनों से अधिक के विलम्ब से 100 से अधिक रिफिलों (100 से 9154 रिफिलों के बीच) की आपूर्ति की थी। चूँकि अधिकतर पीएमयूवाई लाभार्थियों के पास सिंगल बॉटल सिलेंडर (एसबीसी) है, रिफिल का विलंबित वितरण बीपीएल परिवार के अस्वच्छ से स्वच्छ ईंधन में अंतरण की योजना के मुख्य उद्देश्य में एक बाधा है तथा यह पीएमयूवाई लाभार्थियों को पहले उपयोग किए जा रहे अस्वच्छ ईंधन को फिर से उपयोग करने पर विवश कर सकती है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि पीएमयूवाई के तहत नामांकित कई उपभोक्ता जटिल क्षेत्रों/सुदूर क्षेत्र से है जिनमें हाल में भी एलपीजी की आपूर्ति एक चुनौती थी। अन्य वितरकों के शामिल होने से स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। इसके अलावा, सिस्टम से रिफिल

वितरण में विलम्ब के कारण का पता नहीं लग रहा है इसलिए मामला-वार कारण प्रदान नहीं किए जा सकते।

ओएमसीज का उत्तर गलत है क्योंकि ओएमसीज के एलपीजी सिस्टम में एक सुविधा है जिससे कि वितरक विलम्ब के कारणों का ब्यौरा रख सकते है। इसके अलावा, उत्तर यह दर्शाता है कि रिफिलों की सुपुर्दगी में विलम्ब ग्राहक के आवास के आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों की अनुपलब्धता की वजह से था तथा नए वितरकों को शामिल करना अत्यावश्यक था।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को वितरकों के कार्य निष्पादन की ध्यानपर्वूक निगरानी करने का परामर्श दिया गया है तथा उसे वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कम से कम 80 *प्रतिशत* वितरकों को '5' या '4' स्टार रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य भी दिया गया है।

5.3.1.4 एमडीजी में निहित ''लक्षित वितरण समय'' प्रतिमानों का अनुपालन न करना

एलपीजी वितरण अधिकार ओएमसीज द्वारा निर्धारित किए जाते है तथा इन्हें अनुबंध/एमडीजी की शर्तों एवं नियमों द्वारा शासित किया जाता है। एमडीजी के अनुसार, एलपीजी वितरकों को ''लक्षित वितरण समय'' (टीडीटी) के अन्दर गैस सिलेंडरों का वितरण करना होता है जहां सुपुर्दगी समय बुकिंग की तिथि तथा वास्तविक वितरण तिथि के बीच का समय होता है। टीडीटी कार्य निष्पादन निम्नानुसार इसके तिमाही कार्य निष्पादन के आधार पर वितरकों की रेटिंग की परिकल्पना करता है:

तालिका 5.4: एलपीजी वितरकों की स्टार रेटिंग हेतु मानदंड

स्टार की संख्या	वितरण अवधि	श्रेणी
5 स्टार	85% वितरण < = 2 दिन	उत्कृष्ट
4 स्टार	85% वितरण < = 4 दिन	अच्छा
3 स्टार	85% वितरण < = 6 दिन	औसत
2 स्टार	85% वितरण < = 8 दिन	औसत से कम
1 स्टार	15% वितरण > 8 दिन	खराब

इस प्रकार, वितरक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके वितरण अधिकार को तिमाही में '1' स्टार अर्थात् 'खराब' रेटिंग तथा '2' स्टार अर्थात् 'औसत से कम' रेटिंग न मिलें जिसके तहत ओएमसीज को चूकपूर्ण वितरकों के प्रति एमडीजी में निर्दिष्ट अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है।

एमडीजी वर्णित करता है कि 1 या 2 तिमाही में '1' स्टार रेटिंग के मामले में, ओएमसी को वितरक को एक चेतावनी -सह- मार्गदर्शन पत्र जारी करना होता है। उक्त अवधि के बाद किसी तिमाही के दौरान 'खराब' रेटिंग के सभी मामलों में, चूककर्त्ता वितरक पर वितरक के एक माह के कमीशन के 25 *प्रतिशत* के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। उक्त के पश्चात् 'खराब' कार्य प्रदर्शन रेटिंग के प्रत्येक मामलें में वितरक के एक माह के 50 *प्रतिशत* कमीशन को अधिरोपित किया जाएगा। इसके अलावा, इसने वर्णित किया कि यदि एलपीजी वितरण अधिकार को पूर्ववर्ती

2 वर्षों (अर्थात् 8 तिमाहियों) के दौरान किसी चार पूर्ण तिमाहियों में 'खराब' की श्रेणी में रखा जाता है तो एलपीजी वितरण अधिकार समाप्त हो जाएगा।

ओएमसी के एलपीजी वितरकों के संदर्भ में स्टार रेटिंग डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे 504 (आईओसीएल: 373, बीपीसीएल: 87 तथा एचपीसीएल: 44) एलपीजी वितरक थे जिन्हें उनके कार्य निष्पादन के आधार पर पूर्व दो वर्षों में सभी आठ तिमाहियों में एक स्टार की श्रेणी दी गई थी तथा इसलिए यह आपूर्ति अनुबंध समाप्ति के योग्य थे।

इसके अलावा, यह पाया गया कि ऐसे 461 (आईओसीएल: 371, बीपीसीएल: 40 तथा एचपीसीएल: 50) एलपीजी वितरक थे जिनका कार्य निष्पादन या तो निरन्तर आधार पर या पिछले दो वर्षों में पिछली तीन तिमाहियों में दो स्टार की श्रेणी का पाया गया था। एमडीजी के अनुसार, निरन्तर 'औसत से कम' कार्य निष्पादन की वजह से ये वितरण अधिकार शास्ति अर्थात् वितरक के एक माह के कमीशन के 10 *प्रतिशत* से 25 *प्रतिशत* के बराबर जुर्माने के लिए भी दायी थे।

ओएमसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सहित लॉजिस्टिकल मुद्दे, राज्य विशेष मामले, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कुछ ऐसे कारण भी है जो उन वितरकों पर आरोप्य नहीं है जो अधिक पीएमयूवाई कनेक्शन आदि जारी करते है जिसकी वजह से वितरकों को आपूर्ति तथा आगे उपभोक्ता प्रभावित होते है। कम टीडीटी रेटिंग के मामलें में उक्त सभी कारकों का विश्लेषण किया जाता है तथा वितरकों को कम रेटिंग की व्याख्या करने के लिए कारण बताओं पत्र जारी किए जाते है। एक बार उत्तर प्राप्त हो जाता है तो प्रांत/क्षेत्र कार्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है तथा यदि यह पाया जाए कि वितरक उत्तरदायी है तो एमडीजी के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

एचपीसीएल ने आगे कहा (जून 2019) कि इसने लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित 94 एलपीजी वितरकों में से 43 पर कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार, आईओसीएल ने सूचित किया (जून 2019) कि उन्होंने 744 में से 89 एलपीजी वितरकों के प्रति कार्रवाई की है। हालांकि बीपीसीएल ने इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे की सूचना नहीं दी।

ओएमसी के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम टीडीटी रेटिंग के लिए ओएमसी द्वारा दिए गए कारण आपूर्तियों पर केवल अस्थाई प्रभाव डाल सकते है तथा केवल एक तिमाही को प्रभावित कर सकते है उन सभी आठ लगातार तिमाहियों को नहीं जिनमें वितरकों की स्टार रेटिंग या तो '1' या '2' थी।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई 2019) कि ओएमसीज को टीडीटी मानदण्डों के अनुसार ग्राहक के दरवाजे पर रिफिलों के वितरण करने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, निकास सम्मेलन के दौरान यह कहा गया कि वितरकों के टीडीटी निष्पादन को ओएमसी के साथ समझौता ज्ञापन में एक निष्पादन सूचक के रूप में सम्मिलित किया गया है।

5.4 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए अपर्याप्त उपाय

वित्त व्यय समिति (ईएफसी) ने 7 मार्च 2016 को आयोजित अपनी बैठक में यह चिन्हित किया कि जब तक गरीब परिवारों को छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए एलपीजी की वितरण नीति नहीं बनाई जाती तब तक पीएमयूवाई उतनी सफल नहीं होगी। इसके लिए, एमओपीएनजी ने क्षेत्रीय स्थिति के हिसाब से पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सिलेंडरों के दो आकारों अर्थात् 14.2 कि.ग्रा. तथा 5 कि.ग्रा. की सिफारिश की। इसके अलावा, छोटे आकार के सिलेंडरों का उपयोग करने के विकल्प का प्रोत्साहन महत्वपूर्ण था क्योंकि पीपीएसी - क्रिसिल सर्वेक्षण (जून 2016) ने दर्शाया था कि अधिक रिफिल लागत एलपीजी उपयोग में एक गंभीर बाधा थी जिसे सर्वेक्षण के 83 *प्रतिशत* उत्तरदाताओं ने भी एक बाधा माना ।

तथापि, यह पाया गया कि दिसम्बर 2018 तक ओएमसी 5 कि.ग्रा. सिलेंडरों के केवल 16032 कनेक्शन जारी कर पाई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: जारी किए गए 5 कि.ग्रा. एलपीजी कनेक्शनों की संख्या

ओएमसी	2016-17	2017-18	2018-19 (दिसम्बर 2018)	कुल
आईओसीएल	325	322	13848	**14495**
बीपीसीएल	0	253	172	**425**
एचपीसीएल	0	896	216	**1112**
कुल	**325**	**1471**	**14236**	**16032**

उक्त से यह प्रमाणित होता है कि दिसम्बर 2018 तक जारी 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों की संख्या कुल पीएमयूवाई कनेक्शनों का मामूली भाग (0.04 *प्रतिशत*) थी।

इसके अलावा लाभार्थी सर्वेक्षण की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 1662 पीएमयूवाई उपभोक्ताओं में से 567 लाभार्थियों (34 *प्रतिशत*) को 5 कि.ग्रा. सिलेंडरों के विकल्प का पता नहीं था जो ओएमसीज द्वारा किए गए जागरूकता निर्माण उपायों की प्रभावकारिता के विषय में एक चिंता उत्पन्न करता है।

यद्यपि 5 कि.ग्रा. के साथ 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर को बदलने के लिए आरंभिक परियोजना शुरू की गई थी (जुलाई 2017), तथापि प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी। मई 2018 में, कुछ विशेष तरीको अर्थात् वितरण अधिकार/प्लांट स्तर पर पर्याप्त स्टॉक अनुरक्षित करना, 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों की बारीकी से निगरानी करना तथा व्यापक प्रचार करना, के द्वारा 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर में सुधार करने के लिए आठ राज्यो पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इसके अलावा, एमओपीएनजी ने 14.2 कि.ग्रा. से 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों में परिवर्तन करने अथवा 14.2 कि.ग्रा. के कनेक्शन के बजाय 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर के डबल बॉटल सिलेंडर (डीबीसी) का चुनाव करने के लिए विकल्प प्रदान करके 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ओएमसी को जून 2018 में निर्देश जारी किए। तथापि, इन उपायो को ईएफसी द्वारा व्यक्त सावधानी के संदर्भ में आरंभिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए था।

उक्त विकल्पों को आरंभ करने के बावजूद, ओएमसी 31 दिसम्बर 2018 तक केवल 75973[13] एलपीजी कनेक्शनों को परिवर्तित करने में सक्षम हो पाई जिससे 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर के कुल 92005 कनेक्शन सक्रिय पीएमयूवाई कनेक्शन थे जो 3.78 करोड़ का 0.24 *प्रतिशत* था।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि योजना में संभावित ग्राहकों के लिए दोनों आकार थे। चूँकि 14.2 कि.ग्रा. के सिलेंडर का मौद्रिक मूल्य अधिक था अत: सामान्य प्रवृत्ति अधिक लाभ लेना था। प्रमुख मुद्दों में से एक सामर्थ्य होने के नाते, उन्होंने छोटे 5 कि.ग्रा. के पैकेज का लाभ लेने के फायदे के साथ इन पीएमयूवाई लाभार्थियों तथा संभावित ग्राहकों को परिचित कराने के तरीकों का आरंभ किया था। 5 कि.ग्रा. के पैकेज को बढ़ावा देने के इरादे के बावजूद, प्रारंभिक प्रतिक्रिया ने दर्शाया कि संवर्धन की कोई भी राशि इस तथ्य के कारण व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि 14.2 कि.ग्रा. की तुलना में 5 कि.ग्रा. के विकल्प का लाभ लेना लाभार्थियों के लिए घाटे का प्रस्ताव था।

एमओपीएनजी ने यह भी कहा (मई 2019) कि ओएमसीज ने 5 कि.ग्रा. के रिफिल को बढ़ावा दिया है तथा पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 5 कि.ग्रा. के अनिवार्य रोल आउट के लिए 10 जिले भी निर्धारित किए है। इस प्रारंभिक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अन्य भागों में दोहराया जाएगा।

उत्तरों को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि उद्योग एमओपीएनजी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में था। उस प्रक्रिया में, 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों का संवर्धन विषय से भटक गया था तथा इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने की चेष्टा जून 2018 में अर्थात् आरंभ करने के दो वर्षों बाद की गई थी।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि यदि इन छोटे सिलेंडरों को प्रथम दो वर्षों में व्यापक रूप से संवर्धित किया गया होता तो प्रमुख विषय के रूप में सामर्थ्य जिससे एमओपीएनजी तथा ओएमसी इसके आरंभ से परिचित थे, के मामले पर एक सीमा तक काबू पाया जा सकता था। यह भी नोट किया जाना चाहिए की गई कि बीपीसीएल तथा एचपीसीएल ने योजना के प्रथम वर्ष में 5 कि.ग्रा. का एक भी कनेक्शन जारी नहीं किया था तथा आईओसीएल ने ऐसे केवल 325 कनेक्शन जारी किए थे। इसके अलावा जागरूकता निर्माण हेतु पर्याप्त उपायों का अभाव था।

[13] आईओसीएल: 13613, बीपीसीएल: 49562 और एचपीसीएल: 12798

अध्याय 6:
बीपीएल परिवारों का एलपीजी में पारगमन

अध्याय 6: बीपीएल परिवारों का एलपीजी में पारगमन

6.1 अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज

एलपीजी कवरेज, जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 के दौरान वृद्धि दर के आधार पर, सक्रिय घरेलू ग्राहकों का अनुमानित कुल परिवारों से अनुपात है।

अप्रैल 2014 से मार्च 2019 तक अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज में वर्ष-वार वृद्धि निम्नानुसार थी:

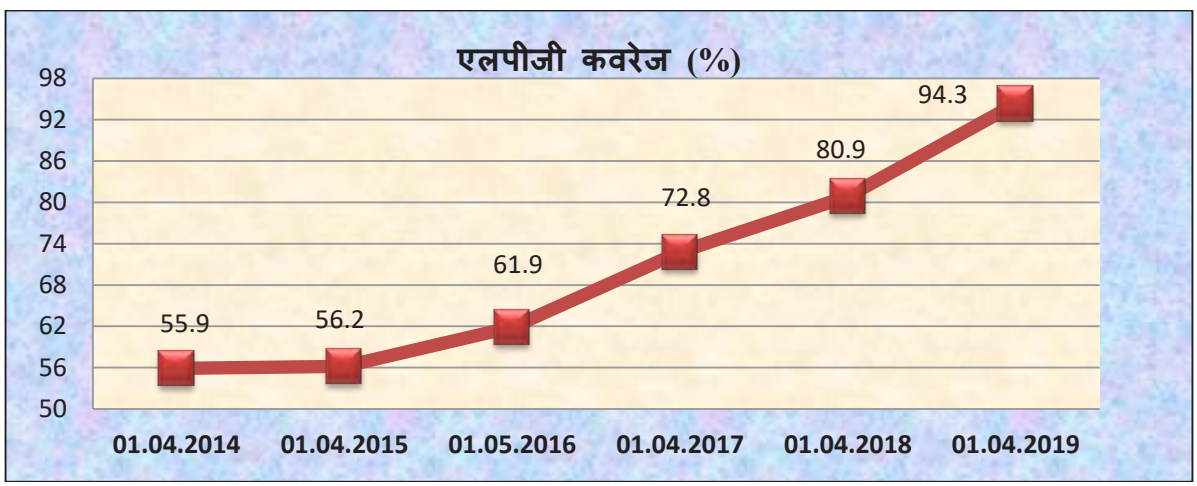

स्रोत: पीपीएसी तथा आईओसीएल

1 अप्रैल 2014 तक अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज 55.9 *प्रतिशत* थी जो 1 मई 2016 तक 61.9 *प्रतिशत* तक बढ़ी थी तथा 1 अप्रैल 2019 तक 94.3 *प्रतिशत* पर पहुँच गई।

1 मई 2016 तक 14 राज्यों/यूटी में एलपीजी कवरेज राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज से कम थी। मेघालय की 22 *प्रतिशत* के साथ सबसे कम एलपीजी कवरेज थी इसके बाद झारखण्ड (28 *प्रतिशत*), छत्तीसगढ़ (31.1 *प्रतिशत*), बिहार (31.7 *प्रतिशत*), ओड़िसा (31.9 *प्रतिशत*) तथा लक्षद्वीप (35.1 *प्रतिशत*) थे।

पीएमयूवाई के आरंभ से 1 अप्रैल 2019 तक 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों[14] ***(अनुबंध I)*** *ने* 100.1 *प्रतिशत* से 140 *प्रतिशत* तक की रेंज में एलपीजी कवरेज प्राप्त की है। जबकि मेघालय (45.20 *प्रतिशत)* को 1 मई 2016 की राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज अभी प्राप्त करनी है, पाँच राज्यों; झारखंड, छत्तीसगढ़ , बिहार, ओड़िसा तथा लक्षद्वीप की एलपीजी कवरेज 68.40 *प्रतिशत* से 74.20 *प्रतिशत* तक की रेंज में थी।

पीएमयूवाई के आरंभ के पश्चात् एलपीजी कनेक्शनों में वर्ष-वार वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

[14] चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना

तालिका 6.1: सक्रिय एलपीजी कनेक्शनों का वर्ष-वार ब्यौरा *(संख्या करोड़ में)*

निम्न तक	परिवारों की अनुमानित संख्या	एलपीजी कनेक्शनों की संख्या				कनेक्शनों में वर्ष-वार वृद्धि	एलपीजी कवरेज (*प्रतिशत*)
		पीएमयूवाई	ई-पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	कुल		
01.05.2016	26.89	0	0	16.67	16.67	-	61.9
31.03.2017	27.29	2.00	0	17.88	19.88	3.21	72.8
31.03.2018	27.72	3.52	0	18.91	22.43	2.55	80.9
31.03.2019	28.15	3.81	3.38	19.35	26.54	4.11	94.3

स्रोत: पीपीएसी तथा आईओसीएल

जैसाकि उक्त से स्पष्ट है कि पीएमयूवाई के आरंभ से एलपीजी कनेक्शनों में वृद्धि 9.87 करोड़ थी जिसमें से 7.19 करोड़ पीएमयूवाई/ई-पीएमयूवाई की वजह से थी।

हालांकि, यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान एलपीजी कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि औसत रिफिल खपत के आनुपातिक नहीं है जैसाकि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

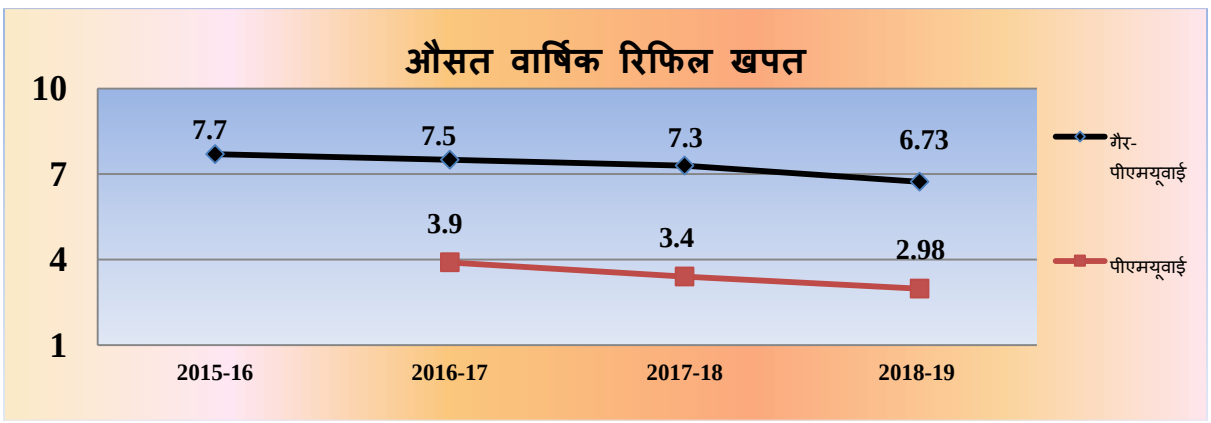

स्रोत: आईओसीएल तथा एमओपीएनजी

उक्त यह दर्शाता है कि यद्यपि पीएमयूवाई एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सक्षम है तथापि, औसत रिफिल खपत कमी की प्रवृत्ति दर्शा रही है जो दर्शाती है कि ओएमसी को एलपीजी का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कार्य करना है। यह भी नोट किया जा सकता है कि गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत खपत में कमी (10.27 *प्रतिशत*) पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत खपत में कमी (23.59 *प्रतिशत*) से कम थी।

6.2 पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ ईंधन का उपयोग

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा रिफिलों की खपत का लेखापरीक्षा विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

6.2.1 रिफिलों की कम खपत

योजना को क्रियान्वित करते समय, ओएमसीज ने एलपीजी कनेक्शनों वाले मौजूदा बीपीएल परिवारों की वार्षिक खपत की गणना 3-4 रिफिल प्रति वर्ष की है। इस खपत पैटर्न को पीएमयूवाई के आरंभ के पश्चात् जारी रखना अपेक्षित था तथा रिफिलों की मांग का निर्धारण इसी धारणा पर आधारित था।

एलपीजी उपयोग का प्रथम वर्ष स्वच्छ ईंधन उपयोग करने के लिए बीपीएल परिवारों की इच्छा का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है तथा इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा ने उन 1.93 करोड़ पीएमयूवाई ग्राहकों की औसत रिफिल खपत की गणना की जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष या अधिक पूर्ण किया था और यह देखा कि उन्होंने 3.66 रिफिल[15] प्रतिवर्ष की खपत की थी। ऐसा ही विश्लेषण 3.18 करोड़ पीएमयूवाई ग्राहकों के लिए किया गया जिन्होंने 31 दिसम्बर 2018 तक एक वर्ष या अधिक पूर्ण किया था और यह देखा गया कि औसत रिफिल खपत 3.21 प्रति वर्ष तक गिर गई थी। इस प्रकार, पीएमयूवाई लाभार्थियों की समग्र औसत रिफिल खपत में गिरावट आ रही है।

इन 3.18 करोड़ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं जिन्होंने 31 दिसम्बर 2018 तक एक वर्ष या अधिक पूर्ण किया था, के विश्लेषण ***(अनुबंध II)*** से यह पता चला कि 0.56 करोड़ (17.61 *प्रतिशत*) लाभार्थी दोबारा रिफिल के लिए कभी वापिस नहीं आए तथा 1.05 करोड़ (33.02 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने केवल 1 से 3 रिफिलों की खपत की थी।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन तक स्वच्छ कुकिंग ईंधन पहुँचाना था। कवरेज में अत्यधिक सुधार योजना को सफल बनाने के उपायों में से एक है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि एलपीजी अपनाना कई कारकों अर्थात् खाने की आदतों, खाना बनाने की आदतों, अभिगम तथा एलपीजी के मूल्य आदि पर निर्भर है। ओएमसीज 5 कि.ग्रा. के रिफिलों का तत्परता से प्रोत्साहन कर रही है तथा आरंभिक आधार पर 5 कि.ग्रा. के रिफिल का अनिवार्य रोल आउट करने के लिए 10 जिले निर्धारित किए गए है। वर्तमान में, 5 कि.ग्रा. रिफिलों की कुल खरीद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है तथा इसकी साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि ऐसी बड़ी सामाजिक योजना की सफलता को एलपीजी के निरन्तर उपयोग के माध्यम से स्वच्छ ईंधन के पारगमन को सुनिश्चित किए बिना मात्र कनेक्शनों के वितरण के अनुसार मापा नहीं जा सकता।

---

[15] लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों द्वारा खपत किए गए औसत रिफिल की गणना करने के लिए भारित औसत कार्य प्रणाली अपनाई थी (अर्थात् संबंधित लाभार्थी की समयावधि, 31.12.2018 तक संस्थापन की तिथि से उसके द्वारा लिए गए कुल रिफिल भाग वर्ष में समयावधि तथा अन्ततः पृथक औसत के जोड़ को लाभार्थियों की कुल संख्या द्वारा भाग किया जाता है)।

6.2.2 राज्य-वार खपत पैटर्न

लेखापरीक्षा ने उन 11 राज्यों में पीएमयूवाई लाभार्थियों की खपत पैटर्न का विश्लेषण किया है जिसमें एसईसीसी - 2011 के अनुसार 76.50 *प्रतिशत* बीपीएल परिवार थे तथा यह पाया कि 31 दिसम्बर 2018 तक इन राज्यों में कुल 89.95 *प्रतिशत* पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए गए है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पता चला कि इन 11 राज्यों में से 7 में स्थित पीएमयूवाई लाभार्थियों जिन्होंने एक वर्ष या अधिक पूरा किया था, की औसत रिफिल खपत 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार 3.21 रिफिल प्रति वर्ष की समग्र औसत रिफिल खपत से कम थी।

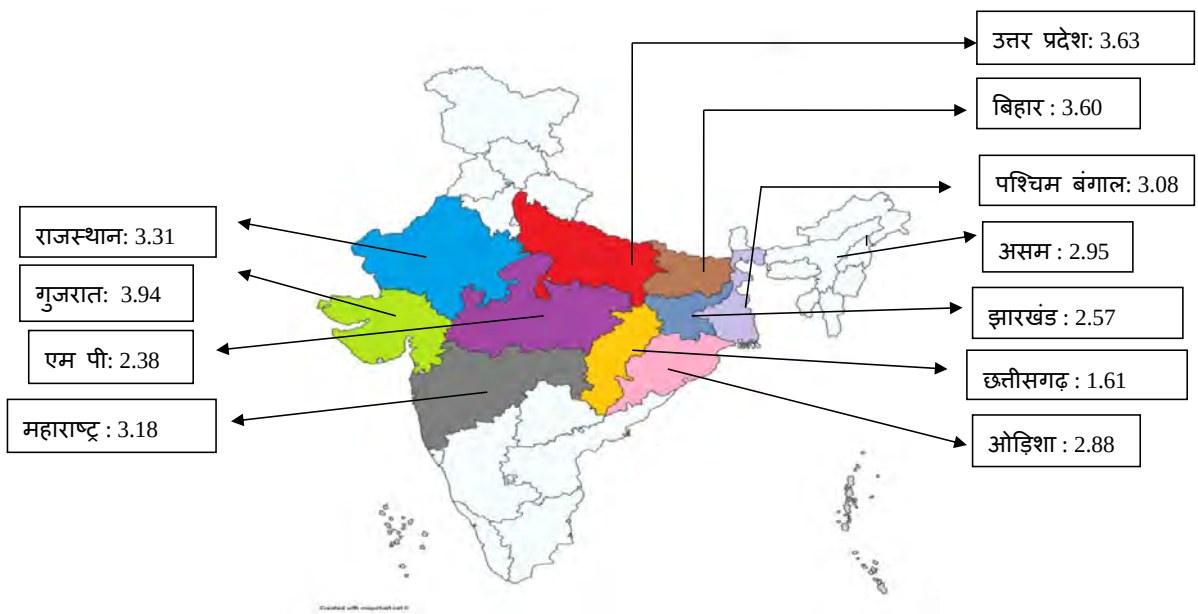

यह मानचित्र केवल चित्रण के प्रयोजन के लिए है। सीमाएं वास्तविक से भिन्न हो सकती है।

उक्त चार्ट दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की 1.61 रिफिल प्रति वर्ष औसत रिफिल खपत सबसे कम थी इसके बाद मध्य प्रदेश (2.38 रिफिल), झारखण्ड (2.57 रिफिल), ओड़िशा (2.88 रिफिल), असम (2.95 रिफिल), पश्चिम बंगाल (3.08 रिफिल) तथा महाराष्ट्र (3.18 रिफिल) थे।

उक्त के अलावा, शेष 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि दो[16] राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में औसत वार्षिक खपत तीन रिफिल अर्थात् 3-4 रिफिल प्रति वर्ष की परिकल्पित खपत से कम थी।

इस प्रकार, यद्यपि डिपॉजिट मुक्त एलपीजी कनेक्शनों के वितरण करने के उद्देश्य को व्यापक रूप से प्राप्त किया गया है जैसा कि पैरा 1.5 में चर्चा की गई है तथापि उन राज्यों में, जहाँ

[16] जम्मू और कश्मीर (2.82 रिफिल) और दादरा और नगर हवेली (2.44 रिफिल)

औसत वार्षिक खपत परिकल्पित खपत से कम थी, बीपीएल लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का सतत उपयोग सुनिश्चित करना बाकी है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि उद्योग ने एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया, 6 रिफिलों तक सब्सिडी से ऋण की वसूली को आस्थगित किया, 5 कि.ग्रा. के रिफिल को बदलने का विकल्प प्रदान किया, अभिगम में सुधार किया तथा सुधार करने हेतु खपत स्तर के लिए प्रथम बार के उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहक जागरूकता उत्पन्न की है। उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि रिफिल की खपत बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, पीएमयूवाई लाभार्थियों की औसत रिफिल खपत राष्ट्रीय खपत के आनुपातिक नहीं थी।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया (मई 2019)।

6.2.3 रिफिलों की अधिक खपत

भारत सरकार ने गैर-घरेलू उपयोग के प्रति आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन के संदर्भ में चिंताओं का समाधान करने के लिए पहल (डीबीटीएल) योजना आरंभ की (नवम्बर 2014)। तदनुसार, एक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडरों पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है तथा 12 सिलेंडरों से अधिक खपत पर आर्थिक सहायता की हकदारी के बिना बाजार मूल्य लगता है। लेखापरीक्षा ने एलपीजी डाटाबेस से एलपीजी के खपत पैटर्न का विश्लेषण किया तथा अवलोकन नीचे दिए गए है:

6.2.3.1 अधिक वार्षिक एलपीजी रिफिल खपत

रिफिलों की अधिक वार्षिक खपत के साथ उपभोक्ताओं के ओएमसी-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:

तालिका 6.2: अधिक खपत के साथ लाभार्थियों की ओएमसी-वार संख्या

एलपीजी रिफिलों की औसत वार्षिक खपत	पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या			कुल
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	
13 से 20	96326	60160	37384	**193870**
21 से 30	1376	1342	1335	**4053**
31 से 40	108	104	141	**353**
41 से 50	33	17	107	**157**
51 से 85	11	4	16	**31**
कुल	**97854**	**61627**	**38983**	**198464**

जैसाकि उक्त से यह देखा जा सकता है कि 1.98 लाख उपभोक्ताओं की 12 सिलेंडरों से अधिक औसत वार्षिक खपत थी। इन उपभोक्ताओं की बीपीएल स्थिति देखते हुए अधिक खपत की यह पद्धति प्रथम दृष्टतया ही अनुचित प्रतीत होती है तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए इन घरेलू सिलेंडरों के विपथन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

6.2.3.2 अधिक मासिक एलपीजी रिफिल खपत

लेखापरीक्षा ने आगे मासिक आधार पर पीएमयूवाई लाभार्थियों की खपत पद्धति का विश्लेषण किया तथा यह पाया कि 20.12 लाख मामलों में 13.96 लाख उपभोक्ताओं ने संस्थापन के बाद एक माह में 3 से 41 रिफिलों की खपत की। 13.96 लाख उपभोक्ताओं में से 10.09 लाख उपभोक्ताओं ने उक्त रेंज में केवल एक बार रिफिल प्राप्त किए है तथा शेष 3.87 लाख उपभोक्ताओं ने 2 से 23 बार रिफिल प्राप्त किए है जो यह बताता है कि ये उपभोक्ता एक माह में दो से अधिक बार रिफिल लेने के आदी है। लाभार्थियों द्वारा अधिक मासिक खपत के मामलों का ओएमसी वार विवरण नीचे वर्णित है:

तालिका 6.3: अधिक मासिक खपत के ओएमसी-वार मामलें

एलपीजी रिफिल की मासिक खपत	आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल		कुल	
	उपभोक्ताओं की संख्या	मामलों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	मामलों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	मामलों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	मामलों की संख्या
3 से 5	553516	689769	449031	612752	393898	543521	1396445	1846042
6 से 9		51626		48400		35638		135664
10 से 14		16092		7996		6185		30273
15 से 41		67		65		84		216
कुल		**757554**		**669213**		**585428**		**2012195**

6.2.3.3 असामान्य दैनिक एलपीजी रिफिल खपत

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई लाभार्थियों की पीएमयूवाई रिफिल लेन-देन के डाटा के साथ-साथ रिफिलों की बुकिंग/जारी करने के लिए ओएमसीज द्वारा स्थापित प्रणाली का विश्लेषण किया तथा यह पाया कि बीपीसीएल ने डाटा वैधीकरण के माध्यम से एक दिन में एक से अधिक रिफिल की बुकिंग/वितरण पर प्रतिबंध हेतु प्रभावी प्रणाली चालित तंत्र स्थापित किया है। दूसरी ओर, आईओसीएल तथा एचपीसीएल में ऐसी वैधीकरण जांच की कमी थी। इसीलिए, 3.44 लाख मामलों में ***(अनुबंध III)*** आईओसीएल तथा एचपीसीएल के एलपीजी वितरकों ने एकल बॉटल कनेक्शन वाले पीएमयूवाई लाभार्थी को एक दिन में 2 से 20 रिफिल जारी किए है।

सब्सिडी/अतिरिक्त शुल्कों तथा उद्ग्रहणों (अर्थात् सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर अंतर) की वजह से घरेलू तथा वाणिज्यिक एलपीजी रिफिलों के मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अतिरिक्त, सामान्य कनेक्शनों के मामले में भी इतनी अधिक खपत संभव नहीं है तथा इसीलिए इन मामलों में गैर-घरेलू/वाणिज्यिक उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी के विपथन के जोखिम को नकारा नहीं जा सकता। अत: योजना के तहत रिफिलों के दुरूपयोग से बचने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है।

आईओसीएल तथा एचपीसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि प्रत्येक परिवार की एलपीजी रिफिल खपत किसी एक दिन में इसे संचालित करने के लिए किसी कोटा प्रतिबंध से स्वतंत्र है। प्रत्येक घर की परिवार संरचना, खाने की तथा खाना बनाने की आदतें भिन्न होती है जिसके

फलस्वरूप प्रत्येक परिवार की अपनी अलग एलपीजी खपत आवश्यकता है। इसीलिए एक सिलेंडर प्रति दिन से अधिक की बुकिंग तथा सुपुर्दगी को निषेध करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि, एसबीसी ग्राहकों को एक से अधिक बुकिंग तथा रिफिल वितरण का विनिमयन करने के लिए प्रणाली में एक नियंत्रण तंत्र प्रारंभ किया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की बीपीएल स्थिति के मद्देनजर, रिफिलों की अधिक खरीद का पैटर्न असम्भाव्य प्रतीत होता है तथा इसमें विपथन का जोखिम है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की रिफिल खपत की ध्यानपूर्वक निगरानी करने के लिए आन्तरिक जांच तथा नियंत्रण फ्रेम स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, ओएमसीज ने 14.2 कि.ग्रा. के 15 सिलेंडर की वार्षिक कैपिंग आरंभ की है तथा अधिक रिफिल बिक्री वाले वितरकों को कारण बताओं पत्र जारी किए गए है तथा एमडीजी के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बीपीसीएल द्वारा विपथन के तीन मामलों का पता लगाया गया है तथा एमडीजी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

6.3 पीएमयूवाई लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

लेखापरीक्षा ने 164 चयनित एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत कम से कम 10 पीएमयूवाई लाभार्थियों का चयन करके 1662 लाभार्थियों का नमूना सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण पारगमन की सीमा की जांच करने तथा बीपीएल परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग करने की बाधाओं को समझने के लिए किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित बाधाएं सामने आई:

1. चूँकि सर्वेक्षण एलपीजी बिक्री अधिकारी तथा एलपीजी वितरक की उपस्थिति में लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया था अत: उत्तर में कुछ पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं।
2. यदि लाभार्थी सर्वेक्षण के समय उपस्थित नहीं था तो किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के उत्तर प्राप्त किए गए जो लाभार्थी के उत्तर से भिन्न हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमयूवाई के कार्यान्वयन से पूर्व, 97.47 *प्रतिशत* लाभार्थी खाना बनाने के लिए अस्वच्छ ईंधन जैसे लकड़ी, पशुओं का गोबर और अल्प गुणवत्ता के कोयले का प्रयोग कर रहे थे तथा शेष बाजार से खरीदी गई एलपीजी का प्रयोग कर रहे थे।

लाभार्थी सर्वेक्षण के आधार पर, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन से पूर्व तथा पश्चात् पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा अस्वच्छ ईंधन से स्वच्छ ईंधन की ओर पारगमन की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

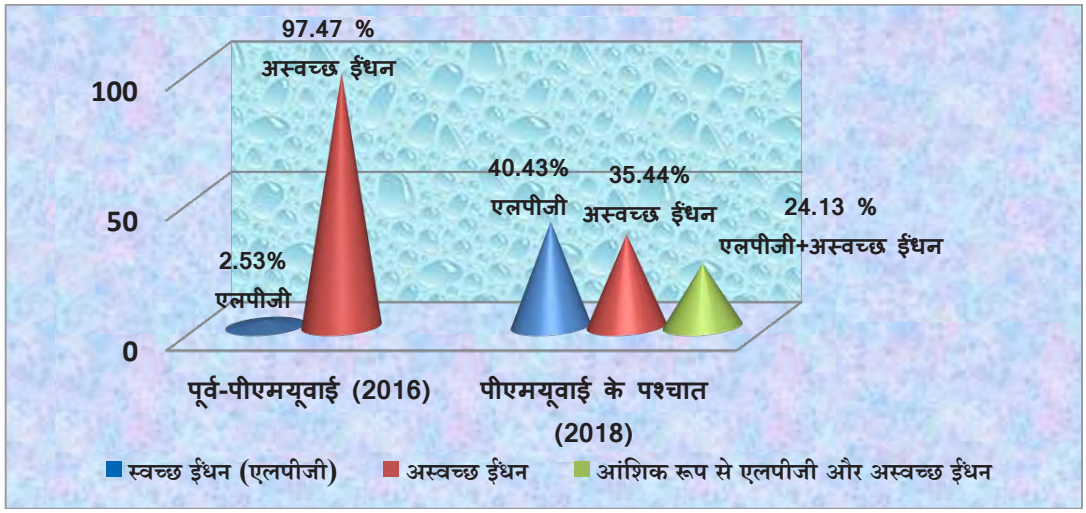

पीएमयूवाई के 1662 लाभार्थियों में से, 672 लाभार्थी पूर्ण रूप से एलपीजी की ओर स्थानांतरित हुए, जबकि 589 लाभार्थियों ने पुन: अस्वच्छ ईंधन (लकड़ी, उपले और अन्य) का प्रयोग आरंभ कर दिया तथा 401 लाभार्थी मुख्य रूप से एलपीजी रिफिल के उच्च मूल्य या पारंपरिक अस्वच्छ ईंधन की आसान/मुफ्त उपलब्धता के कारण एलपीजी तथा अस्वच्छ ईंधन दोनों का प्रयोग कर रहे थे।

एलपीजी रिफिल की उच्च लागत को देखते हुए, जो लाभार्थी सर्वेक्षण से बीपीएल परिवारों द्वारा पारंपरिक अस्वच्छ ईधन की ओर वापिस लौटने के मुख्य कारण के रूप में उभर कर आया, लेखापरीक्षा ने एलपीजी रिफिल (14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर) के मूल्य का विश्लेषण किया और पाया कि अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान एलपीजी रिफिल का बाज़ार मूल्य ₹ 500 प्रति रिफिल से ₹ 837 प्रति रिफिल[17] के बीच रहा। क्योंकि बीपीएल उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल की लागत का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना था, यह एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में बाधा बन गई।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के प्रयोग की अनूकूलन क्षमता तथा सतत प्रयोग एक क्रमिक प्रक्रिया होगी क्योकि उन्हें खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों तथा ईंधन के प्रयोग की आदत हैं। साथ ही, चूंकि पीएमयूवाई के अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उनके आस-पास के क्षेत्रों में वैकल्पिक पारपंरिक ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, उपले और कृषि अवशिष्ट की आसान उपलब्धता जैसे कारको का लाभार्थियों के खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन एलपीजी की ओर स्थानांतरण को प्रभावित करने की सभांवना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस पारगमन को लाने और पीएमयूआई लाभार्थियों को एलपीजी की ओर स्थानांतरित करने हेतु तेल कंपनियों द्वारा विभिन्न पहल और कदम उठाए गए है।

एमओपीएनजी ने कहा (मई 2019) कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा सामर्थ्यता के मामले को हल करने के लिए ओएमसीज 5 कि.ग्रा. के रिफिल को बढ़ावा दे रही हैं।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि दो वर्षों से अधिक समय के पूर्ण होने के बावजूद भी, सर्वेक्षण किए गए लगभग 60 *प्रतिशत* लाभार्थी अभी तक स्वच्छ ईंधन की ओर

[17] चार महानगर शहरों में

पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं किए जा सके है। इसके अतिरिक्त 5 कि.ग्रा. रिफिलों को प्रोत्साहित करने की पहल स्कीम के अनुमोदन के दौरान ईएफसी द्वारा व्यक्त सावधानियों (मार्च 2016) के मद्देनजर काफी पहले ही आरंभ कर दी जानी चाहिए थी, जैसा कि पैरा 5.4 में पहले चर्चा की गई है।

6.4 ओएमसी द्वारा प्रदत्त ब्याज मुक्त ऋण

पीएमयूवाई पर एमओपीएनजी दिशानिर्देश यह कहते है कि ओएमसीज उन बीपीएल परिवारों को ईएमआई सुविधा प्रदान करेगी जो योजना के अंतर्गत गैस स्टोव की लागत और पहले रिफिल पर यह सुविधा प्राप्त करना चाहते है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ओएमसीज ने आरंभिक रिफिल/अनुवर्ती रिफिल के प्रति संबंधित पीएमयूवाई लाभार्थी को देय सब्सिडी से ऋण राशि की वसूली के विषयाधीन 68 *प्रतिशत* लाभार्थियों को असुरक्षित ब्याज मुक्त ईएमआई सुविधा प्रदान की। ओएमसीज द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण के 31 मार्च और 31 दिसम्बर 2018 का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 6.4 ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ताओं और बकाया ऋण का विवरण

(आंकड़े करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.12.2018
सक्रिय पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या	3.52	3.78
ऋण लेने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या	2.38	2.58
प्रदत्त ब्याज मुक्त ऋण (₹)	3852.77	4192.79
ब्याज मुक्त ऋण की बकाया राशि (₹)	1519.36	1575.72
वसूल किये गये ब्याज मुक्त ऋण की राशि (₹)	2333.41	2617.07

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, 31 दिसम्बर 2018 तक ओएमसी द्वारा प्रदत्त ब्याज-मुक्त ऋण की राशि का 37.58 *प्रतिशत* ही वसूल किया जा सका।

6.4.1 पीएमयूवाई लाभार्थियों से ब्याज मुक्त ऋण की वसूली न होना

ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के विश्लेषण से पता चला कि 2.58 करोड़ ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई लाभार्थियों में से 2.14 करोड़ (82.95 *प्रतिशत*) ने 31 दिसम्बर 2018 को एक वर्ष या अधिक समय पूर्ण कर लिया था तथा उनकी ओर ₹ 1994.82 करोड़ की राशि बकाया थी जैसा कि नीचे वर्णन किया गया हैं:

तालिका 6.5: एक वर्ष पूर्ण कर चुके पीएमयूवाई ग्राहकों के बकाया ऋण के विवरण

विवरण	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
31.12.2018 को एक वर्ष से अधिक पूर्ण कर चुके ऋण प्राप्तकर्ता ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)	1.04	0.50	0.60	**2.14**
ऋण राशि (₹ करोड़)	1669.24	811.36	962.00	**3442.60**
वसूली किया गया ऋण (₹ करोड़)	734.75	332.48	380.55	**1447.78**
बकाया ऋण (₹ करोड़)	934.49	478.88	581.45	**1994.82**

उपरोक्त से पता चलता है कि ओएमसीज 31 दिसम्बर 2018 को एक वर्ष या अधिक समय पूर्ण कर चुके पीएमयूवाई उपभोक्ता को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदत्त राशि का 42.05 *प्रतिशत* वसूल कर पाई। तथापि, इन उपभोक्ताओं का और विश्लेषण करने पर पता चला कि संस्थापन करने के बाद से 0.92 करोड़ (43 *प्रतिशत*) उपभोक्ताओं ने बहुत कम रिफिल (लगभग तीन) का उपभोग किया और उनसे ₹ 1234.71 करोड़[18] की ऋण राशि बकाया थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 6.6: अल्प उपभोग वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं से बकाया ऋण का विवरण

क्र. सं.	विवरण	एक रिफिल	दो रिफिल	तीन रिफिल	कुल
1	31 दिसम्बर 2018 तक एक वर्ष या अधिक पूर्ण करने वाले ऋण प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं की संख्या (₹ करोड़ में)	0.38	0.29	0.25	0.92
2	इन ऋण प्राप्त कर्ताओं को प्रदत्त कुल ऋण राशि (₹ करोड़ में)	614.30	472.04	403.43	1489.77
3	वसूल की गई ऋण राशि (₹ करोड़ में)	71.10	84.29	99.66	255.05
4	31 दिसम्बर 2018 तक बकाया ऋण राशि (₹ करोड़ में)	543.20	387.75	303.77	1234.72

इन लाभार्थियों द्वारा रिफिल के अल्प उपभोग को ध्यान में रखते हुऐ बकाया राशि की वसूली की संभावना काफी कम है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि इनको स्वच्छ एलपीजी के उपयोग के लिए मार्गदर्शन के उद्देश्य से इन अल्प उपभोग वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित करने हेतु एक निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है।

ओएमसीज द्वारा अल्प उपभोगकर्ता उपभोक्ताओं द्वारा स्वच्छ एलपीजी के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन करने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद यह तथ्य शेष रहता है कि इस योजना के आरंभ से ही ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ता, जिन्होंने एक से तीन रिफिल लिए है, का उपभोग गति प्राप्त नहीं कर पाया जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त ऋण की वसूली नहीं हो पाई।

एमओपीएनजी ने अपने उत्तर (मई 2019) में कोई टिप्पणी नहीं दी।

6.4.2 पीएमयूवाई लाभार्थियों पर ओएमसीज द्वारा ऋण के स्थगन का प्रभाव

ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रिफिल के अल्प उपभोग को ध्यान में रखते हुए, ओएमसीज ने एलपीजी उपभोग को बढ़ाने हेतु उन सभी पीएमयूवाईसी लाभार्थियों, जिनकी 31 मार्च 2018 को ऋण राशि बकाया थी, के साथ साथ 1 अप्रैल 2018 से पंजीकृत सभी नये ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ताओं से छह रिफिलों तक ऋण राशि की वसूली को स्थगित कर दिया।

[18] अर्थात उन्हें प्रदत्त ऋण का 82.88 *प्रतिशत*

लेखापरीक्षा ने उन उपभोक्ताओं, जिन्होंने एक, दो या तीन रिफिल लिए और 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष पूर्ण कर लिया था, की ऋण राशि की वसूली के स्थगन के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि 0.53 करोड़ ऋणी उपभोक्ताओं में से केवल 0.26 करोड़ ही अप्रैल-दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अनुवर्ती रिफिल के लिए वापिस आए। वापिस आए लोगों में से केवल 17315 उपभोक्ताओं ने छह रिफिल से अधिक का उपभोग किया जिनसे वसूली आरंभ की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 31 दिसम्बर 2018 तक एक वर्ष पूर्ण कर चुके लेकिन एक से तीन रिफिल ही लेने वाले ऐसे ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या बढ़कर 0.92 करोड़ हो गई थी। 31 दिसम्बर 2018 तक उनके प्रति बकाया ऋण राशि ₹ 1234.71 करोड़ थी।

आईओसीएल तथा बीपीसीएल ने 31 दिसम्बर 2018 तक अपनी लेखा पुस्तकों में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के रूप में क्रमश: ₹ 840.96 करोड़ तथा ₹ 70 करोड़ की राशि दर्शायी।

इस प्रकार छह रिफिल तक ओएमसी द्वारा ऋण की वसूली के स्थगन से रिफिलों के उपभोग में वृद्धि में प्रभावकारी परिणाम सामने नहीं आए और अल्प उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली की संभावना बहुत दूरस्थ है जिसे अंतत: ओएमसी को ही वहन करना होगा।

ओएमसीज ने, यह स्वीकार करते हुए कि ऋण की वसूली के स्थगन से प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि नहीं हुई, उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि सभी वर्तमान और नये पीएमयूवाई ऋण प्राप्त कर्ता लाभार्थियों से 01 अप्रैल 2019 से बकाया ऋण की वसूली पुन: आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

एमओपीएनजी ने, अपने उत्तर (मई 2019) में, इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

6.5 योजना के लाभों का निर्धारण करने वाले निष्पादन सूचकों की अनुपस्थिति

व्यय वित्त समिति ने योजना को स्वीकृति देते समय पीएमयूवाई के परिमेय लाभों/परिणामों के बारे में पूछताछ की थी जिसके प्रति एमओपीएनजी ने उत्तर दिया कि पीएमयूवाई एक सामाजिक विकास योजना है, जिसके परिमेय लाभ/परिणाम थे:

क) ईंधन लकड़ी पर निर्भरता में कमी

ख) महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार

लेखापरीक्षा ने, तथापि, पाया कि स्वच्छ ईंधन के निरंतर प्रयोग की निगरानी करने के लिए कोई मानदंड नहीं थे। इस योजना से लाभार्थियों द्वारा अर्जित स्वास्थ्य लाभों के निर्धारण हेतु मंत्रालय द्वारा कोई निष्पादन सूचक निर्धारित नहीं किए गए थे। एक लेखापरीक्षा प्रश्न, कि क्या योजना की उपलब्धि की सीमा निर्धारित करने हेतु कोई मापदंड/बेंचमार्क स्थापित किए गऐ है, के प्रति एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पारंपरिक ईंधन के परिगणित प्रभावों पर एक वर्तमान अध्ययन पर आधारित है। अत: किसी

निष्पादन सूचकों की अनुपस्थिति में योजना से अर्जित सभी लाभों की गणना नहीं की जा सकती।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा आपत्ति नोट की (मई/जुलाई 2019) और उत्तर भी दिया कि पीएमयूवाई के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पर्यावरण, पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस सहित संबंधित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों वाले स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय विशेषज्ञ पैनल का गठन करने का अनुरोध किया है।

अध्याय 7:
वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 7: वित्तीय प्रबंधन

7.1 पीएमयूवाई दावों के निपटान हेतु बजट

पीएमयूवाई के अंतर्गत जारी एलपीजी कनेक्शनों के प्रति ओएमसीज के दावे तिमाही आधार पर पीपीएसी के पास दायर किए जाने थे जिसे सितम्बर 2016 से मासिक आधार पर संशोधित कर दिया गया । पीपीएसी इनकी संवीक्षा कर एमओपीएनजी को अग्रेषण करती है जो ओएमसीज के दावों की प्रतिपूर्ति करती है।

पीएमयूवाई कनेक्शनों का निर्गमन और उनके निपटान का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 7.1: आबंटित निधियां और उनके उपयोग का विवरण

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	जारी पीएमयूवाई कनेक्शन	बजट आकलन	संशोधित आकलन	प्रयुक्त बजट	ओएमसीज के प्रसंस्कृत दावे	टिप्पणी
2016-17	2.00	2000.00	2500.00	2500.00	जनवरी 2017 तक	2016-17 के लिए ₹ 498.77 करोड़ के शेष दावों का निपटान 2017-18 में हुआ।
2017-18	1.56	2500.00	2251.81	2251.81	सितम्बर 2017 तक	2017-18 के लिए ₹ 672.84 करोड़ के शेष दावों का निपटान 2018-19 में हुआ।
2018-19	2.39 (ई-पीएमयूवाई के अतर्गत 2.09 करोड़ सहित)	3200.00	लागू नहीं	3200.00	अगस्त 2018 तक (आंशिक भुगतान)	• अगस्त 18 से नवम्बर 18 तक की अवधि हेतु ₹ 1232.00 करोड़ की राशि के शेष दावों का निपटान 2019-20 में हुआ। • दिसम्बर 2018 के लिए ₹ 177.11 करोड़ के दावे का भुगतान एमओपीएनजी द्वारा प्रक्रियाधीन

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाते समय, 2016-17 से 2019-20 तक प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष-वार पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य भी संशोधित (सितम्बर 2017) करके दो करोड़ कर दिया गया था। तथापि,न तो 2017-18 के लिए आरई न ही 2018-19 के लिए बीई, लक्ष्यों के संशोधन के अनुरूप या पिछले वर्षों के लिए कमी को पूरा करने हेतु आबंटित किये गये।

बजट में कमी के कारण इसका परिणाम इन वर्षों में दावों के आंशिक निपटान के रूप में सामने आया।

यदि दावों के आंशिक निपटान के कारण होने वाली कमी सहित ओएमसीज के लंबित दावों के निपटान हेतु एमओपीएनजी को समुचित बजट नहीं मिला तो पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई के भविष्य मे जारी होने वाले कनेक्शनों को देखते हुऐ यह परिस्थिति बने रहने की संभावना है।

एमओपीएनजी ने उत्तर (मई 2019) दिया कि उन्होंने ₹ 9183 करोड़ की राशि के दावों की प्रतिपूर्ति कर दी है और वर्तमान तिथि तक कोई दावा लंबित नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि ₹ 9183 करोड़ में से, वर्ष 2018-19 (अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018) के ₹ 1232 करोड़ के दावों का निपटान 2019-20 के बजट से किया गया था। इसके अतिरिक्त जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 1894.59 करोड़ की राशि के दावों को पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत किया जाना था। इस प्रकार, बजट में आवर्ती कमी के परिणामस्वरूप ओएमसीज के दावों की प्रतिपूर्ति में विलम्ब हुआ।

7.2 वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना एनओसीज से सीएसआर निधियों का संग्रहण करना

योजना को स्वीकृत करते समय, सीसीईए ने यह निर्दिष्ट किया था कि कुल योजना निधि में उपलब्ध बचत और ओएमसीज की सीएसआर निधियों में से, प्रशासन और आईईसी संबंधित कार्यकलापों के प्रति दो *प्रतिशत* से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। एमओपीएनजी ने, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते समय ओएमसीज को निर्दिष्ट किया की राष्ट्रीय तेल कंपनियों[19] की सीएसआर निधियों के 20 *प्रतिशत* का प्रयोग पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दो *प्रतिशत* प्रशासनिक/आईईसी व्यय की सीमा तक किया जाएगा। आईओसीएल को नोडल ऐजेंसी के रूप में नामित किया गया।

तदनुरूप, एनओसीज ने अपनी सीएसआर निधियों के 20 *प्रतिशत* का अंशदान दिया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 7.2: एनओसीज द्वारा अंशदान की गई सीएसआर निधियों का विवरण (₹ करोड़ में)

कंपनी	सीएसआर योगदान			
	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
ओएनजीसी	107.13	-	-	107.13
गेल	16.30	-	-	16.30
ऑयल	15.80	12.35	11.23	39.38
आईओसीएल	41.60	76.43	85.38	203.41
बीपीसीएल	31.82	36.67	40.54	109.03
एचपीसीएल	16.58	25.27	31.44	73.29
कुल	**229.23**	**150.72**	**168.59**	**548.54**

मार्च 2019 को पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने हेतु ओएमसीज द्वारा सीएसआर निधि के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

[19] एनओसीज अर्थात ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और ऑयल

तालिका 7.3: ओएमसीज द्वारा सीएसआर निधियों के उपयोग का विवरण (₹ करोड़ में)

ओएमसी	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
आईओसीएल	41.60	10.79	54.20	**106.59**
बीपीसीएल	16.44	12.94	29.58	**58.96**
एचपीसीएल	15.99	14.09	31.06	**61.14**
कुल	**74.03**	**37.82**	**114.84**	**226.69**

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओपीएनजी ने पीएमयूवाई में उपयोग के लिए सीएसआर निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं की गणना करने की अपेक्षा, पुरानी पद्धति के अनुसार एनओसीज को उनकी सीएसआर निधि के 20 *प्रतिशत* संग्रहीकरण करने के निर्देश दिए। क्योंकि मार्च 2019 तक केवल ₹ 286.69 करोड़[20] की राशि का उपयोग हो पाया था, ₹ 261.85 करोड़ की राशि आईओसीएल, जो कि पूल परिचालक था, के पास व्यर्थ पड़ी रही।

ओएमसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष में अग्रनीत कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निधि के उपयोग हेतु, एमओपीएनजी ने एसईसीसी 2011 डाटा के अनुसार एकल पुरूष सदस्यों को, 5 कि.ग्रा. डबल बॉटल सिलेंडर (डीबीसी) कनेक्शन तथा ताज ट्रेपिज़ियम जोन के बीपीएल परिवार जो एसईसीसी डाटा का हिस्सा नहीं थे, को कनेक्शन जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि सीएसआर निधियों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण की अनुपस्थिति में सीएसआर पूल में अधिशेष अंशदान के परिणामत: निधियां व्यर्थ पड़ी रही।

एमओपीएनजी ने उत्तर (मई 2019) दिया कि आईओसीएल को अधिशेष निधि, यदि कोई हो तो, संबंधित एनओसी को वापिस करने की सलाह दी गई है।

7.3 आईईसी/पीएमई कार्यकलापों पर अधिकतम अर्हक राशि से अधिक व्यय

पीएमयूवाई दावों के अतिरिक्त, एनओसीज द्वारा अंशदान की गई सीएसआर निधि से पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए समान उपयोग की दशा में, ओएमसी तिमाही आधार पर प्रशासनिक/आईईसी कार्यकलापों पर दो *प्रतिशत* व्यय की प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए हकदार है।

ओएमसी के आईईसी/पीएमई दावों का निपटान निम्नलिखित तीन में से न्यूनतम के आधार पर पीपीएसी के माध्यम से किया जाऐगा।:

- तिमाही तक संबंधित ओएमसी को जारी निवल पीएमयूवाई दावों का दो *प्रतिशत*;

[20] पूर्ववर्ती बीपीएल योजना से हुई कमी को पूरा करने हेतु बीपीसीएल को जारी ₹ 60 करोड़ की राशि भी इसमें शामिल है।

- ओएमसीज द्वारा किए गए दावे के अनुसार तिमाही तक पीएमई/आईईसी पर वास्तविक व्यय
- पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने हेतु सीएसआर निधियों से प्रयुक्त वास्तविक राशि।

आईईसी/पीएमई पर व्यय, दायर और निपटान किऐ गऐ दावों का ओएमसी-वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 7.4: ओएमसीज द्वारा आईईसी/पीएमई व्यय और उनके प्रति दावों के विवरण *(₹ करोड़ में)*

ओएमसी	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए आईईसी/ पीएमई कार्यकलापों पर किया गया व्यय	अप्रैल 2016 - दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत पीएमयूवाई नकद सहायता दावे	पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत संचयी पीएमयूवाई दावों के अनुसार अर्हता (कॉलम 3 का 2 %)	पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए सीएसआर निधि से प्रयुक्त राशि।	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए अर्हता के अनुसार न्यूनतम (कॉलम 2, 4 तथा 5 का न्यूनतम)	एमओपीएनजी द्वारा स्वीकृत और जारी किऐ गये आईईसी/पीए मई दावों की संचयी राशि
1)	**2)**	**3)**	**4)**	**5)**	**6)**	**7)**
आईओसीएल	166.43	4425.38	88.51	88.51	88.51	51.34
बीपीसीएल	138.84	2446.91	48.94	29.38	29.38	16.44
एचपीसीएल	126.44	2523.59	50.47	30.08	30.08	30.08
कुल	**431.71**	**9395.88**	**187.92**	**147.97**	**147.97**	**97.86**

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, दिसम्बर 2018 तक प्रतिपूर्ति योग्य राशि से ₹243.79 करोड़ का अधिक व्यय ओएमसी द्वारा आईईसी/पीएमई कार्यकलापों पर किया गया जो ओएमसीज पर अतिरिक्त भार है। इसके अतिरिक्त बीपीसीएल तथा एचपीसीएल द्वारा सीएसआर निधि का किया गया उपयोग पीएमयूवाई की संबंधित दो *प्रतिशत* अनुमत सीमा से कम था, जिसके कारण आईईसी/पीएमई कार्यकलापों के उनके प्रतिपूर्ति योग्य व्यय में कमी आई।

यदि पीएमयूवाई के सम्पूर्ण परिव्यय पर विचार किया जाए तो भी आईईसी/पीएमई प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम अर्हक राशि केवल ₹ 256 करोड़ ही होगी। इस अतिरिक्त लागत का अनुवर्ती वर्षों में बढ़ना तय है क्योंकि पीएमयूवाई को 2019-20 तक कार्यान्वित किया जाना है।

ओएमसीज ने उत्तर (अप्रैल 2019) दिया कि इतनी बड़ी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अत्याधिक संसाधनों की तैनाती आवश्यक है जिसके कारण आईईसी/पीएमई व्ययों में वृद्धि हुई, इसकी तुलना किसी सामान्य परियोजना से नहीं की जा सकती। यह भी कहा गया कि एमओपीएनजी से इस सीमा को चार *प्रतिशत* तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त उत्तर को नोट करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करने के बावजूद भी योजना को स्वीकृत करते समय सीसीईए द्वारा आईईसी/पीएमई के लिए निर्धारित सीमा में वृद्धि नहीं की गई।

आईईसी/पीएमई की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किये गये इस अतिरिक्त व्यय का वहन योजना समाप्त होने तक ओएमसीज को स्वयं के बजट द्वारा करना होगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2019) में कोई टिप्पणी नहीं दी।

7.4 पीएमयूवाई उपयोक्ताओं को सब्सिडी अंतरित न होना

ऋण न लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थी प्रथम रिफिल से ही रिफिल सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार है। तथापि, ऋण प्राप्तकर्ता लाभार्थीयों को केवल ऋण की पूर्ण वसूली होने के पश्चात ही सब्सिडी अंतरित होनी थी। उपभोक्ता के बैंक खाते में रिफिल सब्सिडी अंतरित करने हेतु उपभोक्ता के बैंक खाता विवरण तथा आधार संख्या एलपीजी कनेक्शन के साथ एलपीजी वितरक के पास आलेखित होनी चाहिए।

डाटा विश्लेषण टूल का प्रयोग करते हुए पीएमयूवाई के लेनदेन डाटा (31 दिसम्बर 2018 तक) के विश्लेषण से पता चला कि:

a) 10.50 लाख ऋण प्राप्त न करने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 5.97 लाख, बीपीसीएल: 1.48 लाख तथा एचपीसीएल:3.05 लाख) के सक्रिय रहने और रिफिल लेने के बावजूद भी ₹ 78.85 करोड़ (आईओसीएल: ₹ 44.38 करोड़, बीपीसीएल: ₹ 13.04 करोड़ तथा एचपीसीएल: ₹ 21.43 करोड़) की सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित नहीं हुई;

b) इसी प्रकार, 15.43 लाख ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 9.53 लाख, बीपीसीएल: 2.06 लाख तथा एचपीसीएल: 3.84 लाख) द्वारा अनुवर्ती रिफिलों पर ₹ 108.66 करोड़ (आईओसीएल: 66.02 करोड़, बीपीसीएल: 15.55 करोड़ तथा एचपीसीएल: 27.09 करोड़) की राशि की सब्सिडी इन उपभोक्ताओं के बैंक खातों में अंतरित नहीं हुई। 15.43 लाख उपभोक्ताओं में से 3.23 लाख उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 2.24 लाख, बीपीसीएल: 0.26 लाख तथा एचपीसीएल: 0.73 लाख) का ऋण पूर्ण रूप से वसूल किया जा चुका था। 31 दिसम्बर 2018 को छह रिफिल[21] से कम उपभोग होने के कारण शेष उपभोक्ताओं की सब्सिडी देय थी।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि आधार लिंक न होना/डी-लिंकिग या बैक/एनपीसीआई के साथ खाते का निष्क्रिय होने जैसे विभिन्न कारणों से सब्सिडी विफल रही। तथापि, इस मामले पर बैंकों और एनपीसीआई से विचार-विमर्श किया गया है और ऐसे मामलों के प्रबंधन में प्रक्रियागत सुधार हेतु अक्टूबर 2018 में कार्रवाई की गई है।

एमओपीएनजी ने इसके अतिरिक्त कहा (मई 2019) कि सब्सिडी लेनदेन विफलता दर मात्र 0.5 *प्रतिशत* है और ओएमसीज सब्सिडी लेनदेन को पुन: आरंभ करने हेतु लगातार निगरानी और सुधारात्मक उपाय कर रही है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि पीएमयूवाई के छह *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को सब्सिडी अंतरित न होने के कारण वे अधिक रिफिल उपभोग हेतु हतोत्साहित हो सकते है क्योंकि

[21] 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक छह रिफिल तक ऋण वसूली को स्थगित कर दिया गया था।

वे बीपीएल श्रेणी से संबंध रखते है और उन्होंने सब्सिडी प्राप्त किए बिना रिफिल की उच्च दर का भुगतान किया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल उपभोग के निम्न पैटर्न को ध्यान में रखते हुऐ यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

7.5 पीपीएसी द्वारा पीएमयूवाई दावों की अप्रभावी संवीक्षा

पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत दावों की पूर्ण लेखापरीक्षा होनी चाहिए और वे लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किऐ जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि पीपीएसी ओएमसीज के नकद सहायता दावों की संवीक्षा उनकी लेखा पुस्तकों से करेगी और अनुरक्षित लेखाओं से क्रॉस चेक (प्रति परीक्षण) भी कर सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए वे किसी भी संबंधित रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं या ओएमसी के कार्यस्थल, संयंत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय आदि जा सकते है तथा अनुरक्षित रिकॉर्ड की जांच कर सकते है।

चूंकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एसईसीसी-2011 के एएचएल टीआईएन लाभार्थियों की अर्हता का निर्धारण करने वाले प्राथमिक मानदंड थे, एएचएल टीआईएन पर समुचित प्रमाणीकरण स्थापित करना महत्वपूर्ण था ताकि अनर्हक व्यक्तियों को लाभ या एक ही लाभार्थी/परिवार को कई कनेक्शन प्रदान किऐ जाने वाले मामलों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, पीपीएसी, जिसे पीएमयूवाई दावों की संवीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, को एमओपीएनजी के लिए पीएमयूवाई दावों की सिफारिश करने से पूर्व पूरी तत्परता बरतनी थी ताकि डूप्लीकेट/बहु/एलपीजी कनेक्शन के कारण ओएमसीज के दावों की पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटा (एक्सल फाईल) में संग्रहित एएचएल टीआईएन की पीपीएसी ने डी-डूप्लीकेशन जांच की और मार्च 2018 तक एक ही एसईसीसी परिवार/व्यक्ति को जारी डूप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन के 38 मामलों की पहचान की। तथापि, इस डी-डूप्लीकेशन के लिए पीपीएसी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि, वर्तमान तिथि तक पीपीएसी को प्रस्तुत सभी दावों की अपेक्षा उसी माह, उसके अंतर्गत और ओएमसीज के भीतर प्रस्तुत दावे के लिए एमएस-एक्सल में एएचएल-टीआईएन के मिलान तक ही सीमित थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ओएमसीज द्वारा पीपीएसी को प्रस्तुत उपभोक्ता डाटा में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे उपभोक्ता का लिंग, जन्म-तिथि आदि सम्मिलित नहीं थे और इस डाटा में कई कमियां, जैसे लाभार्थियों के नाम न होना, खाली/खंडित/अधूरे एएचएल टीआईएन आदि, कुछ मामलों में पाई गई। इन तथ्यों की समीक्षा करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ महत्वपूर्ण था की पीएमयूवाई कार्यान्वयन पर पीपीएसी ने एक अध्ययन किया (अगस्त 2017) और कई गंभीर अनियमितताएं पाई जैसे कि ओएमसीज द्वारा अनर्हक लाभार्थियों (पुरूप, अल्पव्यस्क आदि) को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाना। इस प्रकार, यदि ओएमसीज के दावों के प्रसंस्करण से पूर्व यदि यह क्षेत्र/जानकारी प्राप्त और जांच की गई होती तो, पीपीएसी द्वारा की गई समीक्षा और भी प्रभावकारी होती।

पीपीएसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि योजना के अनुसार, लाभार्थियों की अर्हता की जांच करना निदेशित नहीं था क्योंकि योजना के अनुसार ओएमसी नये एलपीजी कनेक्शनों के लिए अपेक्षित तत्परता हेतु डी-डूप्लीकेशन का कार्य इलेक्ट्रॉनिकली और अन्य उपायों से करती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कार्यन्वयन पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् इसने उसी माह के भीतर उसके अंतर्गत और ओएमसीज के अंतर्गत जारी डूप्लीकेट कनेक्शनों की जांच आरंभ कर दी थी।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि दावों के प्रसंस्करण से पूर्व लाभार्थियों की पूरी जानकारी की जांच से प्रक्रियाओं का दोहराव हो जाता और पीपीएसी के अधिकार से विचलन हो जाता। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज के दावों की उपयुक्त प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त जांच एवं उपाय लागू कर दिए गए है।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि प्रतिपूर्ति से पूर्व ओएमसीज के पीएमयूवाई दावों की संवीक्षा के लिए पीपीएसी सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त एक मात्र ऐजेंसी है। इसके अतिरिक्त पीपीएसी द्वारा संचालित अतिरिक्त डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी क्योकि यह संचित डाटा पर संचालित नहीं किया जा रहा।

अध्याय 8:
निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अध्याय 8: निष्कर्ष एवं सिफारिशें

8.1 निष्कर्ष

ओएमसीज ने 2019-20 तक आठ करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के प्रति मार्च 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी किए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन को यह जांचने के लिए शामिल किया गया था कि क्या योजना के अंतर्गत कनेक्शन अभीष्ट लाभार्थियों को जारी किए गए है और स्वच्छ ईंधन अर्थात् एलपीजी की ओर पारगमन और सतत प्रयोग सुनिश्चित किया गया।

डाटा विश्लेषण और चयनित वितरकों पर संचालित फील्ड लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में कई कमियों को उजागर किया उदाहरणार्थ केवाईसी जांच में सम्यक जांच की कमी तथा एनआईसी के साथ-साथ ओएमसीज द्वारा संचालित डी-डुप्लिकेशन कार्य की विफलता का पता चला जिससे अनभिप्रेत लाभार्थियों जैसे पुरूष, अल्पव्यस्क, एक ही व्यक्ति/परिवार को कई कनेक्शन प्रदान किए गए आदि ।

ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित वितरकों की कमी थी जिसके कारण रिफिलों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ और लाभार्थियों के आवास पर रिफिल सुपुर्द करने मे अक्षम रहे। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 0.24 *प्रतिशत* लाभार्थियों को 5 कि.ग्रा. का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया यद्यपि व्यय वित्त समिति और पीपीएसी-सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट ने उच्च रिफिल लागत को एलपीजी प्रयोग में प्रमुख बाधा बताते हुए योजना को सफल बनाने हेतु छोटे 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर की महत्ता को चिन्हांकित किया था।

यह भी पाया गया कि छह रिफिल तक वसूली के स्थगन से अल्प उपभोग श्रेणी में ऋणी उपभोक्ताओं के उपभोग को बढ़ाने का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 31 दिसम्बर 2018 तक बहुत कम मात्रा में ऐसे उपभोक्ता रिफिल के लिए वापिस आए।

एलपीजी वितरकों के स्तर पर अपूर्ण दस्तावेजीकरण भी पाया गया क्योंकि कुछ मामलों में पूर्व संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्थापन रिपोर्ट केवाईसी के साथ दस्तावेज के साथ अनुलग्न नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर पाई कि क्या सुरक्षित संस्थापन और प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जांच की गई थी। इस बात को फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लाभार्थी सर्वेक्षण से समर्थन मिला जिससे एलपीजी के असुरक्षित संस्थापन/ प्रयोग का पता चला।

सब्सिडी के अंतरित न होने के भी मामले पाए गए जो कि बीपीएल लाभार्थियों को स्वच्छ ईंधन की ओर पारगमन के लिए हतोत्साहित कर सकते है ।

पीएमयूवाई, जो मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ने देश में एलपीजी कवरेज 61.9 *प्रतिशत* (मई 2016) से 94.3 *प्रतिशत* (मार्च 2019) तक बढ़ाने में सहायता की क्योंकि एसईसीसी-2011 डाटाबेस के अतिरिक्ति बीपीएल लाभार्थियों

को शामिल करते हुए ई-पीएमयूवाई आरंभ (मार्च 2018) करने के बाद कनेक्शन जारी करने की गति में बड़ी तेजी देखी गई। तथापि, 2016-17 से 2018-19 तक गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा 7.5 से 6.73 रिफिल तथा पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा 3.9 से 2.98 रीफिल का औसत वार्षिक रिफिल उपभोग का अधोगामी पैटर्न दृष्टिगत हुआ।

पीएमयूवाई की स्वीकृति के समय पर, एमओपीएनजी ने योजना के कार्यान्वयन से अस्वच्छ ईधनों पर निर्भरता में कमी और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार जैसे अभिप्रेत लाभों की परिकल्पना की थी। तथापि, इन लाभों की उपलब्धि की सीमा निर्धारण करने हेतु कोई मापनयोग्य निष्पादन मानकों का गठन नहीं किया गया है।

8.2 सिफारिशें

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

- डी -डुप्लिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा के साथ ही साथ नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए।
- अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में उचित इनपुट नियंत्रण, डेटा सत्यापन और अनिवार्य क्षेत्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए;
- सही जानकारी प्राप्त करना और पीएमयूवाई लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रमाणित करना जैसे दोहरे लाभ के लिए ई-केवाईसी को शुरू करने की आवश्यकता है।
- यदि परिवार अन्य प्रकार से पीएमयूवाई के तहत पात्र पाया जाता है, तो अवयस्क लाभार्थियों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन को वयस्क परिवार के सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- लाभार्थियों के साथ एएचएल टिन साझा करने की व्यवहार्यता को एमओआरडी के साथ समन्वय में एमओपीएनजी द्वारा पता लगाया जा सकता है।
- पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति में जोखिम खतरों से बचने के लिए अनिवार्य निरीक्षण की लागत पर सब्सिडी देने के विकल्प का पता लगाया जा सकता है।
- यद्यपि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को मोटे तौर पर हासिल किया लिया गया है, शून्य/कम खपत श्रेणी में पीएमयूवाई लाभार्थियों को निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- व्यपवर्तन पर रोक लगाने के लिए रिफिल की उच्च खपत के मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- सीमित नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, पूरे एलपीजी डेटाबेस के साथ-साथ भौतिक रिकॉर्ड की भी जांच की जानी चाहिए ताकि

अयोग्य/पुरुष/अवयस्क लाभार्थियों/बहु कनेक्शनों को कनेक्शन जारी करने में पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।

- एमओपीएनजी, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और घरेलू वायु प्रदूषण में कमी जैसे मापन-योग्य लाभों के परिणाम के आकलन के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित कर सकता है।
- जैसा कि योजना में परिकल्पित है, योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा की जा सकती है।

सिफारिशों की चर्चा निकास सम्मेलन में की गई थी और इसे मोटे तौर पर एमओपीएनजी द्वारा स्वीकार किया गया था।

वेंकटेश मोहन

(वेंकटेश मोहन)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली:
दिनांक: 06 नवम्बर, 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: 06 नवम्बर, 2019

अनुबंध

अनुबंध I (जैसा कि पैरा सं. 6.1 में संदर्भित है)

01 अप्रैल 2019 तक राज्य-वार एलपीजी कवरेज

(आंकड़े लाख में)

राज्य/यूटी	जनगणना 2011 के अनुसार परिवारों की संख्या	1.4.19 को अनुमानित घर*	1.4.19 तक ओएमसीज के सक्रिय घरेलू कनेक्शन	एलपीजी कवरेज
चंडीगढ़	2.35	2.68	2.75	102.5%
दिल्ली	33.41	39.13	49.42	126.3%
हरियाणा	47.18	54.77	66.14	120.8%
हिमाचल प्रदेश	14.77	16.31	17.27	105.9%
जम्मू और कश्मीर	20.15	23.99	29.84	124.3%
पंजाब	54.10	60.18	83.07	138.1%
राजस्थान	125.81	147.47	154.47	104.9%
उत्तर प्रदेश	329.24	383.00	375.98	98.2%
उत्तराखंड	19.97	23.01	25.22	109.6%
सब टोटल उत्तर	**646.98**	**750.53**	**804.15**	**107.1%**
अरुणाचल प्रदेश	2.62	3.17	2.47	78.1%
असम	63.67	72.47	63.80	88.0%
मणिपुर	5.07	5.83	5.04	86.4%
मेघालय	5.38	6.60	2.98	45.2%
मिजोरम	2.21	2.63	2.83	107.7%
नागालैंड	4.00	3.98	2.47	62.0%
सिक्किम	1.28	1.41	1.37	96.5%
त्रिपुरा	8.43	9.44	6.98	74.0%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.93	0.98	0.95	96.7%
बिहार	189.41	228.29	164.06	71.9%
झारखंड	61.82	73.01	51.72	70.8%
ओडिशा	96.61	107.54	79.77	74.2%
पश्चिम बंगाल	200.67	22.06	209.39	93.9%
सब टोटल पूर्व	**642.10**	**738.42**	**593.84**	**80.4%**
छत्तीसगढ	56.23	66.50	47.87	72.0%
दादर और नागर हवेली	0.73	1.06	0.88	82.5%
दमन और दीव	0.60	0.87	0.61	70.6%
गोवा	3.23	3.44	4.82	140.0%
गुजरात	121.82	140.82	100.60	71.4%
मध्य प्रदेश	149.68	174.24	141.14	81.0%
महाराष्ट्र	238.31	269.13	269.28	100.1%
सब टोटल पश्चिम	**570.59**	**656.05**	**565.20**	**86.2%**
आंध्र प्रदेश	126.04	137.25	134.01	97.6%
कर्नाटक	131.80	148.82	154.13	103.8%
केरल	77.16	80.22	86.09	107.3%

राज्य/यूटी	जनगणना 2011 के अनुसार परिवारों की संख्या	1.4.19 को अनुमानित घर*	1.4.19 तक ओएमसीज के सक्रिय घरेलू कनेक्शन	एलपीजी कवरेज
लक्षद्वीप	0.11	0.11	0.08	68.4%
पुडुचेरी	3.01	3.70	3.69	99.9%
तमिलनाडु	184.93	208.25	206.91	99.4%
तेलंगाना	84.21	91.69	105.55	115.1%
सब टोटल दक्षिण	**607.26**	**669.64**	**690.46**	**103.1%**
संपूर्ण भारत	**2466.9**	**2814.6**	**2653.7**	**94.3%**

** जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान घरेलू विकास दर का उपयोग करने पर 1.4.2019 को घरों की अनुमानित संख्या प्राप्त हुई है।*

स्रोत ओएमसीज: (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल)

अनुबंध II (जैसा कि पैरा सं. 6.2.1 में संदर्भित है)

पीएमयूवाई लाभार्थियों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक एक वर्ष और अधिक पूरा कर लिया है, की रिफिल खपत को दर्शाता विवरण

रिफिल्स की संख्या	सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या			
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
प्रारंभिक	2471636	1426617	1645797	5544050
1	1782097	1060605	1183009	4025711
2	1586413	906408	981759	3474580
3	1413221	783790	842028	3039039
4	1226810	669562	709827	2606199
5	1053116	561771	588889	2203776
6	887921	466181	484137	1838239
7	742049	386854	394522	1523425
8	617124	319117	320868	1257109
9	513643	266190	261976	1041809
10	426427	219905	213455	859787
11	356845	183358	175303	715506
12-49	1846374	966024	847572	3659970
50-99	505	415	624	1544
100-199	12	7	36	55
कुल	**14924193**	**8216804**	**8649802**	**31790799**

अनुबंध III (जैसा कि पैरा सं. 6.2.3.3 में संदर्भित है)

ओएमसी वार उच्च दैनिक खपत के दृष्टांत दर्शाने वाला विवरण

एलपीजी रिफिल की दैनिक खपत	आईओसीएल		एचपीसीएल		कुल	
	उपभोक्ताओ की संख्या	दृष्टांत की संख्या	उपभोक्ताओ की संख्या	दृष्टांत की संख्या	उपभोक्ताओ की संख्या	दृष्टांत की संख्या
2	164692	197807	96242	104386	**260934**	**302193**
3	14245	16641	3344	3748	**17589**	**20389**
4	5838	6404	1093	1170	**6931**	**7574**
5	3250	3462	579	603	**3829**	**4065**
6	2423	2656	343	364	**2766**	**3020**
7	1276	1279	175	175	**1451**	**1454**
8	1041	1046	112	113	**1153**	**1159**
9	713	719	89	89	**802**	**808**
10	817	821	65	65	**882**	**886**
11	843	848	56	56	**899**	**904**
12	1259	1285	50	50	**1309**	**1335**
13	16	16	5	5	**21**	**21**
14	0	0	1	1	**1**	**1**
15	1	1	0	0	**1**	**1**
16	1	1	0	0	**1**	**1**
17	0	0	1	1	**1**	**1**
20	1	1	0	0	**1**	**1**
कुल	**196416**	**232987**	**102155**	**110826**	**298571**	**343813**

संकेताक्षर

संक्षिप्त रूप	विवरण
एएचएल टिन	संक्षिप्त घरेलू सूची अस्थायी पहचान संख्या
बीई	बजट अनुमान
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
क्रिसिल	क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
डीबीसी	डबल बोटल सिलेंडर
डीबीटीएल	एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डी-डूप	डी-डुप्लिकेशन
डीजीसीसी	घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड
डीएनओ	जिला नोडल अधिकारी
डीओबी	जन्म तिथि
ईएमआई	बराबर मासिक किस्त
ई-केवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक- केवाईसी
ई-पीएमयूवाई	विस्तारित प्रधान मंत्री उज्जवला योजना
एफएक्यू	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गेल	गेल (इंडिया) लिमिटेड
जीओआई	भारत सरकार
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आइडीया	इंटरएक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईएसआई	भारतीय मानक संस्थान
केवाईसी	अपने उपभोक्ता को जानें
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एमडीजी	विपणन अनुशासनात्मक दिशानिर्देश
एमआई	अनिवार्य निरीक्षण
एमओपीएनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओसी	राष्ट्रीय तेल कंपनी

एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
ओआईएल	ऑयल इंडिया लिमिटेड
ओएमसी	तेल विपणन कंपनी
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना
पीएमई	परियोजना प्रबंधन व्यय
पीएमआईएस	परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली
पीएमयूवाई	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
पीओआई	पहचान प्रमाण
पीपीएसी	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल
आरई	संशोधित अनुमान
एसबीसी	एकल बोटल सिलेंडर
एसईसीसी	सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना
एसएलसी	राज्य स्तरीय समन्वयक
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसवी	सब्स्क्रिप्शन वाउचर
टीडीटी	लक्षित वितरण समय
टीएमटीपीए	हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष
टीएमटी	हजार मीट्रिक टन
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेश

शब्दावली

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
आधार संख्या	आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
सक्रिय उपभोक्ता	उपभोक्ता जिसका एलपीजी कनेक्शन न तो अवरुद्ध है और न ही समाप्त किया गया है और रिफिल ले सकता है ।
एएचएल टिन	एएचएल टिन (संक्षिप्त घरेलू सूची अस्थायी पहचान संख्या) एसईसीसी-2011 की जनगणना द्वारा बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को जारी की गयी 29 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है।
अवरुद्ध कनेक्शन	एलपीजी कनेक्शन जिसे सत्यापन के लिए रोके रखा गया है और अवरुद्ध अवधि के दौरान रिफिल लेने की अनुमति नहीं है।
मंजूर केवाईसी	ओएमसी और एनआईसी स्तर पर डी- डुप्लिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ता केवाईसी जानकारी की मंजूरी।
वाणिज्यिक गैर-सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर	वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए बाजार दर पर उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम या 47.5 किलोग्राम) ।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	लाभ के एक हिस्से को आम सामाजिक भलाई के उद्देश्य के लिए लाभ कमाने वाली कंपनी द्वारा समर्पित किया जाता है ताकि वे उस समाज को वापस दे सकें जिसके भीतर वे काम करते हैं।
घरेलू उपभोक्ता	खाना पकाने, हीटिंग जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए एलपीजी का उपयोग करने वाला उपभोक्ता।
घरेलू सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर	घरेलू उपयोग के लिए रियायती दर पर उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर जहां केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी राशि वहन की जाती है और रिफिल की खरीद और वितरण के बाद एलपीजी ग्राहकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
आधार प्रमाणीकरण की ई-केवाईसी सेवाएं	एक प्रक्रिया जहां आधार संख्या के साथ आधार धारक की व्यक्तिगत जानकारी (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय) को तत्काल प्रमाणीकरण और पहचान के सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। प्रमाणीकरण का उद्देश्य निवासियों को अपनी पहचान प्रदान करने के लिए और सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षित तरीके से सेवाओं की आपूर्ति करने और लाभों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है।
इलेक्ट्रॉनिक डी-डुप्लीकेशन	कुछ पैरामीटर/इनपुट जैसे आधार नंबर, एएचएल टिन, बैंक खाता आदि के आधार पर डुप्लिकेट/बहु कनेक्शन की पहचान करने के लिए कंप्यूटर एडेड प्रयोग।
ई-पीएमयूवाई	पीएमयूवाई के संशोधित दिशा-निर्देश जिसमें एसईसीसी के लाभार्थियों के अलावा सात अतिरिक्त अधिसूचित श्रेणियों (एसईसीसी सूची में अपवर्जन के 14 मापदंडों

	द्वारा कवर किए गए लोगों को छोड़कर) के तहत शामिल बीपीएल परिवारों को भी योजना के लाभ प्रदान किए गए ।
अंशशोधक	अंशशोधक प्लांट प्राकृतिक गैस को भिन्न-भिन्न अंशों/हाइड्रोकार्बन अर्थात मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में अलग करने के लिए की प्रक्रिया करते हैं जिसकी विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे एलपीजी के उत्पादन, यूरिया संयंत्रों और बिजली संयंत्रों के लिए ईंधन/फीडस्टॉक, पेट्रोकेमिकल, एलपीजी और औद्योगिक ईंधन आदि के लिए आवश्यकता होती है।
जनधन खाता	बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत हर घर के लिए एक बचत बैंक खाता।
अपने ग्राहक को जानो	समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए) और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पीओआई) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन ।
तरलीकृत पैट्रोलियम गैस	ब्यूटेन और प्रोपेन का मध्यम दबाव में तुरंत तरलीकृत किया गया मिश्रित रूप। एलपीजी वाष्प हवा की तुलना में भारी है; इस प्रकार यह सामान्य रूप से निचले स्थानों में बैठ जाती है।
एलपीजी बॉटलिंग प्लांट	एक प्लांट जो सिलन्डर बॉटलिंग (5 किलो, 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम आदि) के लिए पाइपलाइन या विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से बल्क एलपीजी प्राप्त करता है और बाजार में आपूर्ति करता है।
एलपीजी नियंत्रण आदेश	भारत में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए एमओपीएनजी द्वारा अधिसूचित आदेश।
एलपीजी पंचायतें	एलपीजी के निरंतर और सुरक्षित उपयोग के लाभों पर पीएमयूवाई लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम।
बाजार अनुशासनात्मक दिशानिर्देश	खुदरा नेटवर्क के संचालन में अनुशासन बनाए रखने और उच्च ग्राहक सेवा मानकों को प्रदान करने के लिए ओएमसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश।
पहल (डीबीटीएल)	डीबीटीएल (एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना को 'पहल' नाम दिया गया है जिसका अर्थ है "ईनिशिएटिव"। यह योजना का हिंदी अनुवाद पर आधारित एक संक्षिप्त रूप है: "प्रत्यक्ष (डाईरेक्ट) हस्तांतरित (ट्रांस्फर) लाभ (बेनिफीट)।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	पीडीएस आवर्ती आधार पर बड़ी संख्या में गरीब लोगों को रियायती मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
सार्वजनिक दायित्व बीमा	एलपीजी से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए ओएमसी द्वारा लिया गया एक तृतीय पक्ष बीमा।
आरजीजीएलवी	14.2 किलोग्राम के 600 एलपीजी सिलेंडर की औसत मासिक बिक्री की क्षमता के आधार स्थापित एलपीजी वितरक ।
सुरक्षा क्लिनिक	नए उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए एलपीजी कनेक्शन वितरण के दौरान एलपीजी उपयोग के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।

एसईसीसी-2011	एसईसीसी -2011 सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है और पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर परिवारों की रैंकिंग देता है। इसमें तीन जनगणना घटक अर्थात: ग्रामीण, शहरी और जातिगत जनगणना।
आधार की सीडिंग	विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। आधार सीडिंग सक्षम करने के लिए, लाभार्थी को अपने एलपीजी वितरक और बैंक को आधार प्रस्तुत करना होगा।
मानक संचालन प्रक्रिया	मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) गलत संचार को कम करने के साथ साथ संगठन द्वारा दक्षता, गुणवत्ता उत्पादन और प्रदर्शन की एकरूपता प्राप्त करने के लिए संकलित कदम-दर-कदम निर्देशों का एक सेट है।
सब्स्क्रिप्शन वाउचर	आवेदक द्वारा एलपीजी सुरक्षा जमा के भुगतान और अपेक्षित दस्तावेजों पर, सफल पंजीकरण के लिए सदस्यता शुल्क वाउचर जारी किया जाता है।
सब्सिडी	आर्थिक और सामाजिक नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आम तौर पर आर्थिक क्षेत्र (या संस्था, व्यवसाय, या व्यक्ति) के लिए विस्तारित वित्तीय सहायता या समर्थन का एक रूप।
ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन	प्रदूषण से स्मारक को बचाने के लिए ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग कि.मी. का परिभाषित क्षेत्र।
सत्यापन जाँच	एक स्वत: जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी/दर्ज किया गया डाटा उचित है और अप्रत्याशित या असामान्य डाटा को रोकता है।